राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का तृतीय दिवस { संख्या ३

बुधवार, २ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, यातायात, सहकारी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, विद्युत, पशुपालन, सिंचाई तथा पंचायत विभाग।]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। रावराजा श्री सरदार सिंह।

टोडा म्युनिसिपैलिटी का पंचायत में परिवर्तित किया जाना

६३. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या टोडा कस्बा (जिला टोंक) म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो चुका है? यदि हां, तो कब और उसके कौन कौन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व सदस्य चुने गये हैं?

२. क्या यह सही है कि उपरोक्त चुने हुए मेम्बरों ने म्युनिसिपैलिटी टोडा का कार्य-भार संभाल लिया था? यदि हां, तो कब से?

३. क्या यह सही है कि टोडा म्युनिसिपैलिटी को पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन आधारों पर?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १. म्युनिसिपल बोर्ड, टोडारायसिंह (जिला टोंक) का चुनाव दिनांक १८-७-५९ को सम्पन्न हुये हैं। चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ।

चुने हुए सदस्यों के नाम निम्नांकित हैं:—

१. श्री घासीराम पुत्र श्री बद्रीराम
२. श्री मोहनलाल पुत्र श्री मूलचन्द
३. श्री मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल
४. श्री बजरंगलाल पुत्र श्री भंवरलाल
५. श्री मदनलाल पुत्र श्री बिहारीलाल
६. श्री हरिलाल पुत्र श्री रामपाल
७. श्री हसन खां पुत्र श्री मोहम्मदखां
८. श्री चौथमल पुत्र श्री रामकरण

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

२. जी नहीं।

३. जी हां। यह नगरपालिकाओं के निश्चय के अनुसार हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब चुनाव हो चुका था और आपने म्युनिसिपैलिटीज को पंचायतों में परिणित किया तो पुराने म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों को पंचायत के सदस्य समझकर उस पंचायत में लिये गये हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहली बार डीसेन्ट्रेलाइजेशन का कानून बना उस समय जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ थीं ८००० से नीचे की उनको हमने सबसे पूछा और जिन्होंने पंचायतों में परिवर्तित होना चाहा, हमने उनको बना दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब जिला परिषदों से पहले चुनाव हो चुके तो पुरानी पंचायतों का क्या असर था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो म्युनिसिपैलिटीज़ फंक्शन कर रही थीं हमने उनसे पूछा और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनके चुनाव हुए काफी अर्सा हो गया और सदस्य भी चुन लिये गये थे और वहां पर सिर्फ प्रेसीडेन्ट चुनना बाकी रहा था और वह भी पार्टी पोलिटिक्स की वजह से नहीं चुना गया। डीसेन्ट्रलाइजेशन लागू होने से चार दिन पहले था। क्या उसमें आबादी कम थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ८ हजार से कम आबादी वाली जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ थीं उनसे हमने पूछा और जिन्होंने हमको कहा कि हम पंचायतें बनाना चाहते हैं उनको हमने रखा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या निवाई और उनियारा ने, जिनकी आबादी ८ हजार से कम है, वहां की म्युनिसिपैलिटीज़ ने तार दिया था, मगर उनको पंचायतों में परिणित नहीं किया। क्या उनको कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन जिनकी सूचना थी उनको सब को पंचायतों में परिवर्तित कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा और निवाई ने तार दिये थे और कलेक्टर को भी तार दिये थे मगर उनको परिवर्तित नहीं किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग प्रश्न है। जिन जिनकी सूचना हमको मिली हमने परिवर्तित किये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब सरकार की इस विषय में क्या पॉलिसी है, पंचायतों में परिवर्तित करने की या म्युनिसिलटीज़ रखने की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि म्युनिसिपैलिटीज़ को पूछा गया और जिन्होंने पंचायतों में परिवर्तित होना चाहा उनको हमने कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहाँ म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं हैं और सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया हुआ था उस एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो म्युनिसिपैलिटीज़ का काम करता है उसने लिखा उसको मान कर क्यों नहीं परिवर्तित किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब भी कोई म्युनिसिपैलिटीज़ चाहें तो पंचायत में परिवर्तित की जा सकती है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोवर्धनसिंह केन

भरतपुर जिले में एक आदर्श जेल बनाना

६४. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना-सु०) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) भरतपुर जिले में कितनी जेलें हैं व उनमें कितने कितने कैदी हैं ?

(२) कैदियों के सुधार हेतु क्या व्यवस्था है ?

(३) क्या सरकार भरतपुर की जेलों में से किसी भी एक को आदर्श जेल बनाना चाहती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) भरतपुर जिले में केवल एक जेल है जो भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा धौलपुर, डीग और बयाना में सब-जेलें हैं उनमें दिनांक ३०-१०-५६ को निम्न प्रकार बन्दी थे :—

भरतपुर	११२ बन्दी
धौलपुर	५२ बन्दी
डीग	२७ बन्दी
बयाना	१६ बन्दी

(२) बन्दियों के सुधार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(१) मामूली लिखा-पढ़ी, जोड़-बाकी, गुणा-भाग, सिखाया जाता है।

(२) उद्योग-धन्धों में खासकर चमड़े के जूते, चप्पल, सूटकेस, बटवे वगैरह बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(३) पढ़ने के लिये अखबार दिये जाते हैं।

(४) विचारों में परिवर्तन लाने के लिये सामाजिक व धार्मिक विषयों पर समय समय पर भाषण होते रहते हैं।

(५) अपने रिश्तेदारों व मित्रों को पत्र लिख सकते हैं, उनसे पत्र मंगवा सकते हैं।

(६) अपने खर्चे से जूते पहन सकते हैं।

(७) गर्मी के दिनों में बन्दियों को हवा करने के लिये पंखे दिये जाते हैं।

(८) गर्मी के दिनों में ठण्डे पानी के लिये बन्दियों को घड़े दिये जाते हैं।

(६) बन्दियों को समय से पूर्व छोड़ने के लिये एडवाइज़री बोर्ड में उनके कागजात भेजे जाते हैं।

(३) जी नहीं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : जूतों का कार्य सब को सिखाया जाता है या केवल हरिजनों को ही सिखाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो सीखना चाहें उनको सिखाया जाता है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : अभी कौन कौन सीख रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से प्रश्न है। इस समय यह कैसे बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामनारायण वर्मा।

कोटा-गैंता बस को नौनेरा तक बढ़ाना।

६५. **श्री रामनारायण वर्मा** : (पीपल्दा-सु०) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नौनेरा, तहसील इटावा के निवासियों की ओर से यह मांग की गई है कि कोटा से गैंता जानेवाली बस को नौनेरा तक बढ़ा दिया जावे ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग को स्वीकार करने का इरादा रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां।

(२) मामला रीज़नल ट्रान्सपोर्ट ऑफ़ेसर, कोटा के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु म्युनिसिपेलटियों को पंचायतों में परिवर्तित किया जाना

६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में ८,००० से कम आबादी की म्युनिसिपेलिटियां डिस्ट्रिक्टवाइज़ किन किन गांवों में हैं ?

(२) क्या लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए सरकार ने राजस्थान में म्युनिसिपेलिटियों को पंचायतों में परिवर्तित किया है ? अगर हां, तो कहां कहां और किन किन आधारों पर ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची संलग्न है। 'अ' पर।

(२) सूची संलग्न है। 'ब' पर।

जिन जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या ८,००० से कम है, उनको अपने विचारों से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया था कि वे अपने क्षेत्र में पंचायत चाहते हैं या नगरपालिका। नगरपालिकाओं से विचार प्राप्त होने पर जो जो नगरपालिकाएं पंचायतों में परिवर्तन चाहती थीं या जिनके उत्तर न आये अथवा जिनका आउटलुक रूरली था परिवर्तन किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि जिन्हने प्रार्थना-पत्र दिये उनको आपने परिवर्तित नहीं किये।

Page No.5

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: जिनके प्रार्थना पत्र आये उन सब का पंचायतों में परिवर्तन कर दिया और अब भी आते हैं तो उनको करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : May I know from the Government, Sir, whether this is optional to be converted into Panchayat ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Municipality is below eight thousand and it is optional.

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी आपने जो ८ हजार से कम की म्युनिसिपेलिटीज़ बताई हैं उनमें आपने टोडा का नाम नहीं लिखा है। शायद वह ८ हजार से....

श्री अध्यक्ष : वहाँ तो पहले ही पंचायत बन चुकी थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां तो पहले ही पंचायत बन चुकी थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ८ हजार से कम आबादी के हैं वहां नहीं बनी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा कोई स्थान नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या अब भी आप जो हैं उनको बनावेंगे, अगर वे चाहेंगे तो ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्टाफ वृद्धि की आवश्यकता

६७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सन् १९५० में भरतपुर जिले के अन्दर कितनी सहकारी समितियां, कितने निरीक्षक व सहायक निरीक्षक थे तथा कितना धन कर्जे के रूप में बंटा हुआ था ?

(२) वर्तमान में वहां कितनी समितियां, निरीक्षक व सहायक निरीक्षक हैं और कितनी धन राशि कर्जे के रूप में दी हुई है ?

(३) सन् १९५० में भरतपुर जिले के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में कितना स्टाफ था और अब कितना है ?

(४) क्या सोसाइटी आदि की वृद्धि के अनुसार कार्यालय पर कुछ कार्य भार बढ़ा है ?

(५) यदि हां, तो तदनुसार स्टाफ में वृद्धि क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) :

(१) भरतपुर जिले में सन् १९५० में ६३३ सहकारी समितियां, ५ निरीक्षक, ५ सहायक निरीक्षक के रूप में बांटी गई धन राशि ३,९५,७५८ रु० थी।

(२) भरतपुर जिले में सन् १९५९ (वर्तमान में) १,२९० सहकारी समितियां, २० निरीक्षक, १५ ऑडिटर्स, सहायक निरीक्षक ३४ व कर्जे के रूप में बांटी गई धन राशि ३२,९८,९५६ रू० है।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) सन् १९५० में भरतपुर जिले के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में १ मुख्य लेखक, १ ज्येष्ठ लेखक और ४ कनिष्ठ लेखक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में वहां १ मुख्य लेखक, २ ज्येष्ठ लेखक और ५ कनिष्ठ लेखक कार्य कर रहे हैं।

(४) जी हां।

(५) कार्यवृद्धि के अनुसार अनुचित वृद्धि हुई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहले ७३३ समितियां थीं अब १२६० हुई हैं लेकिन लेखक, मुख्य लेखक और कनिष्ठ लेखक की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। अनुपात से ही क्यों न वृद्धि हुई, यही मुख्य प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि ज्येष्ठ लेखक १, कनिष्ठ लेखक १ बढ़ाया है और इसी के अनुसार फील्ड में काम करने वाले भी काफी संख्या में बढ़े हैं। १५ ऑडिटर हो गये हैं। सहायक निरीक्षक भी है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ये करते क्या हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जो कुछ भी काम उनके जिम्मे डाला गया है वह करते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऑफिस में इनकी वृद्धि के बाबत मैंने पूछा है न कि फील्ड के लिए जब कार्यालय पर भार बढ़ा है तो उसी अनुपात से इनकी वृद्धि भी क्यों नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : जी काम तो बढ़ा है और कुछ वृद्धि भी की है।

इसके अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, भरतपुर में भी नियुक्त करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

प्रश्न संख्या ६८

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह केन,

एलोपैथिक हास्पिटल, भरतपुर में रोगियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था

६९. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु.) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या एलोपैथिक हॉस्पिटल, भरतपुर में रोगियों के लिए स्थान पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्थान पूर्ति हेतु कोई व्यवस्था की जा रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त हॉस्पिटल के पास पानी भरा रहता है जिसके फलस्वरूप मलेरिया आदि रोग होने का भय रहता है ? यदि हां, तो उसके निवारण के लिये क्या क्या व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं। पिछले वर्ष २० बैड्स बढ़ाये गये थे तथा इस वर्ष १२ बैड्स का एक वार्ड बनाने की स्वीकृति हाल ही में हुई है। आशा है रोगियों के लिए स्थान पर्याप्त होगा।

(२) जी हां। विक्टोरिया अस्पताल के पास नहर का पानी भरा रहता है परन्तु उसके द्वारा मलेरिया आदि रोग होने की कोई शिकायत नहीं हुई है।

Page No.7

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो पानी भरा होता है उससे गन्दगी तो होती है क्या आपने यह मार्क किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यों तो सारे भरतपुर में ही नहर का पानी भरा रहता है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : इससे क्या रोगियों को कोई नुकसान नहीं होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए पानी दिया जाता है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : गोवर्धनसिंह केन ।

भरतपुर नगरपालिका कार्यालय में भवन निर्माण हेतु विचारणीय प्रार्थना-पत्र

७०. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भरतपुर नगरपालिका के कार्यालय में भवन निर्माण के हेतु कितने प्रार्थना- पत्र विचाराधीन हैं ?

(ख) उक्त प्रार्थना- पत्र किस किस तिथि को प्राप्त हुए तथा किस किस के हैं ? सूची सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ११५ ।

(ख) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गोवर्धनसिंह केन : ५६ व ५७ की एप्लीकेशन्स पर स्वीकृति चाही गई लेकिन मंजूरी न देने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए मैं अलग अलग नहीं बता सकता, क्योंकि ११६ केसेज़ हैं ।

यदि किसी एक के लिए अलग से प्रश्न पूछे तो जांच करके बता सकता हूँ ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न यह है कि जो लिस्ट दी है उसमें विवरण है । मैंने सारी लिस्ट देखी है । १३ केसेज़ में कोई कारण नहीं दिया गया है । ५७ में एक व्यक्ति ने दरख्वास्त दी उसके लिए भी कोई कारण नहीं है इसमें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: हो सकता है कि जाँच हुई हो और ऑब्जेक्शन लगा दिया हो । ऐसे मामलों में कुछ देर हो ही जाती है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि निर्धारित समय में म्युनिसिपैलिटी इज़ाजत न दे तो मकान बना सकते है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री भीमसेन : क्या ये बना सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यदि सरकारी जमीन पर बना लेते हैं तो गलत है लेकिन यदि एक महीने में म्युनिसिपैलिटी जवाब न दे तो बना सकते हैं लेकिन अलग अलग केसेज़ में देखने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

रावराजा श्री सरदारसिंह
लाखेरी टोंक सड़क

७१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) लाखेरी टोंक सड़क कहां तक बन चुकी है और अब कितनी बननी बाकी है ?

(२) क्या यह सही है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस सड़क को प्राथमिकता दी गई थी तथा बजट में उपरोक्त सड़क के हेतु धनराशि भी रख दी गई थी ? अगर हां, तो कितनी, और उसमें से कितनी खर्च हो चुकी है और कितनी बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क को अधूरी छोड़ कर जो धनराशि इस सड़क के लिये स्वीकृत थी उसको दूसरी जगह लगाई जा रही है । अगर हां, तो किस जगह और क्यों ?

(१) **सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : १६ मील बन चुकी है । ३॥ मील बाकी है जिस पर कार्य चालू है ।

(२) जी हां ५,०६००००) रु० मास अक्टूबर, १६५६ तक । ३, ८०,०००) रु० खर्च हुआ है और १,२६,०००) रु० और खर्च करने को हैं ।

(३) यह सही नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे अर्ज करूं कि यह आपने फर्माया कि काम चल रहा है लेकिन साल भर से वहां पर काम बंद है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी सूचना गलत है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप पधारिये मैं बता दूं । सूचना गलत बता देते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हर एक जगह पधारने की ज़रूरत नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टेन्डर भी कॉल नहीं किये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३॥ मील बाकी रही है वह इस साल पूरी हो जावेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Thank you.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

ग्राम तलाब (पीपल्दा) का पशु चिकित्सालय ।

७२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु.) क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम तलाब, तहसील पीपल्दा में पशु चिकित्सालय खोला गया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त पशु चिकित्सालय ने कार्य आरम्भ कर दिया है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

दौसा में बिजली के करेन्ट से मरे दो काश्तकारों के बाल बच्चों को सहायता

७३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दौसा में मार्च व अप्रेल १९५९ में दो काश्तकार खेत में पानी देते समय बिजली के करेन्ट से मर गये ?

(२) यदि हां, तो क्या उनके बाल बच्चों के लिये सरकार कोई मदद देने का विचार रखती है ?

(१)**विद्युत मंत्री**(श्री रामकिशोर व्यास) : (१)जी हां।

(२) इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु.) : बिजली के करेन्ट के कारण मरे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि कोई बिजली विभाग का कर्मचारी हो और करेन्ट के कारण मर जाय तो उसको कम्पेन्सेशन देने का प्रोविज़न है।

श्री रामनारायण वर्मा : काश्तकार पाणत करता हुआ मरा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मरे हैं लेकिन एक्ट में प्रोविज़न नहीं है तो नहीं दे सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : वे मरे हैं तो बिजलीघर के कर्मचारियों की गलती से मरे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : उसके लिए लीगल रेमेडी है, वह कर सकते हैं। इस एक्ट में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : दो काश्तकारों की मौत हुई है तो सरकार सोच सकती है कि सरकारी अधिकारी की लापरवाही के कारण हुई है, यदि कानून न भी हो तो नैतिक दृष्टि से भी यदि इस प्रकार से मृत्यु हो जाय तो मदद देनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मदद के लिए गवर्नमेन्ट को एप्लाई करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

ग्रीष्म काल में माउन्ट आबू के यात्रियों को टिकिट दिलाने का उचित प्रबन्ध

७४. **श्री अमृतलाल यादव** (जालोर-सु.) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गर्मी के समय माउन्ट आबू पर आने-जाने वाले यात्रियों को बस का टिकिट मिलने में भारी असुविधा होती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करायेगी ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। ऐसी कोई असुविधा प्रतीत होने के विषय में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमृतलाल यादव : आपको शिकायत प्राप्त नहीं हुई लेकिन अभी में गया तो आपको भी मालूम होगा कि कई लोगों ने आपको इस विषय में कहा था ?

Page No.10

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे को किसी ने नहीं कहा (हंसी) । इसके अलावा मैं बताऊं कि जब सीज़न में यात्रियों का अधिक लोड होता है तो हम स्वयं ही पहले से ही कन्शियस रहते हैं, तीन चार विन्डोज़ अलग लगवा देते हैं जिससे कि यात्रियों को टिकिट लेने में असुविधा न हो । न तो इसके लिए मुझे किसी ने कहा और न ही किसी ने शिकायत की ।

श्री अमृतलाल यादव : कितने यात्री सीज़न में आये और कितनी बसेज़ का अलग से अरेन्जमेन्ट किया ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है ।

श्री अमृतलाल यादव : यदि ऐसी कोई चीज़ नोटिस में लायी जावेगी तो उसको देखेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां । हम भी बड़े सचेत हैं और फिर आप लोगों के सहयोग की आवश्यक्ता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस प्रकार से यात्रियों को टिकिट लेने में असुविधा होती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं । अलग अलग विन्डोज़ बनी हुई हैं, यात्री लाइन में खड़े होकर टिकिट ले लेते हैं । ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले से जो लेना चाहें ताकि उनको खिड़की पर खड़ा न रहना पड़े इसके लिए क्या कोई व्यवस्था की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टिकिट लेने के लिए बारी पर तो आना ही पड़ेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : रेलवे में भी रिज़र्वेशन होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो ऐसी व्यवस्था थी । यदि कोई पहले से टिकिट बनवाना चाहे तो अपना आदमी भेज कर विन्डो से ले ले । विन्डो पर तो उसको आना ही पड़ेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एक दिन पहले ऐसा हो सकता है जो कोई लेना चाहे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सात दिन पहले करवा लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसा इन्तजाम है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर इन्तजाम है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या यह सही है कि ऊपर यात्री जाते हैं तो घरों की साइड पर खड़े रह जाते हैं तो क्या प्राइवेट मोटर ले जाना चाहें तो उनको चार घंटे लग जाते हैं इजाज़त लेने में ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी मोटरें नहीं हैं कि अलग अलग घरों पर जावें ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : महिलाओं के लिए अलग से कोई विन्डो है या नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ७५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामधन।

दौसा तहसील में सड़क निर्माण कार्य

७६. श्री रामधन (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) दौसा तहसील में गत दो वर्षों में कितनी मील सड़क का निर्माण किया गया?

(२) उक्त सड़कें कहां से कहां तक बनाई गईं?

(३) इस वर्ष कौन कौन सी सड़क का कार्य पूरा किये जाने की आशा है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् ५७–५८ तथा ५८–५९ में कुल २९ मील १ फर्लांग सड़क का निर्माण हुआ।

(२) ५७–५८ में तारकोल दौसा-डागीता रोड़ १ मील, दौसा-सवाई माधोपुर रोड ५ मील, गिट्टी भंडारेज से लालसर ४ फर्लाङ्ग और ५८–५९ में तारकोल दौसा-डागीता रोड़ १३ मील, ७ फर्लाङ्ग, दौसा-सवाई माधोपुर रोड ३ मील एप्रोच रोड, दौसा-सवाई माधोपुर टाऊन ६ फर्लांग, गिट्टी भंडा रेज़ लालसर रोड २ मील।

(३) इस वर्ष निम्नलिखित सड़कों के पूरे किये जाने की आशा है: एम. आर. भांडारेज़ से लालसर मैटल रोड वाया रानौली ११ से १३ मील, ७ बी. टी. दौसा सवाई माधोपुर रोड तक ९ से १३ मील तक।

श्री रामधन : क्या इस साल और भी सड़कें बढ़ाई जावेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सब दौसा की ही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मिस इंगर मुन्डट द्वारा निरीक्षित राजस्थान के बी० सी० जी० के कार्य की प्रगति की रिपोर्ट

७७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिस इन्गर मुन्डट राजस्थान में बी. सी. जी. के कार्य की प्रगति देखने आई थीं? यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट अपने इन्स्पेक्शन की दी है? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है वह अभी विचाराधीन है, इसलिए सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार इस पर कब तक विचार कर लेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्क्वायरीज़ जो की हैं उन पर एक्शन लेने की बात है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : विचाराधीन है या सक्रिय विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों तरफ से विचाराधीन है।

श्री जनार्दनराय नागर : अभी अभी हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि सरकार के पास कोई विचाराधीन चीजें नहीं रहतीं। उन्होंने कहा कोई भी चीज जो सरकार के समक्ष होती है वह एक्टिव कन्सीडरेशन में होनी चाहिये ? क्या उसी तरह से आपके पास यह जो विचाराधीन है वह क्या एक्टिव कन्सीडरेशन में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रधान मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है यह भारत सरकार के लिये कहा है यहां के लिये नहीं कहा।

प्रश्न संख्या ७८

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अ स्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल यादव।

जिला जालोर की पंचायतों में हरिजन सदस्यों की नियुक्ति

७९. श्री अमृतलाल यादव (ज़ालोर-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जिला ज़ालोर में कुल कितनी पंचायतें हैं तथा उनमें से किन-किन पंचायतों में हरिजन सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं और किन किन में नहीं व क्यों ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : ज़िला जालोर में १०७ पंचायतें हैं। अब तक किसी भी पंचायत में राज्य सरकार द्वारा हरिजन सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं। सांचोर तहसील की १० पंचायतों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। शेष पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। करीब करीब सब में हरिजन पंच चुने गये हैं।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : ये विचाराधीन कब से है ?

श्री दौलतराम सारण : अभी कल ही राज्य सरकार के पास इस सम्बन्धी फ़ाइल आई है।

श्री अमृतलाल यादव : जिन पंचायतों से हरिजन सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव नहीं आये वहां हरिजन सदस्य नामजद करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार ने सभी पंचायतों को सर्कुलर जारी कर दिया है कि जिन जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं वहां के लिये अपने प्रस्ताव भेजें। माननीय सदस्य भी उस बारे में सुझाव दे सकते हैं उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मान लीजिये, किसी पंचायत में कोई सुझाव नहीं आया अनुसूचित जाति के सदस्य के लेने के लिए तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह हरिजन सदस्य नियुक्त करे ? कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या सरकार वहां मनोनयन नहीं करेगी ?

Page No.13

(श्री जनार्दनराय नागर)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): मनोनयन के बारे में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जहां हरिजन पंच नहीं है वहां की पंचायत को चाहिये कि वे अपनी रिकमन्डेशन भेजे और नाम भेजे और माननीय सदस्यों से भी यही निवेदन है कि वे भी किसी का प्रस्ताव कर सकते हैं उन पर सरकार विचार कर सकती है। हमारे पास कोई रिकमन्डेशन पेन्डिंग नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : मान लीजिये कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आता है वैसी अवस्था में क्या होगा? क्या हरिजन सदस्य का मनोनयन नहीं होगा, क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि ऐसी स्थिति में वह स्वयं अपने आप इस बात की तलाश करे कि अनुसूचित जाति का सदस्य वहां नहीं आया है। यह सरकार का जिम्मा है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिम्मा सरकार का है। हमारे इन्स्पेक्टर्स काम करते हैं उनसे कह रक्खा है। इसके अलावा पंचायतों को भी सर्कुलर इश्यू किया हुआ है।

श्री अमृतलाल यादव : यह सरकार की जिम्मेदारी है। कोई पंचायत किसी हरिजन सदस्य को नहीं भेजती है, उस पंचायत के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये और हरिजन सदस्य को नामजद करना चाहिये। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि कई पंचायतें ऐसी है जहां हरिजन सदस्य नहीं है और वहां के लोग डेलीबरेटली हरिजन को नामजद करना नहीं चाहते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग के अधिकारियों को कह रक्खा है कि वे अपनी रिकमन्डेशन्स भेजें, पंचों को रिकमन्डेशन भेजने के लिये कह रखा है। बिना रिकमन्डेशन आये लोकल आदमी के बारे में सरकार कैसे मनोनयन कर सकती है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं कह रहा हूँ कि जान बूझ कर जो भेजना नहीं चाहते, क्या उनके लिये कोई मियाद फिक्स है या पांच साल तक ऐसे ही चलता रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्यों को निवेदन किया जा चुका है—कोई भी हरिजन अपना नाम या किसी दूसरे का नाम भिजवा सकते हैं। वैसी हालत में आप भी सतर्कता दिखलाइये। केवल हम ही गुनहगार हों यह उचित नहीं। आपको भी तो प्रयत्न करना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव : किसी माननीय सदस्य पर यह इलजाम लगाना कि सतर्कता बरती जानी चाहिये, उचित नहीं है। स्टेट गवर्नमेन्ट को अपनी ड्यूटी देखनी चाहिये। इसमें सरकार की ढ़िलाई है। मेरे द्वारा किसी का नाम प्रपोज़ करने का या अन्य किसी के द्वारा करने का प्रश्न नहीं है जहां हमारी सतर्कता बरतने का प्रश्न आता है। हम पूरी तरह से सतर्कता रखते हैं लेकिन आप भी अपनी ड्यूटी करते हैं या नहीं। आप ऐसी जगहों पर क्या करते हैं जहां से किसी का नाम नहीं आता ? क्या वहां हरिजन सदस्य नामजद करने का आपका अधिकार या कर्तव्य है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून के मुता-

Page No.14

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

बल्कि यह अनिवार्य नहीं है फिर भी हम हमारी तरफ से पंचायतों को सर्कुलर इश्यू कर चुके हैं और अपने विभाग के अधिकारियों को कह चुके हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूँगा। कानून के अन्दर जो प्रोविजन है और उस प्रोविज़न के मुताबिक किसी सदस्य की नामजदगी नहीं होती है तो क्या उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वे नामजद करायें ? इसमें पंचायतों पर डिपेन्ड करने का सवाल नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: पंचायत के सम्बन्ध में जो कानून बना हुआ है उसमें पंचायत के इलेक्शन होते ही इलेक्टेड मेम्बर्स काम करने लग जायेंगे। यह कोई बात नहीं कि हरिजन मेम्बर के बिना नामजद किये पंचायत फंक्शन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह सरकार के लिये बाइन्डिंग नहीं है। हमारे पास नाम भेज दें तो हम उनको नामजद कर सकते हैं। इसके लिए इन्स्पेक्टर्स को भी कह रखा है कि वे भी देख लें कि पंचायत में हरिजन सदस्य आया है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि हमें वहां के स्थानीय आदमी के बारे में क्या अनुभव हो सकता है जब तक कि पंचायतें उनके नाम की सिफारिश न करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it not a fact that provision of nomination of the Harijans in the Panchayats is a mandatory provision in the Statute.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Please consult the law.

श्री पी० के० चौधरी : Whether it is mandatory or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Please consult the law.

श्री पी० के० चौधरी : I am asking the Hon'ble Minister incharge to enlighten.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am not going to answer.

श्री पी० के० चौधरी : It means the Hon'ble Minister is not aware of the mandatory provision.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने अपने यहां से तहसील पंचायतों के फार्म भरवाकर भिजवाये हैं और वह चीफ पंचायत ऑफिसर के कार्यालय में दबे पड़े हैं। दो वर्ष से पड़े हैं। लेकिन उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय यह फर्मा रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं। हमने दलितवर्ग से फार्म भरवा भरवा कर वहां सरपंच से तसदीक करवा कर यहां भेजे हैं। दो वर्ष से कागज हिल नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने यह कभी नहीं कहा है कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है। कानून में यह अनिवार्य नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा कि उन्होंने इस बारे में क्या क्या कदम उठाये हैं। पंचायतों के सरपंचों को लिख रखा है, विभागीय अधिकारियों को भी इस बारे में हिदायतें हैं। इसके अलावा भी उन्होंने यह कहा है कि हरएक सदस्य नाम प्रपोज़ कर सकता है, सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री अमृतलाल यादव : मैं सरकार के नोटिस में यह बात ला रहा हूँ कि विभागीय अधिकारियों को माननीय मन्त्री महोदय ने और सरकार ने सूचना दे रखी होगी लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। हमें किसी व्यक्तिगत आदमी से मतलब नहीं है लेकिन जहां तक हरिजन सदस्य के नामजद होने का सवाल है उसका नोमीनेशन होना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय देखेंगे कि पंचायत को बने काफी अर्सा हो गया है फिर भी कई जगह हरिजन सदस्यों का नोमीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि कानून में यह ऑब्लिगेटरी नहीं है लेकिन जहां तक ट्रेडिशन डालने की बात है हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये। लीगल फ्लो भले ही रह गया हो लेकिन अपनी तरफ से ट्रेडिशन होना चाहिये। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर हमें कार्य करना चाहिये। इसी ओर ध्यान दिलाने के लिये मैंने बात रखी थी।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कानून में अगर इस प्रकार ऑब्लीगेटरी प्रोविजन होते हुए भी हमारा यह मोरल ऑब्लीगेशन हो जाता है कि हम हरिजन सदस्य का नोमीनेशन करें।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट ने इसे मन्जूर किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : He has refused it.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister has......

श्री अध्यक्ष : He has done that.

श्री पी० के० चौधरी : He has said that it is not necessary that the Government should do and I say that the provision is mandatory.

श्री दौलतराम सारण : जहां कहीं से रिकमन्डेशन आती है, हम कर देते हैं हमारे पास कोई भी रिकमन्डेशन पेन्डिंग नहीं है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे यदि नोटिस में लायेंगे तो उनको कर देंगे, हम इन्कार नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय अपने विभाग को इस बारे में और सतर्क रहने की हिदायत कर देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : This is an important issue, Sir, before the House because we are very keen...

श्री अध्यक्ष : That is why I have allowed you to speak.

श्री जनार्दनराय नागर : This is to be examined whether it is mandatory or not ?

श्री अध्यक्ष : We are here not to examine the concepts of law. The Hon'ble Minister has already made a categorical statement in this respect, to do better...

Page No.16

रावराजा श्रीसरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय में सुझाव दे दूँ कि इसमें हरिजन मिनिस्टर को ले लेवें।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : आप हरिजनों में कन्वर्ट हो जावें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महाराज श्री हुकमसिंह।

पुलिस कर्मचारियों की डाकुओं से हुई मुठभेड़ आदि में मृत्यु तथा उनके आश्रितों को सहायता

८०. **महाराज श्रीहुकमसिंह** (जैसलमेर) : क्या मन्त्री, गृह विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य के पुलिस विभाग के कुल कितने व कौन २ कर्मचारी पिछले दस वर्षों में डाकुओं के मुकाबले तथा अन्य कर्तव्य पालन करते हुए जीवन से हाथ धो बैठे ?

(२) उनके आश्रितों के लिये सरकार ने क्या क्या व कितनी कितनी सहायता दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(३) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के वारिसों को पेन्शन देने की व्यवस्था पर भी विचार कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस बारे में निवेदन करना है कि इसका जवाब लम्बा है कि राजस्थान बना है तब से कितने काउन्टर हुए और उनमें कितने डाकू मारे गये। इसलिये किसी विशेष आदमी के बारे में पूछना चाहें तो जानकारी में निवेदन कर दूँ। पर अगर यही जानना है तो टाइम काफी लगेगा।

श्री अध्यक्ष : जनरल पॉलिसी इसके बारे में क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें यह कहां है साहब ?

श्री अध्यक्ष : पार्ट तीन में कहा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके तो रूल्स बने हुए हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : वे रूल्स क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : १९५८ के गजट में वे छप चुके हैं। फिर हाउस में भी मैं कई बार इसके बारे में निवेदन कर चुका हूं।

श्री पी० के० चौधरी : पर हम यह जानना चाहते हैं कि काउन्टर में मरने वालों के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर काउन्टर में किसी की डेथ हो, जाती है तो उसको फाइनेन्शियल लौस न हो इस तरह से कम्पेन्सेशन देते हैं। जैसे मान लीजिये उसने दस साल सर्विस की और दस साल की सर्विस और बाकी है, तो वह दस साल की तनख्वाह उनके डिपेन्डेन्ट को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : यानी तनख्वाह उनको वही मिलती है जो उस समय मिलती थी और यह उस समय तक मिलती रहती है जब तक कि उसका रिटायर होने का पीरियड न हो जाता हो।

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

प्रश्न संख्या ८१

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

पशु-अभिजनन फार्म, बस्सी

८२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) :— Will the Minister-incharge of Animal Husbandry be pleased to state:-

1. What are the figures of the quantum of grain ration consumed in the Bassi Cattle Breeding Farm and its estimated value for the 15 months period from 1st April, 1958 to 31st July, 1959 ? The figures for every month during this period may be given separately.

2. How many heads of cattle were fed grain ration during each of these months and what was the consumption of grain per head of cattle during each of these months ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक १-४-५८ से ३१-७-५९ तक लगभग ६,६३८ मन, २३ सेर, २ छटांक दाना (ग्रेन) १,०४,५७६ रुपये का खर्च हुआ। विशेष विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) (अ) औसतन २९५ पशु प्रति माह।

(ब) औसतन लगभग १ मन, २१ सेर प्रति माह प्रति पशु खर्च हुआ। विशेष विवरण साथ है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी: फुलेरा अप्रेल से जुलाई ५८ और अप्रेल से जुलाई ५९, इन दोनों सालों में पर हैड कैटल के कन्ज़म्प्शन में इतना डिफ़रेन्स क्यों है? करीब करीब डबल का है। यह क्यों ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ तो पशु ज़्यादा हो गये और कुल बजट सेशन के अन्त में कुछ सैंक्शन वगैरह की कमी होने की वज़ह से कमी पड़ गई।

श्री पी० के० चौधरी : पशु तो ज़्यादा नहीं बल्कि जिस साल में कन्जम्प्शन कम शो किया है उस साल में पशु ज़्यादा थे। यह तो उल्टी बात है ?

(हंसी)

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पशु ज़्यादा का सवाल नहीं है। इसमें इस साल बजट में पैसा कम हुआ इसलिये कम दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी : This is not a question of Budget. It is consumption of the actual grain ration during the period of two years.

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें ऐसा भी है कि एक जानवर को किसी समय ज्यादा की जरूरत हो सकती है जैसे जब कोई मादा जानवर ब्याहती है तो उसको ज़्यादा खुराक दे देते हैं, बाद में कम कर देते हैं। तो इसलिये यह फर्क तो रह जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : तो वह एवरेज जो है पूरे दो कम्पेरेबल सालों के हैं। इन दोनों सालों के एवरेज में इतना डिफरेन्स नहीं आना चाहिये।

Page No.18

श्री नाथूराम मिर्धा : डिफरेन्स आ सकता है। आना नहीं चाहिये, यह आप नहीं कह सकते। कोई पशु एक सीज़न में ज्यादा बच्चे देने वाला हो गया तो उसे अरली स्टेज़ में ज़्यादा खिलाना पड़ता है। फिर बाद में फीडिंग कम कर देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that an enqu'ry was held by the Department or by the Anti-Corruption Department about Bassi Farm ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आपने दस बार पूछ लिया और हमने जवाब भी दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी पोज़ीशन तो बता दी थी।

श्री पी० के० चौधरी : Fall in consumption of grain ration is due to the fact that the officer was transferred from that Farm and after that this fall has taken place ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऐसा नहीं कह सकता।

श्री पी० के० चौधरी : Can you tell me When the previous incumbant was transferred from the Bassi Farm ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : इसके पहले जो ऑफिसर थे उनका कब ट्रान्सफर हुआ ? Whether they are co-related ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो मुझे याद नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) **:** यह खाना उनको मनमाने तरीके से दिया जाता है या शिड्यूल के तरीके से दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्ट्रिक्टली शिड्यूल से ही देते हों ऐसी बात भी नहीं है। शिड्यूल जरूर होता है। पर इसमें भी ऑफ़िसर को कभी अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : फ़ार्म में नियम है कि शिड्यूल के अनुसार दिया जाय। इस तरह से दिया जाता है या नहीं, कुछ ऐसा है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ बातों का तो शिड्यूल है कि हर एक को कितना बांटा दिया जावे, पर इसमें भी उसकी बच्चा देने के पहले और बाद की स्थिति को देखते हुए और इसी तरह की दूसरी अवस्थाओं, बीमारी आदि को देखते हुए ऑफिसर को डिस्क्रिशन की छूट है। मौके पर ऑफिसर अपना डिस्क्रिशन भी यूज़ करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब शिड्यूल है तो फिर इस प्रकार से डबल कैसे हो सकता है। डिस्क्रिशन से थोड़ा मामूली सा अन्तर हो सकता है। डबल के बराबर अन्तर नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ का है, कुछ का नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : शिड्यूल अवश्य रहता है साहब। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। मनमाना काम तो है नहीं, सरकार का काम है। आदमियों के लिये भी जेल में शिड्यूल बन्धा हुआ है। तब जानवरों के लिये तो अवश्य बना हुआ होना चाहिये। तो इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहिये साहब।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामधन।

सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली के पंचायत भवन का उपयोग

८३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (क) तहसील कोटपूतली व दौसा में पंचायत भवन कहां कहां बनाये गये हैं व जहां नहीं बनाये गये हैं वहां इस वर्ष बनाने की क्या कोई योजना है?

(ख) तहसील कोटपूतली के सुन्दरपुरा के पंचायत भवन को बने काफ़ी समय होने पर भी आज तक पंचायत के काम के लिए क्यों नहीं दिया गया है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : तहसील कोटपूतली में पनियाला, सांगटेडा, चत्रभुज, सुन्दरपुरा तथा कांसली में पंचायत भवन बन चुके हैं। मीनावास में पंचायत भवन अधूरा है।

तहसील दौसा में पंचायत भवन का कार्य ग्राम पंचायत नांगल-बेरसी, लवाण, खानवास, पापड़दा, बाने का बरखेड़ा में चल रहा है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

विकास कार्यों की अब ज़िम्मेदारी पंचायत समितियों को सौंपी जा चुकी है अतः वे अपनी योजनानुसार विकास कार्य करेंगी।

पंचायत भवन सुन्दरपुरा में ही पंचायत का काम २९-८-१९५९ से किया जा रहा है, ऐसी सूचना है।

बस्सी-तूंगा रोड को रामगढ़ पचवारा होते हुए तूंगा से डीडवाना-लालसोट में मिलाना

८४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

बस्सी-तूंगा रोड को रामगढ़ पचवारा होते हुए तूंगा से डीडवाना- लालसोट में मिलाने की मांग पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बस्सी-तूंगा सड़क को लालसोट तक बढ़ाने का प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है। अलाइनमेन्ट (Alignment) अभी निश्चित नहीं है।

आमेट नगरपालिका की स्थापना की मांग पर निर्णय

८५. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—क्या आमेट में नगरपालिका की स्थापना हेतु सरकार के समक्ष कभी मांग की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

तहसील शिव की पंचायतें

८६. श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील शिव में किस किस जगह पंचायतें हैं ? कृपया गांव का नाम, जनसंख्या और पंचों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) किन किन गांवों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतरामसरण: (१) तहसील शिव में १८ पंचायतें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) कई गांवों में आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व नहीं है। अब आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व देने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री तनसिंह : यह आपके ध्यान में कब आया कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : अभी। आपके प्रश्न के बाद।

(हंसी)

श्री तनसिंह : यह इत्तला आपको पहले किस एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त हुई ? क्या उस एजेन्सी के खिलाफ आप अब कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कौन सी इत्तला ?

श्री तनसिंह : पहले पहल जो एरिया आपने बनाये उनके लिये किसी न किसी ने तो आपको कोई इत्तला भेजी होगी जिसके आधार पर आपने प्रतिनिधित्व दिया ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो अलग प्रश्न है। अलग से पूछेंगे तो जवाब दे देंगे।

श्री तनसिंह : प्रश्न तो यही है अध्यक्ष महोदय, आज उनको मालूम हुआ है कि गलत क्षेत्र बन गये और इस कारण गलत प्रतिनिधित्व दिया गया। जहां ६ हजार की आबादी है वहां २ प्रतिनिधि, जहां २ हजार की आबादी वहां भी दो प्रतिनिधि, और जहां १६०० की आबादी वहां सात प्रतिनिधि। यह इतनी गलेयरिंग मिस्टेक है और यह भी पहले कभी ध्यान में नहीं आई तो यह क्यों ? आपने इसको एप्रूव किया है, आपके सेक्रेटरियट में आई है, कागज आये हैं। तो यह सब किसकी गलती से हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिस्ट्रिब्यूशन की बात है। इसमें भी फर्क रहेगा।

श्री तनसिंह : क्यों रहेगा, इतना फर्क क्यों रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कहीं १२-१३ पंच हैं तो डिस्ट्रिब्यूशन पर हैड में तो फर्क रहेगा। अब इतना फर्क रह गया और बात हमारे ध्यान में लाई गई है तो दुबारा जब चुनाव होगा तो ठीक हो जावेगा।

श्री तनसिंह : वैसे इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं तब तो दूसरी बात है। कोटड़ा पंचायत में जहां १६०० की आबादी है, सात आये हैं और दूसरी में जहां ६ हजार की और दो हजार की आबादी है वहां दो दो ही आये हैं। क्या यह गलत चीज नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही तो जवाब दिया है। अब जहां जहां इस तरह की डिस्क्रिपेन्सीज हैं वहां दुबारा चुनावों में ठीक हो जावेंगी। सज़ा देने की कोई बात नहीं है।

श्री तनसिंह : तो इसका वापिस रीमॉडलिंग कब हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने छोटी पंचायतें बनाने के लिये ऑर्डर्स इश्यू कर दिये हैं। अभी हमने एक नया कानून डीसेन्ट्रलाइजेशन का बनाया था उसके मुताबिक सर्कुलर इश्यू कर दिया है और उसमें छोटी छोटी पंचायतें बनाने का प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

अजमेर के रिवर्ट सब-इन्स्पेक्टरों को प्रमोशन दिया जाना

८७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) भूतपूर्व अजमेर राज्य के सब-इन्सपेक्टर जो सम्मिश्रण के वक्त थे, उनमें से कितनों को रिवर्ट किया और कितनों को प्रमोशन दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कुछ हैड कॉन्स्टेबिलों को सब-इन्सपेक्टरों के पद पर प्रमोशन दिया गया ? यदि हां, तो अजमेर के जो सब-इन्स्पेक्टर रिवर्ट किये थे उनको फिर प्रमोशन क्यों नहीं दिया ?

(३) क्या एडवाइज़री बोर्ड की बैठक राजस्थान व अजमेर के मुलाजिमान के लिए सेन्टर में कायम की गई है ? अगर हां, तो अब उस कमेटी ने क्या फैसला दिया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) केवल ८ को रिवर्ट किया गया व ७ को उन्नत किया गया।

(२) जी हां, क्योंकि भूतपूर्व अजमेर स्टेट के रिवर्ट किये गये सब-इन्स्पेक्टर राजस्थान के उन्नत हैड कॉन्स्टेबलों से जूनियर थे।

(३) जी हां, स्टेट एडवाइज़री कमेटी ने "तिलक फॉर्मूला" के अनुसार इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी लिस्ट बनाने का निर्णय दिया है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ८८

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

बीकानेर-लूणकरणासर सड़क व लूणकरणसर के डाक बंगला, प्रशासनिक भवन व क्वाटर्स एवं हौज के कार्य में प्रगति

८९. श्री भीमसेन (लूणाकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

(श्री भीमसेन)

(१) बीकानेर-लूणकरणसर रोड का १९ से ३६ मील का टुकड़ा किस ठेकेदार के पास है ? उसे इस हिस्से का कंकड़ डालने का कार्य कब समाप्त कर देना चाहिए था ?

(२) लूणकरणसर के डाक बंगला, प्रशासनिक भवन व क्वार्टर्स तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक पानी के हौज की क्या प्रगति है ? इनका काम कब तक समाप्त हो जाना चाहिये ?

(३) लूणकरणसर से हंसेरा के बीच कितने मज़दूर काम कर रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) मील १९ से २४ तक का ठेकेदार श्री नथमल मोहता तथा बाकी मीलों का श्री भैरूदान अग्रवाल ठेकेदार के पास है। जी नहीं।

(२) डाक बंगले का कार्य कुर्सी से ४ फीट ऊपर की सतह तक हुआ है। तहसील बिल्डिंग की दिनांक १०-११-५९ व क्वार्टर्स की १२-११-५९ को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तथा पानी के हौज के एस्टीमेट की टेक्निकल जांच की जा रही है। डाक बंगलों का कार्य दिनांक २१-१०-५९ को आरम्भ हुआ है। बाकी कार्य अभी चालू नहीं किये गये हैं जो एस्टीमेट तथा टेन्डरों की स्वीकृति के बाद आरम्भ होने वाले हैं २१-१०-५९ तक।

(३) लगभग ५०।

श्री भीमसेन : यह १९ से २४ मील का टुकड़ा बन रहा है उसमें कितना काम हो गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें कंकड़ कलेक्शन का काम शुरू हुआ है और कन्सोलीडेशन का काम ७ अक्टूबर को आरम्भ हुआ है।

श्री भीमसेन : एग्रीमेन्ट के मुताबिक इनको काम कब तक कम्पलीट कर लेना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक काम की मियाद काफी बाकी है। इसमें करीब साल भर की मियाद और बाकी है।

श्री भीमसेन : यह डाक बंगले का काम आपने बताया कि कुर्सी तक आया है तो इसका काम कब तक कम्पलीट कर देना चाहिए था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नैक्स्ट ईयर तक कम्पलीट होगा।

श्री भीमसेन : मियाद का टाइम तो पूरा हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। उसको सैंक्शन ही लेट मिली है इसलिए टाइम बाकी है। नेक्स्ट ईयर तक पूरा होगा।

श्री तनसिंह : यह तो आपने पहले भी उत्तर दिया था कि नेक्स्ट ईयर तक हो जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले उत्तर दिया था उस समय तो नींव भी नहीं भरी गई थी। अब तो कुर्सी तक आ गया है। फिर पहला काम भी झगड़े में चल रहा था कि बनाये भी या नहीं।

प्रश्न संख्या ९०

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

राजस्थान नहर की खुदाई एवं उससे सिंचाई

९१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

राजस्थान नहर की कितने मील की खुदाई अब तक हो चुकी है व राज्य सरकार राजस्थान नहर के द्वारा कब से, किस किस इलाके में पानी देना प्रारम्भ कर देगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : राजस्थान फीडर और राजस्थान मुख्य नहर की लम्बाई की १३८ मील में खुदाई का कार्य हो रहा है ।

यदि पंजाब सरकार राजस्थान नहर की सरहिन्द फीडर से पानी देने को तैयार हो जाये तो राजस्थान नहर से सिंचाई १९६१ की ग्रीष्म से ही सम्भव हो सकेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो आपने इतना काम बताया इसमें जो मेन नहर है उसमें कितना काम हो चुका है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कैनाल का ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, राजस्थान कैनाल का ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४ मील में ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह ४ मील का काम हो गया है । उसमें पक्की सीमेन्ट लगाने का काम पूरा हो चुका है या कच्चा ही है अभी तक ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो राजस्थान फीडर है उसको तो सारा लाइनिंग करने का तय कर चुके हैं । जो राजस्थान मेन कैनाल है उसको भी सारा लाइनिंग कराने का इरादा है लेकिन प्लानिंग कमीशन से मन्जूरी अभी नहीं आई है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उसका लाइनिंग करने में how much cement has been consumed per mile ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कब कहा कि लाइनिंग हो गई है ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा न कि ४ मील का कराया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि ४ मील कराने का इरादा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

तहसील पंचायत कोटपूतली के सरपंच के विरुद्ध शिकायत की जांच

९२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister in-charge of Panchayats be pleased to state :—

1. Is it correct that the Panchayat Department has received some complaints against the Sarpanch, Tehsil Panchayat, Kotputli.

2. Is it correct that the Chief

Page No.24

(श्री पी० के० चौधरी)

Panchayat Officer fixed up programme on a number of occasions for visiting Kotputli to enquire into the charges made against the Sarpanch and advised all concerned about his proposed visit ?

3. Is it also correct that on every such occasion the Chief Panchayat Officer had to cancel his visit ? If so, why ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण : (१) जी हां।

(२) केवल दो बार कार्यक्रम बनाया गया था।

(३) जी हां। राजकीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण।

श्री पी० के० चौधरी : When does he propose to complete this enquiry ?

श्री दौलतराम सारण : किसी आदमी ने मकान बना लिया था।

श्री पी० के० चौधरी : मैं पूछ रहा था इन्क्वायरी कब तक कम्पलीट करना चाहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जो शिकायत थी उसके खिलाफ सरकार ने फैसला दे दिया है। उसका पट्टा रद्द कर दिया है इसलिए इन्क्वायरी करना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल

सरपंच, बिराटियां खुर्द (पाली) द्वारा पंचों के साथ ज्यादतियां करना

९३. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मंत्री पंचायत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विधान सभा प्रश्नोत्तर काल में यह स्वीकार किया गया था कि बिराटियां खुर्द, ज़िला पाली के तीन पंच श्री फकीरमोहम्मद, श्री देवाराम, व श्री—तेजाराम को पंचायत की बैठकों में बैठने से सरपंच, मुंशी व चपरासी द्वारा रोका जाता है और पंचायतों की बैठकों में नहीं बैठने दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस आज्ञा के बावजूद कि श्री फकीरमोहम्मद, पंच व अन्य समस्त पंचों को पंचायत की बैठकों में भाग लेने से नहीं रोका जाये, सर-पंच आदेश की अवहेलना कर रहा है और अपने कर्त्तव्य के अनुसार प्रत्येक मीटिंग की बैठक में इन पंचों को आमंत्रित नहीं करता है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की आज्ञा से जब पंच श्री फकीरमोहम्मद पंचा-यत की मीटिंग में भाग लेने गया, तो उस पर सरपंच ने गाली—गलौज का मुकदमा दायर किया और बजाय सरपंच को हटाने के पंच श्री फकीरमोहम्मद को पंचायत से पृथक करने का नोटिस श्री उप सचिव द्वारा श्री फकीर-मोहम्मद के नाम जारी किया गया।

उप—मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): (१) जी हां।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी हाँ.

(३) जी नहीं। श्री फकीर मोहम्मद ने दिनांक २३–११–५८ को सरपंच व पंचों के साथ गाली–गलौज की और पंचायत के रेकॉर्ड को बाहर फेंक दिया। श्री फकीर मोहम्मद का यह कार्य दुराचरण की परिभाषा में आने से उन्हें यह नोटिस दिया गया कि उन्हें क्यों नहीं धारा १७(४) के तहत पृथक किया जावे? विभागीय आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में सरपंच को भी धारा १७ (४) के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और उसको हटाये जाने का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : यह कब से विचाराधीन है?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इस समय नहीं बतलाई जा सकती है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि सचिवालय में इसकी फाइल नहीं मिल रही है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उसकी सुनाई २०–७–५९ को हुई थी और उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट को फाइल गई हुई है?

श्री शंकरलाल : मैंने यह अर्ज किया है कि यह कब से विचाराधीन है? कब से पंचायत में नहीं आने देते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आने तो पहले से नहीं देते हैं। उसकी शिकायत आने पर सरपंच को नोटिस दिया था कि उनको इसके लिये क्यों नहीं हटा दिया जाये फिर लॉ डिपार्टमेंट को केस भेजा है। क्या कर सकते हैं?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मैं समझता हूँ साल भर से ज्यादा हो गया है। उसको पंचायत में नहीं आने देते हैं जबकि वह उसके लिए पंच चुना गया है तो उसको क्यों नहीं आने देते हैं और सरकार ने इसके लिए क्यों नहीं निर्णय लिया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारा तो यह निर्णय है कि उसको जाना चाहिए। हम सरपंच के रिमूवल के अलावा कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिमूवल के लिए नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नागोर पशु मेले में आयोजित प्रीतिभोज में बीकानेर के कर्मचारियों को बुलाया जाना

१४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नागोर पशु मेले में विभागीय संचालक ने कोई प्रीतिभोज का आयोजन दिनांक २०–२–५९ को किया था?

(२) क्या इस आयोजन के लिए सरकारी गाड़ियां शिकार के लिए गई व कुछ हिरन, खरगोश तथा तीतर का शिकार करके लाई?

(३) क्या यह सत्य है कि इस प्रीतिभोज के

Page No.26

(श्री मुरलीधर व्यास)

आयोजन की व्यवस्था का भार बीकानेर पुनर्स्थापन व पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को दिया गया ?

(४) बीकानेर के कर्मचारी मेले में क्यों बुलाये गये थे ?

उपमंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी नहीं । कर्मचारियों ने मेले में कार्य किया ।

(४) मेले व कैटल शो में कार्य करने के लिए बुलाए गए थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो आपने भाग १ के उत्तर में कहा, जी हां तो इस तरह से जो प्रीतिभोज का आयोजन किया गया था क्या इसमें राजस्थान के मंत्री महोदयों ने भी हिस्सा लिया था ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां लिया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह से जो अपील एन्ड कन्डक्ट रूल्स के मुताबिक कोई भी ऑफिसर पार्टी में नहीं जा सकता और अगर कोई पार्टी देता है तो वह इस कानून के खिलाफ़ है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई कानून के खिलाफ़ नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किये हैं कि कोई भी ऑफ़िसर अपने सबोर्डिनेट के यहां किसी प्रकार की दावत नहीं खाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग चीज है । यह मौका मेले का होता है वहां पर इतने ऑफिसर्स आते हैं और इतने लोग आते हैं । आप देखें कि मेले में जांय और घरों पर खाना तक नहीं खायें तो यह कैसे हो सकता है ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यह अलग सा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेले के मौके पर उचित है । मेले का मौका अलग तरीके का होता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप उचित समझते हैं कि मेले के मौके पर मंत्री महोदय अपने सबोर्डिनेट ऑफिसर्स के यहां खाना खायें ? मेले में खायें या दूसरे वक्त खायें जिस समय वे सरकारी काम पर जांय, तो क्या वह उचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें कोई अनुचित बात नहीं है । ऐसे सम्मेलनों में जहां लोग इकट्ठे हों और कोई पर्सनली खिला दे और वह बुलाये तो जाते हैं । मेहमानदारी करना कई दफा वाजिब होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि केन्द्रीय मन्त्री एस० के० डे भी उसमें शरीक थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां थे ।

श्री भैरोंसिंह : आप किस आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

कह रहे हैं कि गाड़ियां शिकार के काम में नहीं लाई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी लॉग-बुक के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि इस पर्पज़ के लिए लॉग-बुक का निरीक्षण किया गया है कि उस दिन वहां वास्तव में गाड़ी गई थी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निरीक्षण किया था सरकार ने। लेकिन हमारे राज्य की कोई गाड़ी शिकार के लिए नहीं गई।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस खाने में माननीय उपमंत्री, श्री दौलतराम जी सारण को भी आमन्त्रित किया गया था ?

श्री दौलतराम सारण जी नहीं, मैं वहां पर नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : दौलतराम जी वहां पर नहीं थे।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस खाने में तीतर, बटेर सर्व किये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, किये गए थे।

श्री मुरलीधर व्यास : जब तीतर, बटेर, हिरण इस प्रकार की चीजें की थीं तो बिना शिकार के कैसे इस प्रकार से लाये जा सकते हैं, या वे एग्ज़ीबिशन में आये थे ? इस प्रकार की चीजें खाने में थीं तो बिना शिकार के वे किस प्रकार से लाई गई थीं नागोर में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जंगल से मारकर लाये गये थे और कहां से लाये गए थे ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : उसके लिए गाड़ी किस की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्य के अलावा दूसरी गाड़ियां नहीं हैं क्या ? कई लोगों की प्राइवेट गाड़ियां थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य की गाड़ियां थीं, कौन ड्राइवर था और कौन कौन गए थे इस प्रकार से और किस ने शिकार की, ये सारी बातें सही हैं और आप कहते हैं कि राजकीय गाड़ियों का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं वह सही है और मैं कहता हूँ वह नहीं हो सकता है क्या ? आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां भी थीं और कई प्राइवेट लोग भी थे। कुछ शिकार करके लाये थे, खाने के अन्दर वे डिशेज़ भी थीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): शिकार बनाने वाले को क्या गाड़ी बुलाने गई थी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि इतना टाइम इसमें लगाया जाय।

Page No.28

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय तीतर वगैरह मारे गए थे तो वह प्रोहिबिटेड सीजन होता है तीतर के लिए। वहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद थे और आपके सामने प्रोहिबिटेड सीजन में तीतर मारकर लाया जाय तो यह ऑफेन्स आपके सामने हो रहा था और

(हंसी)

आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप बिना जानकारी के कह रहे हैं। वह प्रोहिबिटेड सीजन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह कौन सा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे रूल्स बने हुए हैं शिकार के उसमें देख लें। मैं आपको बताता हूँ कि वह नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या गाड़ी का ड्राइवर लालसिंह जो कि सरकारी ड्राइवर है वह जो गाड़ी लेकर गया था वह सरकारी गाड़ी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने एक दफा कह दिया कि वह नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : जो फैक्ट्स हैं उनको या तो आप मंजूर कर लें....

श्री अध्यक्ष : मंजूर कर कैसे लें। वे साफ मना करते हैं कि गाड़ी नहीं थी। वे निश्चित तौर से कह रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी तो निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि सरकारी ड्राइवर गया था और पुलिस का एक कॉन्स-टेबिल गया और पुलिस के कॉन्स्टेबिल ने शिकार की। इस प्रकार से चीज की जाय और यहां पर सदन में इस तरह से गलत जवाब दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : आप कैसे कह रहे हैं कि गलत जवाब है। आप तो यह मानकर ही चलते हैं कि गलत जवाब दिया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास मैं कह रहा हूँ....

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं इससे गलत कैसे मान लें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने जांच की है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने भी जांच की है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूँ ...

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं दूँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : On a point of information, Sir......

श्री भैरोंसिंह : एक अत्यन्त सार्व-जनिक हित का प्रश्न है ७५ नम्बर का श्री सतीशचन्द्रजी का....

Page No.29

श्री अध्यक्ष : नं० ७५ प्लीज़।

जयपुर के लीपर (कोढ़ी) एसाइलम में बिजली का अभाव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल [जौहरी बाजार, जयपुर—श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया] : Will the Health Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that there is no electric connection in Leper Asylum, Jaipur ? If so, why ?

2. Is it also a fact that sanction has been given for the same but papers are pending in the Electrical Department for the last three years ?

3. Is it a fact that there is no pipe line thereto and lot of money is being spent on labour bringing water from outside.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : 1. Yes, as no funds could be provided in the budget for the same.

2. No.

3. Yes, water is brought from a well for which water carts have been provided.

श्री भैरोंसिंह : कब किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्डिंग वगैरह फर्निश करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। सेन्क्शन के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा है। जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : नई बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट हो जाय उस समय तक के लिए इसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी देना अच्छा नहीं समझते क्या आप ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फन्ड्स नहीं कर सके हैं। ३०,०००) रु० इसमें था। हमने समझा कि नई बिल्डिंग होगी तो ३०,०००) रुपया ख्वामख्वाह लगाने से क्या फायदा है ?

श्री भैरोंसिंह : जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती है और उनको सब को शिफ्ट नहीं किया था तब बिजली देने में क्या आपत्ति है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नई बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। बनी बनाई बिल्डिंग की बात है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बिजली का कनेक्शन देने में फण्ड्स कितना देना होता है How much funds are necessary to give electricity to this area ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३० हज़ार रुपया उसमें लगेगा क्योंकि वह घाट दरवाजे के पास शहर से दूर है, बहुत दूर है।

मेजर श्री फतेहसिंह : Sir, the question No, 608 sent in my name on 4th September......

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न सं० ७८ पर विचार हो रहा है।

जैसलमेर के लुद्रवाजी जैनतीर्थ तक सड़क निर्माण की योजना

७८. **महाराज श्री हुकमसिंह** [जैसल-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मेर-श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:— (१) क्या सरकार को विदित है कि जैसलमेर से १० मील की दूरी पर लुद्रवाजी नामक एक प्राचीन जैन तीर्थ है जहां पर दूर दूर से बहुत यात्री आते जाते हैं तथा सड़क नहीं होने से उन्हें बड़ी असुविधा होती है, यदि हां तो क्या इसके लिए सरकार के पास कोई सड़क बनाने की योजना है? यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह सड़क अभी तक किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : यदि सरकार को जानकारी दी जाय तो क्या सरकार उसको योजना में शामिल करने का विचार रखती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका भी अपना तरीका है। अगर आप प्रपोज़ल भेजेंगे तो देखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह बात सही है लुद्रवाजी हिन्दुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कह दिया, 'जी हां,

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Question No. 608 of the last Session sent on my name for answer on the 4th of September.....

श्री अध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member not to raise a question without prior notice.

मेजर श्री फतेहसिंह : I have been chasing the Secretariat for the last two days for this and the Hon'ble Dy. Speaker who was in the Chair that day, when I approached him, told me that you would be replied to it.

श्री अध्यक्ष : The best course would be for you to come and ask me......

मेजर श्री फतेहसिंह : That is what the Hon'ble Dy. Speaker told me.

श्री अध्यक्ष : Why did you not come to me, Sir ?

मेजर श्री फतेहसिंह : He was directly concerned with that.

श्री अध्यक्ष : I will request the Hon'ble Members not to raise question like this without giving prior notice.

मेजर श्री फतेहसिंह : I will do it Sir. I have specifically done it on the advise of the Hon'ble Dy. Speaker.

श्री अध्यक्ष : I will look into this.

प्रश्न समाप्त हुए

१२ म० ५० मध्याह्न

विधायी कार्य

(राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेंडमेन्ट) बिल, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार)

क्लॉज़ ३ (Sectional 30 c)श्री शंकरलाल ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मेरे भी अमेंडमेंट हैं ।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट सब समाप्त हो गये ।

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, धारा ३० (सी) पर कल सदन में बहस हो रही थी····

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : कल इस धारा में मेरा भी संशोधन था ।

श्री अध्यक्ष : संशोधन तो अब नहीं लिया जा सकता लेकिन आप चाहें तो इस पर बोल लें ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो संशोधन पेश किये थे उनका विरोध करते हुए इस एक्ट में जो मूल धारा है, उसका समर्थन किया था और सुझाव भी रखे थे । मैं इस संबंध में अर्ज करना चाहता हूँ कि यह धारा ३० (सी) जो है वह इस बिल की जान है । सीलिंग का जो मकसद है वह इस पर ही आधारित है क्योंकि इस धारा में हम यह निश्चय करने चले हैं कि हमें सीलिंग की क्या मिकदार रखनी है । एकड़ की जो बात कही गई है वह उचित है या अनुचित है ? यह जो धारा रखी गई है उसके बारे में माननीय सदस्यों को तथा मंत्रीजी को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा ।

जहां तक यह प्रश्न है कि सीलिंग का आधार क्या होना चाहिये, इन्कम के आधार पर सीलिंग लगाया जाय या जमीन की सीमा पर लगाया जाय या प्रोड्यूस पर लगाया जाय या किस प्रकार से लगाया जाय, इस बारे में विचार करना होगा । यह सत्य है कि हमें सीलिंग लाना है और इसलिये लाना है कि जमीन पर भूमिहीन किसानों को बसाना है और जिनके पास जमीन ज्यादा है उनसे जमीन लेनी है । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा आधार क्या होना चाहिये ? हमारा आधार यह होना चाहिये कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके पास-केवल जरूरत माफिक रह जाय जिससे उनको भी घाटा न हो और जो उनके पास अधिक जमीन है उसे दूसरों द्वारा जोता जाय ऐसी व्यवस्था करनी है ।

स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में माननीय सदस्यों ने बताया कि इससे बहुत लोगों में गलतफहमी फैलेगी और किसान समझ नहीं पायेंगे कि स्टेन्डर्ड एकड़ क्या बला है ? और नाप-तौल में भी दिक्कत होगी । इसलिये १० मन गेहूँ जितनी जमीन में उपज सकता है उसको स्टेन्डर्ड एकड़ माना है । अगर किसी जमीन पर गेहूं की पैदावार न होकर दूसरे अनाज की पैदावार होती है तो कितनी पैदावार १० मन गेहूं के बराबर मानी जायगी, इसमें दिक्कत पेश आ सकती है । अध्यक्ष महोदय, वास्तव में दिक्कत है, लेकिन

(श्री शंकरलाल)

मैं समझता हूं यह दिक्कत हल हो सकती है। दूसरे माननीय सदस्यों ने जितने सुझाव सदन के समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं उन सब सुझावों में वह सुझाव जो बिल में रखा है वह उपयुक्त है। मूल बिल में यह बात कही गई कि स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह ३० एकड़ इर्रिगेटेड लैंड, ३० एकड़ सिंचाई की जमीन रख दी जाय, यदि ३० एकड़ सिंचाई की जमीन कर दी जाती है तो सिंचाई की जमीन भी, राजस्थान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की उपज या आमदनी देने वाली है। एक इलाके में ३० एकड़ जमीन में ३०० मन से ज्यादा उपज हो सकती है और दूसरे इलाके में वह ३० एकड़ सिंचाई की जमीन उससे भी कम उपज दे सकती है। हमारे यहां सिंचाई भी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं समझता हूं जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, वे अभी वर्तमान में दिल्ली में सीलिंग एक्ट पास हुआ और वहां ३० एकड़ पैरेनियल सिंचाई की जमीन को, सीलिंग का मिकदार रखा है, उसी पर आधारित यहां पर भी ये सुझाव रखे है, लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है हमारे सामने यह सवाल है कि हम एक वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण तरीके से सीमा निर्धारित करें तो मैं समझता हूं प्रोड्यूस का आधार उपयुक्त ठहरता है, क्योंकि आपका स्टेन्डर्ड एकड़ वही होगा जिसमें १० मन गेहूँ पैदा हो और वह एकड़ अब के एकड़ के बराबर ही हो ऐसी बात नहीं है। स्टेन्डर्ड एकड़ का मतलब साफ दिया है :

"...with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other presribed particulars..."

इस प्रकार से उन्होंने एरिया लिया है। चाहे वह मौजूदा एकड़ से कम भी हो सकता है यदि मौजूदा एकड़ में २० मन अनाज पैदा होता है तो वह २ स्टेन्डर्ड एकड़ के बराबर होगा और यदि मौजूदा एकड़ में ५ मन अनाज ही पैदा होता है तो इस कानून की दृष्टि से वह आधे स्टेन्डर्ड एकड़ के बराबर ही माना जायगा। जब उपज को आधार मान लेते हैं तो समान बात हो जाती है, चाहे आपकी जमीन उपजाऊ है या नहीं। इसमें यह कहने की गुंजाइश नहीं है कि फलां जमीन में ज्यादा पैदावार होती है और फलां में कम। उपज के आधार पर एकड़ मानेंगे इसलिये इसमें असमानता की बात नहीं रहती है और इस बात की शिकायत किसी को नहीं रहेगी कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

अब कन्फ्यूजन की बात आती है कि मानने में दिक्कत पड़ेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह दिक्कत इस प्रकार से हल हो सकती है कि हमारे राजस्थान में करीब करीब सभी इलाकों में सैटिलमेन्ट हो चुका है और उसके आधार पर रेन्ट तय हो चुका है। सैटलमेन्ट करते समय सारी बातों को जांच करके रेन्ट तक किया गया है मसलन जमीन की किस्म कैसी है, इसमें कितना अनाज पैदा होता है आदि। ये आंकड़े सरकार के पास मौजूद है जिससे पता चल सकता है कि किसमें कितना अनाज पैदा होता है, इसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है इसलिये अलग मशीनरी सेट अप करने और जांच करवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस समय बहुत से लोग यह धारणा रखते हैं

Page No.33

(श्री शंकरलाल)

कि १० मन का हिसाब रखा तो एक एकड़ में मान लें १० मन अनाज पैदा होता है और दूसरी जमीन में २० मन या ४० मन होता और वे लोग कहते हैं कि हमने मेहनत की है लेकिन किसानों को यह शिकायत नहीं होगी जब कि सैटलमेंन्ट का आधार रहेगा। अभी का आधार लें तो नये सिरे से यह हो सकता है कि जहां सेटलमेन्ट होने के बाद इम्प्रूवमेंन्ट किया और खर्चा करने पर प्रोडक्शन बढ़ा तो वे कह सकते हैं कि हमारी उपज ज्यादा इस कारण से हुई है और इस प्रकार की सीमा निर्धारित करते है तो हमको नुकसान होगा। लेकिन यदि आप सैटलमेन्ट का आधार लेते हैं जिस आधार पर लैंड रेवेन्यू तय हुआ था तो यह शिकायत किसी को नहीं रहनेवाली है। दूसरी तरह से मिकदार निकालने पर सरकार को और किसानों को दिक्कत आयेगी। इसमें जहां स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफ़िनेशन है उसमें 'प्रेस्काइब्ड' शब्द आया है उसके बारे में मेरा एक सुझाव है, एक माननीय सदस्य ने भी बताया था, इसमें लिखा है: "Standard acre" shall mean an area of land which, with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars..." वे कहते हैं कि प्रेस्काइब्ड पर्टिक्युलर्स के लिये अलग लॉ बनाना पड़ेगा। उसके बाद कहते "...is found in the prescribed manner..." किस मैनर में करेंगे। फिर आगे आया है: "...to be likely to yield 10 maunds of wheat yearly ; and in case of land not capable of producing wheat, the other likely produce thereof shall, for the purpose of calculating a standard acre, be determined according to the prescribed scale so as to be equivalent in terms of money value to 10 maunds of wheat..."

यह जो "प्रेस्काइब्ड" शब्द आया है उससे लोगों को भ्रान्ति हो रही है और इससे दिक्कत पेश आयगी। मैं समझता हूं "प्रेस्काइब्ड" शब्द की जरूरत नहीं रहेगी जबकि स्टेन्डर्ड एकड़ वह रहेगा जिस के अन्दर सैटलमेन्ट के अनुसार जमीन पर इतना पैदा होता है और जिसके आधार पर लैंड रेवेन्यू सरकार ने तय किया है, इसमें सेटलमेन्ट का रेफरेन्स देकर ठीक किया जाय तो सरकार को "प्रेस्काइब्ड मैनर" करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सैटलमेन्ट के वक्त तय कर रखा है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रोविज़ो है उसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इस बारे में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोविज़ो है, यह वास्तव में भ्रान्ति में डालने वाला है। पहला प्रोविज़ो है, उसमें यह है कि जहां पर फेमिली की संख्या पांच से ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर एडीश्नल मेम्बर के साथ रेशियो इन्क्रीज होता जायगा। लेकिन यह नहीं बताया है कि कितनी जमीन पर हैड इन्क्रीज करेंगे। सिर्फ यह बताया है कि वह ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा नहीं जायगी। मैं समझता हूं कि इससे गलतफहमी होगी। यदि पांच के बाद छठा आदमी आता है, तो उसके लिए और कितनी जमीन देंगे, यह स्पष्ट नहीं है। आगे जाकर आपने ६० स्टेन्डर्ड एकड़ तय कर दिया

(श्री शंकरलाल)

है। इन दोनों बातों से फेमिली पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही सारे प्लानिंग और योजना पर भी प्रभाव पड़ता है। वह इस प्रकार पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि फेमिली में पांच आदमी हैं, हस्बेन्ड, वाइफ और थ्री चिल्डरन और ग्रान्ड चिल्डरन। जैसा इसमें बताया है, ग्रान्ड चिल्डरन को भी माना है, अब ग्रान्ड चिल्डरन पांच भी हो सकते हैं। यदि एक किसान के पांच लड़के हुए, वे फेमिली में माने जायेंगे। अब एक एक लड़के के अगर तीन तीन लड़के हुए तो वे सब करीब १९ हो जाते हैं। आप कहेंगे कि ६० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन देंगे। यह ६० स्टेन्डर्ड एकड़ की जो मिकदार आपने तय की है, उससे क्या होता है कि लोगों को यह करना पड़ेगा कि वे अपनी फेमिली को तोड़ें। मेरी समझ में कानून की यह मन्शा नहीं है, जो जोइन्ट फेमिली का सिस्टम चला आ रहा है, जिसको कोआँपरेटिव का दूसरा रूप समझ लें, उसको कानून के जरिये से तोड़ें। लेकिन जब आप ६० स्टेन्डर्ड एकड़ की मिकदार तय कर देते हैं तो लोगों को जोइन्ट फेमिली को तोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं तोड़ेंगे तो उनके सामने और कोई चारा नहीं है। इसलिए ६० स्टेन्डर्ड एकड़ तय न करके पर हैड जमीन बढ़ा दी जाय। जिस प्रकार आपने पांच के लिए ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन रखी है, यदि छठा व्यक्ति बढ़ता है तो ३० एकड़ के बजाय ३५ एकड़ हो जाय, पांच एकड़ पर हैड इन्क्रीज हो जाय। क्योंकि जो आप सीलिंग तय करते हैं, उसके लिए ही है, फ्यूचर के लिए नहीं है। इस वक्त कई फेमिली २० आदमियों की है, और सब लोग शामिल रह रहे हैं ऐसी कई फेमिलीज हैं, जिनमें २० मेम्बर हैं, आप २० मेम्बर को ६० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन देंगे, जब कि पांच मेम्बर हैं तो आप ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन देते हैं। इस कारण वे कानून बनने से पहले की तारीख बतायेंगे कि फलां तारीख से अलग अलग रह रहे हैं, और अलग अलग मकान हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वे लोग न्याय पाने के लिए अन्याय का सहारा लेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। जब सीलिंग ला रहे हैं तो ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग शामिल रह रहे हैं, उनको अलग अलग रहने का तरीका न ढूंढना पड़े। इसलिए जो आपने ६० एकड़ की सीमा रखी है, उसको हटाना चाहिए और पर हैड, जिस प्रकार फेमिली के मेम्बर बढ़ें, उसी प्रकार जमीन मिलनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लास्ट प्रोविजो रखा है, कि किसी भी हालत में सीलिंग ऑर्डिनरी एकड़ से कम न होगी, यह और भी भ्रान्ति बढ़ा देता है। एक जगह आप कहते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रहेगा, यह ऑर्डिनरी एकड़ जगह जगह अलग प्रकार की है। अब यदि ३० ऑर्डिनरी एकड़ ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम हो सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिये कि ३० ऑर्डिनरी एकड़, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा होते हैं, हमारे यहां कई इलाके ऐसे हैं जहां एक एकड़ में २० मन गेहूँ पैदा होता है, इस प्रकार ३० ऑर्डिनरी एकड़ में ६०० मन पैदा होगा। जब कि हमने ३०० मन की सीमा निर्धारित की है और एक एकड़, स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन गेहूँ की पैदावार मानते हैं। यदि ऐसा

(श्री शंकरलाल)

मानते हैं तो ३० ऑर्डीनरी एकड़ कहते हैं। लेकिन कई जगह ऑर्डीनरी एकड़ ऐसे हैं जहां एक एकड़ में १० मन से ज्यादा उपज होती है, इस प्रकार सीलिंग की मिकदार बढ़ जायगी और असमानता की बात आयेगी। लोग कहेंगे कि सरकार ने असमानता रखी है। जहां ज्यादा उपज होती है, उसका सरकार ने ध्यान नहीं रखा और हमारे साथ अन्याय हुआ है क्योंकि हमारी कम सीमा निर्धारित हुई और उनकी ज्यादा हुई। यह जो क्लॉज है, यह काफी कन्फ्यूजिंग है और जो माननीय सदस्यों ने इस पर विचार रखे हैं, वे ठीक हैं और जो ऑर्डीनरी एकड़ रखा है, उसमें से ऑर्डीनरी शब्द हटा देना चाहिये और ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ही रखना चाहिए, जिससे कि भ्रान्ति न हो, जिससे सन्देह न हो और सब लोगों को न्याय मिले।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा था कि जो और सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे, वे उपयुक्त नहीं ठहरते, जैसे इर्रिगेटेड एकड़ के लिए बताया कि इसको तय करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिये, कि पहली सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ४००० की इन्कम मानी गई, इसके बाद ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा और १० मन की उपज एक एकड़ में मानी गई और ३०० मन की उपज मानी गई। मैं निवेदन करूं कि अभी तो गेहूँ के भाव ज्यादा हैं, लेकिन १२ रु०, १५ रु० मन से भाव कम होने वाले १० वर्ष में भी नहीं हैं। इसी प्रकार फेमिली की संख्या जहां पहले आपने सात रखी थी, वहां अब पांच रखी है। इस प्रकार यह काफी लिबरल कानून है, और मैं समझता हूँ कि किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। सिर्फ यह अवश्य है कि जो प्रोविजो रखा गया है, उससे भ्रान्ति हुई है, जो स्टेन्डर्ड एकड़ प्रेस्का-इब करने का मैनर रखा है, उससे लोगों में कुलबुलाहट हुई है, कैसे प्रेसक्राइब करेंगे कौनसी मशीनरी होगी, सरकारी लोग ग्रामीणों को दबायेंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा, इस भ्रान्ति को मिटाने के लिए मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनके आधार पर सैक्शन को रीवर्डेड किया जाय और फिर बिल में रखा जाय, इसके साथ ही ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा जाय, इससे अपना मकसद पूरा हो जाता है। इस मकसद के साथ ही साथ जिन लोगों से आप जमीन ले लेंगे और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जितनी जरूरत है, उतनी दे देंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह २० स्टेन्डर्ड एकड़ कर दिया जाय, १० स्टेन्डर्ड एकड़ कर दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, मैं उन संशोधनों का विरोध करता हूँ क्योंकि हमारा यह मकसद नहीं है कि जिनसे जमीन लेकर इस प्रकार बांटी जाय, जिनसे जमीन ले रहे हैं, वे गरीब हो जायं। जिस आदमी की जितनी जरूरत है, उतनी जमीन उसके पास रहे।

समाजवाद का मतलब एक माननीय सदस्य ने बताया कि इन्डिविजुअल को देख कर हिसाब लगाया जाय कि कितनी पोपूलेशन है और कितनी जमीन है, उस हिसाब से पर हैड कितनी जमीन आती है, इस प्रकार समा-नता से बंटवारा कर दिया जाय। मैं कहूँगा कि यह समानता से बंटवारा नहीं कहलायेगा, जिसके पास ज्यादा जमीन है, उससे आप ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लैंडलैस को देनी है, तो इस प्रकार न तो, आप लैंडलैस को सेटिसफाई कर सकेंगे और न उसको जिससे,

(श्री शंकरलाल)

जिसकी जितनी जरूरत थी, उससे आप जमीन ले लेते है, इसके विपरीत एक समस्या पैदा हो जायगी जीवन की। दोनों तरफ की समस्या मिटाने के लिए यह कार्य करते हैं तो एक नई समस्या पैदा हो जायगी और वह यह है कि जिससे जमीन लेते हैं वह गरीब हो जायेगा और जिसको आप जमीन दे रहे हैं, उसको जीवन निर्वाह के लिए आप पूरा साधन नहीं दे सकेंगे।

एक माननीय सदस्य ने इन्डस्ट्रिलाइजेशन की बात कही थी, मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि आगे भी जो समय आने वाला है, उससे पहले आप तमाम जमीन बांट देंगे और जो जमीन है वह आखिर बढ़ने वाली नहीं है। आज आप लैंडलैस को टिनेन्ट बना देंगे, लेकिन मैं निवेदन करूं कि लैंडलैस व्यक्तियों का अन्त नहीं होने वाला है, ज्यों ज्यों पॉपूलेशन बढ़ती जायगी, मैं निवेदन करूं कि रोज जो हजारों बच्चे पैदा होते है, उन सबको आप लैंडलैस टिनेन्ट समझ लीजिए। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अगर इसके अनुसार आप जमीन का बंटवारा करते जायेंगे तो कैसे आपकी इकोनोमिक होल्डिंग रहेगी। आखिर सीलिंग इसलिए ला रहे हैं कि जितना हो सके हम लोगों को लैंड दें। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्डस्ट्रिलाइजेशन को भी बढ़ाना चाहिये, ताकि जो लैंड पर प्रेशर है, जो आज जमीन ही जमीन दिख रही है, और जमीन का बटवारा करने की बात सोचते हैं, तो जब जमीन का बंटवारा हो जाय, तो जैसे मैंने निवेदन किया कि आखिर पोपूलेशन तो बढ़ने वाली है, तो आप का लोगों का डाइवरशन इन्डस्ट्रिलाइजेशन की तरफ करना पड़ेगा। उनके जीविकोपार्जन के लिये दूसरे आवश्यक धन्धे खोलने पड़ेंगे, जिसके अन्दर लोग काम करें और बस जायं। केवल लैंड लैस टिनेन्टस का नारा लगाने से और सीलिंग लागू कर देने से ही समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि सीलिंग का कानून पास करने के साथ ही साथ इस समस्या का भी हल हो सकेगा, तब लोग बस सकेंगे। हमारी जो मुख्य समस्या है, वह यह है कि जिनके पास धन्धे नहीं हैं, उनको धन्धों में लगाया जाय, मैं समझता हूँ कि इससे समस्या हल नहीं होने वाली है, कुछ थोड़ी समस्या हल अवश्य होगी लेकिन पूरी समस्या को हल करने के लिए दूसरे धन्धे खोले जायं और लोगों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट किया जाय। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो ३० सी धारा में मैंने सुझाव रखे हैं, उनको इसमें रखा जाय तो यह समस्या हल हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ३०-सी. पर वैसे तो मैं सांचोर से आपने वाले माननीय सदस्य के एक संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इस धारा में मेरी दृष्टि से जो त्रुटियां रह गई हैं और जिनके ऊपर सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं इस संबंध में भी मैं अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, इस धारा ३० सी के अनुसार ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण सीलिंग लागू करने में, सीलिंग लॉ लागू किया जाय इस प्रकार का है। लॉ

(श्री भैरोंसिंह)

सीलिंग लागू किया जाय इस सम्बन्ध में सदन में कल कुछ भाषण हुए और उन भाषणों में विशेष तौर पर समाजवाद का मंथन किया गया। समाजवाद क्या है और उसकी कौन सी परिभाषा ऐसी हो सकती है जो हर क्षेत्र के अन्दर एप्लाई की जा सके, इस संबंध में मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्व का कहीं का भी समाजवाद उठा कर देखा जाय तो हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि समाजवाद क्या है ? जो भी समाजवाद की व्याख्या करेगा वह अपनी दृष्टि में किस प्रकार का वाद समाजवाद हो सकता है, उस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था की पुष्टि करते हुए वैसा समाजवाद लाने की कोशिश करेगा।

कल दो प्रकार के समाजवादी दृष्टिकोण हमारे सामने आये। एक समाजवादी दृष्टिकोण था लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का, लैंड डिस्ट्रिब्यूशन इस तरह से किया जाय कि जो ज़मीन की हंगर है, जो ज़मीन की भूख है वह उस ज़मीन के वितरण से मिट जाय। उस भूख को मिटाने के लिए जो वितरण का तरीका बताया, उसके आधार पर जो ज़मीनें ली जायेंगी, और ज़मीनें ली जाने के बाद जो बंटवारा होगा उसके बारे में जो उन्होंने एक पद्धति बताई कि सबसे पहले जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स वाले टिनेन्ट्स हैं, उनको ज़मीन बांटी जाय। इस प्रकार के बंटवारे के बाद जो ज़मीन बचे वह लैंडलेस टिनेन्ट्स को बांटी जाय। एक समाजवादी दृष्टिकोण तो यह दिया कि १५ एकड़ फी परिवार के हिसाब से ज़मीन बांटी जाय, इस बंटवारे के बाद जो ज़मीन बचे वह ज़मीन लैंडलैस लेबरर्स को दी जाय। यह किस प्रकार का समाजवाद है, सदन स्वयं इस बात का अन्दाज लगाले।

दूसरा समाजवाद हमारे सामने आया कि व्यक्ति के जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी गरीबी, जितने साधन हैं, उन सब साधनों का इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाय। यह दूसरे प्रकार का समाजवाद हमारे सामने विचार के लिए प्रस्तुत हुआ।

मैं समझता हूँ हमारी आर्थिक स्थिति के अनुकूल ये दोनों समाजवाद नहीं हैं। हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक ढांचा और बाकी की जितनी परिस्थितियां हैं वे इस प्रकार की हैं कि यदि इन दोनों ढांचों में से किसी एक ढांचे में भी किसान को फंसाने की कोशिश करेंगे, समाजवाद के इन दोनों ढांचों में से किसी भी एक ढांचे में किसान को फिट-इन करने की कोशिश करेंगे तो किसानों की हालत नहीं सुधर सकेगी और यदि किसानों की हालत नहीं सुधरती है तो सरकार की स्थिति भी नहीं सुधर सकती।

जहां यह प्रश्न आता है कि ज़मीन का बंटवारा करते हैं और उसमें यह दृष्टिकोण हो कि एक आदमी से ज़मीन छीनी जाय और दूसरों को दी जाय तो यह निश्चित है कि जिस व्यक्ति से ज़मीन छीनी जा रही है, उसके जो साधन थे, वे साधन कम होंगे और जो नैसेसिटीज ऑफ लाइफ थीं वे कम होंगी और उस कमी का बंटवारा सब में कर दिया जायगा तो मुझे भय है कि यह तो उस अंग्रेजी कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश होगी कि Rob Peter to feed Paul किसी एक आदमी को इस लिए लूटें कि दूसरे आदमियों को वह बांटना है। यह तो

(श्री भैरोंसिंह)

ठीक वही हुआ कि एक डाकू एक आदमी का सामान लूट कर गरीबों में बांट कर कहे कि मैं एक व्यक्ति के पास एकत्रित सम्पत्ति का गरीबों में वितरण करता हूँ, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। एक लुटेरे की हैसियत से नहीं, बल्कि प्रजातन्त्र में हमें अधिकार दिये हैं, उनके द्वारा ज़मीन लेकर ऐसे लोगों को बांटे जो वास्तविक अधिकारी नहीं हैं। हम सोशियल जस्टिस के नाते यह अधिकार मानते हैं कि इतनी डिस्पेरिटी नहीं हो कि एक आदमी के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हों कि उसकी सारी व्यवस्था पूंजीवाद व्यवस्था हो जाय। तो हम यह भी नहीं चाहते कि उसके रिसोर्सेज को इस तरह से कर्टेल किया जाय कि पूंजीवाद तो गया चूल्हे में, वह भी गरीब हो जाय। पूंजी का वितरण करना है तो जिसके पास पूंजी है, ज़्यादा पूंजी है, उसके पास से पूंजी लेने के बाद कम से कम इतनी पूंजी तो उसके पास बची ही रहे कि वह अपनी लाइफ़ की नैसेसिटीज़ को पूरी कर ले। इतनी पूंजी उसके पास रखने के बाद जो पूंजी बच जाती है उससे दूसरे परिवारों को सहायता दी जाय।

पर यह स्थिति बिल्कुल भिन्न है, ३० एकड़ भूमि एक परिवार को देने का रखा गया है और एक स्टेन्डर्ड एकड़ उसको माना गया है जिसमें १० मन गेहूं पैदा हो। १२ रु० मन के भाव से १० मन गेहूँ की कीमत १२०.रुपया होती है और इस तरह ३० एकड़ ज़मीन में पैदा हुए गेहूँ की कीमत ३६०० रुपया होती है। तो इसके माने यह हुए कि इस प्रकार की व्यवस्था कर के हम चाहते हैं कि किसानों की मेग्ज़िमम इंन्कम, जो रिसोर्सेज हम उनको कानून के द्वारा देने जा रहे हैं उनके जरिये, दूसरे रिसोर्सेज से और कुछ हो वह बात अलग है पर इस कानून के द्वारा जो रिसोर्सेज़ हम उन्हें देने जा रहे हैं उनके जरिये किसानों की आमदनी ३६०० रु० सालाना से ज़्यादा नहीं हो जाय। ऐसे कितने किसान होंगे जिनकी ३६०० रुपया सालाना के लेवल पर आमदनी लायेंगे? जिन किसानों में ज़ीमनें बांटेंगे उनके अनुपात से जिनकी ज़मीनें छीनी जायेंगी, उनका नम्बर कम रहता है तो कोई बात नहीं पर हम यह सिद्धान्त मुकर्रर कर रहे हैं कि किस सिद्धान्त से ले जांय। तो यह सिद्धान्त रखा जाता है कि एक किसान की आमदनी ३६०० रुपया रहे, इससे ज़्यादा नहीं।

यहां प्रश्नोत्तर काल में कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन ६० परसेंट होता है, जहां लिफ्ट इर्रिगेशन होता है वहां ५० पर्सेन्ट से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन होता है और कई बार ६० पर्सेन्ट हो जाता है। इस पर अच्छी तरह से विचार करें और इस स्थिति पर पहुंचे कि ६० प्रतिशत कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन होगी तो जो ३६०० रुपयों की आमदनी मुकर्रर की है वह ५० प्रतिशत रिडक्शन के कारण १८०० रुपया प्रतिवर्ष ही रह जाती है। ५ आदमियों का एक परिवार माना गया है, १८०० रुपया प्रतिवर्ष को आमदनी के हिसाब से इस परिवार की मासिक आमदनी १५० रुपया प्रति माह हुई और इस हिसाब से ५ आदमियों का एक परिवार होने के कारण एक किसान की मासिक आमदनी ३० रु० हुई।

यदि हमारा यह दृष्टिकोण हो कि भारत

(श्री भैरोंसिंह)

के किसान की, कृषि प्रधान देश के एक किसान की आमदनी ३० रुपया माहवार की जाय तो मैं कहूँगा कि एक तरफ तो यह हमारी अर्थ नीति है, कृषिनीति है, उसका दिवालियापन है और दूसरी तरफ कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं सके हैं कि जो डिस्पेरिटीज़ पैदा हुई हैं, उनको किस तरह से कम किया जाय। लेकिन यहां एक दृष्टिकोण यह भी आयेगा कि यदि हमारे ३० एकड़ को बढ़ा कर ज़्यादा कर दिया तो जिन लोगों को ज़मीन मिलनेवाली है, नहीं मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिद्धान्त को बिलकुल स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे यहां की पोपुलेशन बढ़ती जा रही है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यहां की सारी की सारी पोपुलेशन यह समझ कर बैठे कि हमारे लिए पर्मानेन्ट लिवलीहुड के रिसोर्सेज लैंड ही हैं तो उनकी यह मान्यता, मैं कहूँगा कि देश के लिए घातक सिद्ध होगी। आप इसके लिए कानून बना रहे हैं। मगर इसके लिए मैं किसी और को ज़िम्मेदार नहीं बना सकता और न समझता हूँ। मैं इन सारी बातों के लिए सरकार को ही ज़िम्मेदार समझता हूँ। सरकार को जितनी एम्प्लॉयमेंट पोटेनशियेलिटी लोगों की बढ़ानी चाहिये, नहीं बढ़ा सकती है और जब सरकार यह नहीं कर सकती है तो सरकार ने सब लोगों को ज़मीन के लिए लोभ दिया और लोगों को कहा कि तुम्हारी जिन्दगी तभी खुशहाल रह सकती है जब तुम्हारे पास ज़मीन हो। कल जिस समय हरिजनों का प्रश्न आया तो यह कहा जाता है कि ज़मीन कम बचेगी हरिजनों को नहीं मिलेगी और कई दूसरे लोगों को नहीं मिलेगी। मगर ज़मीन मिलने से पहले हमको यह सोचना होगा कि जो लोग पहले धन्धा करते थे, जिनका हेरेडिटरी प्रोफेशन था, वह धन्धा चलता नहीं है और वे लोग अपने हेरेडिटरी धन्धे को छोड़कर दूसरा धन्धा करते हैं उसका कारण क्या है ? इसका यह कारण हो सकता है कि जो धन्धा वे करते थे उससे उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना मिलना चाहिये और वह क्यों नहीं मिलता इसका कारण यह है कि उनके लिए कोई मार्केट नहीं मिलता है इसलिए उन्होंने अपने धन्धे को वोलेन्टरीली छोड़ दिया और दूसरे धन्धे करने लग गये। इसका और भी कारण है कि बहुत से पूंजीपतियों ने रुपये इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन चालू कर रखा है और उसको हमारी सरकार रोक नहीं सकती क्योंकि हमारी सरकार का राजनैतिक आधार उन पूंजीपतियों पर ही निर्भर है। सरकार को चाहिये कि गरीबों के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और उनकी प्रोडक्शन के लिए मार्केट उपलब्ध करे। मगर ऐसा यह सरकार नहीं कर रही है। अब यह जो नीति है और सरकार की कमी है उसको हम किसानों पर थोपना चाहते है। और किसानों से ज़मीन छीनना चाहते हैं। मैंने कल भी जिस समय चर्चा हो रही थी कहा था कि किसानों के पास १०–१५ हजार बीघा ज़मीन है और मैं कभी इस बात का हामी नहीं हूं कि उन किसानों के पास जिनके पास १० और १५ हजार बीघा ज़मीन है, रहे। मैं यह चाहता हूं कि उनसे जमीन ली जाए। अगर वे लोग पहले ही सरकार को अपनी ज़मीन वोलेन्टरीली सरेन्डर कर देते तो

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को यह स्लोगन देने की आवश्यकता नहीं रहती कि लैंड हंगर बढ़ रही है और यह परिस्थिति पैदा नहीं होती जिससे हम लो सीलिंग करते। चूंकि उन्होंने पहले से ज्यादा ज़मीन को सरेन्डर नहीं किया इसलिए दुनियां की नज़रों में ऐसा आने लगा कि जिनके पास ज्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन छीनी जावें। अब यह देखना है कि केवल हम उन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं जिनके पास ज़मीन ज्यादा है। अगर हम उनसे लेकर दूसरों को देकर उनकी भूख बुझाना चाहते हैं तो यह बुझ नहीं सकती। इसका प्रभाव उन लोगों पर ही नहीं जिनके पास ज्यादा भूमि है बल्कि किसानों पर भी पड़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश का आर्थिक युनिट अपने आप से खत्म होता है। ऐसी हालत में मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि जिन कारणों से यह लो सीलिंग लाने की भावना पैदा की जा रही है वह राजनैतिक दौड़ के कारण है। हमारे देश में एक प्रकार की राजनैतिक दौड़ लग रही है। इसकी उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई है वह है मार्क्स वाद की थ्योरी। मार्क्स वाद की थ्योरी से इसकी उत्पत्ति हुई है। आज सत्तारूढ़ दल एक प्रकार की दौड़ में लगा हुआ है वह एक प्रकार का प्रोग्रेसिव स्लोगन देना चाहता है। आज वह समाजवाद को छोड़कर राजनैतिक दौड़ में लग रहा है। आज राजनैतिक रेस चल रही है आज उनके दिमाग में इस प्रकार की थ्योरी है जो समाजवाद की है Heads you lose, tails win वह चलती आ रही है। समाजवादी यह चाहते हैं कि लो सीलिंग आवे, अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज हों, जिससे किसान अपने आप को हैपी फील न करें और आपस में सरकार और किसानों में तनाव पैदा हो और वे लोग बगावत करें और इससे वे अपना संगठन मजबूत बनावें और किसानों की ताकत से वे सरकार को समाप्त करें और डेमोक्रेसी को खत्म किया जावे। अगर कोई यह चाहे कि हमारे यहां पर लो सीलिंग लागू किया जावे तो मैं यह कहूंगा कि वह किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितनी लैंड अवेलेबल हो उस पर हमको देखना होगा। राजस्थान में कोई नहीं कह सकता कि अन-इकोनोमिक होल्डिंग बनाया जावे। जितने लैंडलैस लेबर है उनको धंधा जब तक नहीं दिया जावेगा, यह समस्या हल नहीं होगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कि क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, शायद और लोगों के बराबर नहीं लेकिन मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो लोग आज से कुछ समय पहले कभी मजदूरी नहीं करते थे अपना ही धन्धा करते थे वे सब लोग आज मजदूरी करते हैं। पहले नाई जो हजामत बनाने का धन्धा करता था वह भी मजदूरी करता है। छीपा, मनियारा और राजपूत सभी आपको मजदूरी करते हुए मिलेंगे। जितने भी दूसरे प्रोफेशन करनेवाले गांव में थे, आज आपको एग्रीकल्चरल लेबर देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि आप उनको माकूल मेहनताना दें। यह सब इसलिए कि उनका धन्धा छीन लिया गया है और इससे वे बेकार हो गये हैं। सवाल तो यह है कि जो लोग बेकार हो गये हैं उनको काम पर लगाया जावे। मैं यह कहूँगा कि जमीन देने से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वास्तव में लोगों को काम की भूख है न कि जमीन की

(श्री भैरोंसिंह)

भूख। लैन्ड हंगर नहीं है बल्कि उनको हंगर है। हिन्दुस्तान में वास्तविक हंगर है। अगर उसको पूरा करने के लिये दूसरे साधन जुटाये जावें, उनको किसी मिल में या किसी कॉटेज इन्डस्ट्री में या किसी और वर्कशॉप में खड़ा कर दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में वे ज़मीन के बजाय दूसरे स्थानों पर काम करना ज्यादा पसन्द करेंगे और लो सीलिंग में कोई भी इन्टेलिजेन्ट प्रोग्रेसिव और वैल एजुकेटेड किसान काम करना पसन्द नहीं करेगा। आज सभी लोग कहते हैं कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं। किसी के पास एक बीघा, किसी के पास दो और किसी के पास ३, ४ या ५ बीघा हैं और इनसे उनका पूरी तरह से गुज़ारा नहीं हो सकता है फिर भी वे लोग खेती से चिपके हुए हैं। इसका एक मूल कारण यह है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन नहीं है। जब तक उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन नहीं मिलता तब तक वे ज़मीन पर चिपके रहते हैं। आज जितने भी अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले काश्तकार हैं उनको सरकार दूसरे काम देकर देख ले, उनको ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन दे कर देखले। वे ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन को ज्यादा पसन्द करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि सेन्ट पर्सेन्ट नहीं तो कम से कम ६० पर्सेन्ट से ज्यादा लोग अनइकोनोमिक होल्डिंग को छोड़ कर दूसरे कामों में चले जावेंगे। लेकिन हमारी सरकार हर समय एम्प्लोयमेंट पोटेन्शियलिटी के लिये कहती है कि कोटेज इन्डस्ट्रीयज़ खोल रहे हैं और दूसरे इन्डस्ट्रीयल वर्क खोल रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना भी निकल गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी गई, हर वक्त यही कहा जा रहा था, कि लोगों को धन्धा नहीं मिलता है उसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। मगर प्रत्यक्ष में कोई कार्य दिखाई नहीं देता और कोई प्रगति इस दिशा में नहीं हुई। हमारे यहां इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे यहां पर पेट भरने की समस्या हो रही है। इसके लिये उन्होंने यह स्लोगन दिया कि बड़े बड़े किसानों के पास ज्यादा ज़मीन है उसको बांटो और खाओ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस स्लोगन के पीछे जमीन बांट ली गई और ज़मीन को बांट कर लोगों की भूख की समस्या का हल किया गया तो हमारे पास यह क्या गारन्टी है कि इससे समस्या हल हो जावेगी। हमने ज़मीन बांट दी। सीलिंग केवल एक बार हो रहा है। हमने ३० एकड़ से नीचे लोगों को बांट कर आमदनी निर्धारित कर दी। कौन इस बात की गारन्टी लेता है कि आगे पोपुलेशन नहीं बढ़ेगी। आज हम जो कार्यवाही कर रहे हैं वह वर्तमान पोपुलेशन पर कर रहे हैं। जो उपस्थित है, उस उपस्थित पोपुलेशन के बेसिस पर लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलते हैं तो नेक्स्ट इयर ही बढ़ी हुई पोपुलेशन की समस्या होगी, उसका इलाज क्या है ? इसके लिए कहां से जमीन लावेंगे ? सरकार की ओर से यह एश्योरेन्स मिलता है कि सीलिंग एक बार ही आवेगा तो फिर इस दृष्टि से तो यह प्रश्न और यह एश्योरेन्स थोथा पड़ता है। यदि दो बार आगया तो पोपुलेशन का प्रश्न पैदा नहीं होगा.....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : आपका अनुकरण करेंगे तो यह पोपुलेशन की प्रोब्लम कैसे पैदा होगी ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन करते भी नहीं है। मेरे से विपरीत आचरण करते हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस सारी स्थिति में हमें भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, वर्तमान परिस्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा कसानों की स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा और केवल पोलिटिकल रेस में स्लोगन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को बेसिस मान कर ३६००) रु० की वार्षिक आमदनी रखी है और जिसको सोशियल जस्टिस का दृष्टिकोण कहा गया है। मैं उसको दो बातों के आधार पर चुनौती देता हूँ। इस एक्ट में दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था तो यह रखी गई है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम ज़मीन में भी पैदावार बढ़ती है तो ज़मीन कम नहीं की जावेगी। मसलन राजस्थान में दो जगह ऐसी हैं, एक तो गंगानगर और दूसरी उदयपुर में कुम्भलगढ़, और भी हो सकती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि इन दो अच्छी जगहों में ३० आॅर्डिनरी एकड़ से ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के बराबर पैदावार कोई लाना चाहे तो उनकी आमदनी कम नहीं की जावे और नहीं उनकी ज़मीन कम की जावे। एक तो यह व्यवस्था की है और आगे जाकर एक धारा से एग्ज़ेपशन्स की व्यवस्था की है उसको कैसे मानें, यह आगे जाकर आवेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो सोशियल जस्टिस का दृष्टिकोण है वह इन बातों के आधार पर नहीं टिकता है। जहां सोशियल जस्टिस करने का दृष्टिकोण है तो फिर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और न कोई डिस्पेरिटी ही होगी। जो आदमी पैसा ज़मीन के अन्दर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रेक्टर मशीन और कोई खर्चा लगा कर इम्प्रूव कर दे या यों कहिये कि कोई केपिटल इन्वेस्टमेंट कर दे वह आदमी तो एग्ज़म्पटेड है और बाकी के नहीं जो कि इस प्रकार से कोई खर्चा न कर सकें। सोशियल जस्टिस के आधार पर यह दृष्टिकोण सरकार बना कर चलती है और इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है वह गलत है। यदि सोशियल जस्टिस ही सरकार देना चाहती है और केवल सरकार का सोशियल जस्टिस देने का ही एक दृष्टिकोण है, तो फिर सोशियल जस्टिस के आधार पर ज़मीन बराबर बांटी जाय। सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकता कि ज़मीन का बराबर बराबर बंटवारा किया जाय। इसका मतलब यह होगा कि देश के प्रोडक्शन को घटाया जाय और इसका मतलब यह भी होगा कि देश की सारी जनता को फांसी लगाई जाय। सोशियल जस्टिस को कहीं बीच में से पकड़ लिया, और कहीं पकड़ लिया और सोशियल जस्टिस करने के लिए चले हैं तो ऐसा सोशियल जस्टिस नहीं चल सकता। यदि सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं तो अरबन एरियाज़ में जितनी केपिटल है उसके लिए भी सोशियल जस्टिस करना पड़ेगा। जब रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप समाजवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी बन जाते हैं, वहां रूरल एरिया में आपके सामने सोशियल जस्टिस करने का दृष्टिकोण रहता है और अरबन एरिया में केपेटेलिस्ट मेन्टेलिटी के हो जाते हैं। यदि वास्तव में आप इनकम की डिसपेरिटी को समाप्त करना चाहते हैं तो शहरों के लिए जो केपेटेलिस्ट मेन्टेलिटी है और जिसको आप लाना चाहते हैं उसको खत्म करना चाहिये, रूरल और अरबन एरिया को

(श्री भैरोंसिंह)

समानान्तर रूप में लाना चाहिये, जिससे सामाजिक जीवन में विभिन्नता दृष्टिगोचर न हो और रूरल एरिया के व्यक्ति भी समाज में आगे बढ़ सकें। लेकिन आपकी शहरों के लिए दूसरी नीति है और बाहर गांव वालों के लिए दूसरी नीति है। बाहर गांवों में पैसा खर्च कर देता है उसके लिए तो एग्ज़म्पशन्स और दूसरों के लिए नहीं जो कि पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि कई जगहों पर एग्ज़म्पशन्स जरूरी हैं। ३० ऑर्डिनरी एकड़ में हो तो उसकी एक यूनिट बना कर रखें या नहीं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Mr. Speaker, Sir, I think we are not discussing the clause relating to exemptions and the Hon'ble Member should confine himself to the clause under discussion. He is going much ahead, three clauses ahead.

श्री भैरोंसिंह : मैंने दो बातें रेफरेन्स में कहीं थीं और यह कह दिया था कि वह क्लॉज़ आगे आने वाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह फर्मा दिया कि आगे आने वाला है लेकिन बहस जारी है उस पर and you are discussing exemptions here.

श्री भैरोंसिंह : पासिंग रेफ़रेन्स की दृष्टि से ही चर्चा कर रहा था। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि ३० ऑर्डिनरी एकड़ और ३० स्टेन्डर्ड एकड़ में जो डिस्क्रिमिनेशन रखा है वह आगे चलकर किन्हीं सूरतों में आवश्यक भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के एक कम्पैक्ट यूनिट, और उसको फ्रेग्मेंट करने के नाते प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ता है तो एक रेंज के हिसाब से युनिट बनी हुई है उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा और सिक्योरिटी पॉइन्ट ऑफ व्यू के नाते भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार से सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन यहां किस प्रकार से फिट इन होता है यह निवेदन करना चाहूँगा। उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि एक एकड़ की आमदनी १८०) होनी चाहिये और यदि एक एकड़ पर इतनी आमदनी होगी तो उसका मतलब होगा किसान की वार्षिक आमदनी ५४००) रु०। मैं उनको तुलना नहीं करता जो किसानों के बराबर प्रोफेशन करने वाले हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि बाकी के वादविवाद करते हैं वे किस प्रकार की आमदनी में विश्वास करते हैं, मैं यह भी नहीं कहता कि कानून बनाने वाले हैं उनका लो इन्कम में विश्वास है। सबका दृष्टिकोण यही होना चाहिये कि इन्कम बढ़े लेकिन अन्तर इतना सा है कि वह सब पर व्यापक रूप से लागू हो। ऐसा ही होना भी चाहिये। यदि ऐसा दृष्टिकोण है कि हमारी आमदनी बढ़े और बाकी की न बढ़े तो वह दृष्टिकोण नहीं चल सकता। वैसा दृष्टिकोण लाने के लिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि किसान की ५४००)की आमदनी कोई, किसी प्रकार भी ज्यादा नहीं है। किसान की नैसेसिटी क्या है, क्या उसके पास बचता है, उसको देखें और उसको देखने के बाद वह लाइफ़ कैसे रन कर सकता है उसके उन सारे एस्पेक्ट्स को नज़र अन्दाज़ न करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ५४००) रु०

(श्री भैरोंसिंह)

की आमदनी रख दी जावे तो वह गैर वाजिब नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज किसान की आमदनी कम क्यों की जा रही है, ५४००) से ३६००) वार्षिक आमदनी ही क्यों की जा रही है? वह किस दृष्टिकोण से की जा रही है? मैं अपना दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ और सदन उसको एडमिट भी कर ले तो कोई ज्यादती नहीं होगी। आज के किसान की स्थिति आज से दस वर्ष पहले वाले किसान से सुधरी है और सुधरने के साथ साथ किसान महसूस करने लग गया है कि हमारा रूलर्स की तरफ से जो एक्सप्लोइटेशन होता था वह आज बन्द हो गया है, धनिकों के अपने धन के कारण जो हमारा एक्सप्लोइटेशन होता था वह अब बन्द हो गया है, व्यापारियों के द्वारा हमारा जो एक्सप्लोइटेशन होता था वह अब बन्द हो गया। आज किसान ऐसा महसूस करने लगा है। लेकिन उसके साथ साथ किसान ऐसा भी महसूस करने लग गया है कि देश में राजनैतिक समान अधिकार मिलें, जो अधिकार मिले हैं वे सब समान रूप से मिले हैं, और यदि देश में राजनैतिक अधिकार समान रूप से मिले हैं तो फिर जब कि भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है और खासकर भारतवर्ष का राजस्थान प्रान्त एक कृषिप्रधान प्रदेश है, उसमें किसानों का राज्य क्यों न हो।

किसान सोचने लगा है कि आज किसान का राज होना चाहिये। जब इस प्रकार की भावना किसान के दिमाग में बैठने लगी तो किसान का जो पहले एक्सप्लोइटेशन हुआ करता था रिलीजियसली, कॉमर्शियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इन पांच दस सालों में बन्द हो गया था उन सब की मिश्रित भावना पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन के रूप में आ गयी। उसका सब से बढ़िया तरीका यह निकाला गया कि किसान की आर्थिक स्थिति फिर डाउन कर दी जाय जैसे कि आज से दस साल पहले थी ताकि जो उनमें सत्ता हथियाने की राजनैतिक चेतना पैदा हुई है वह किसी प्रकार से खत्म हो जाय और किसान पहले वाली स्थिति में आजाये। आज राजस्थान का किसान यह महसूस इसलिये करने लगा है कि आज राजस्थान के किसान का भाग्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसान नहीं है। यह बात सही है कि जिस व्यक्ति को खुद को पीड़ नहीं होती वह दूसरों की पीड़ का क्या अन्दाज लगा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) वकालत जो कर रहे हैं वे भी तो किसान नहीं है?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूँ। जिनके लिये कह रहा हूँ वे तो बोल नहीं रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : ये तो नकली किसान हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज का किसान यह महसूस करने लग गया है और उनका यह महसूस करना लाज़िम है कि उनकी मेजोरिटी होते हुए भी आज का शासन तंत्र उनके हाथ में नही है। मेजोरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होना यह तो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है लेकिन आज संख्या तो ज़्यादा किसान की है लेकिन राज्य है एन्टी किसान का। ऐसी सूरत में किसान चाहता है कि राज्य उसके हाथ में आये और इधर एन्टी किसान यह चाहते हैं कि राज्य किसी भी प्रकार से किसानों के हाथ में न जाये। इसलिये वे ऐसे तरीके सोचते हैं जिनसे उनका पोलि—

(श्री भैरोंसिंह)

टिकली एक्सप्लोइटेशन हुआ करे और किसान की हालत ऐसी कर दें ताकि वह पॉवर को केप्चर न कर सके और तेल, लूण, लकड़ी में ही रोज़ाना लगा रहे। इसी दृष्टिकोण को लेकर एक कहावत संस्कृत में है "पुनः मूषको भव" यानी फिर उसी स्थिति में उनको ला दिया जाय। एक साधु ने अपने मंत्रबल से एक चूहे को शेर बना दिया तो वह यह महसूस करने लगा कि जिसने मुझे चूहे से शेर बनाया है उसी साधु को खा लिया जाय ताकि वह मुझे फिर से चूहा न बना सके। उसी प्रकार की कहावत हमारी सरकार चरितार्थ कर रही है कि किसान की वही पुरानी हालत कर दी जाय ताकि किसान जो राज पाने का स्वप्न देख रहा है वह पूरा नहीं हो सके। आज किसान यह पूरी तरह से समझ चुका है।

श्री चन्दनमल वैद : बड़ी अच्छी परी-देश की कहानी हो रही।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई संशोधन पेश हुए थे। उन संशोधनों पर वाद-विवाद भी हुआ था, उस वाद-विवाद के अन्दर खासतौर से सब ने एक्सप्लेनेशन का विरोध किया था। मैं ऐसा समझता हूँ, जो अपोज किया गया उससे सरकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित किया जा सका तो मैं इसे भगवान का वरदान ही समझूंगा कि हमारी सरकार ने सही कदम उठाया है। और अगर इस सारे विरोध का केवल उपहास ही किया गया तो मैं समझूंगा कि सरकार की नीति में कुछ त्रुटि है।

सबसे पहले जब सीलिंग का बिल पेश हुआ था उस समय एक शिड्यूल दिया था। उससे यह मालूम होता था कि जब सीलिंग लागू किया जायगा तो अमुक अमुक तहसील में इतनी एकड़ ज़मीन रख सकेंगे। उससे ऊपर यदि ज़मीन है तो वह सरकार को सरेन्डर करनी पड़ेगी। सलेक्ट कमेटी ने यह परिवर्तन किया कि तीस स्टेंडर्ड एकड़ कर दिया जाय। और सरकार को अधिकार दे दिया कि स्टेंडर्ड एकड़ के इक्वेलेन्ट किस किस तहसील में कितने बीघों का एकड़ माना जायगा। आज कानून में मुख्य रूप से यह बात होनी चाहिये कि किस किस तहसील में कितने बीघों का स्टेंडर्ड एकड़ माना जायगा ताकि विधान सभा के जितने भी सदस्य हैं वे अपनी अपनी तहसीलों के बारे में, वहां की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के बारे में कुछ कह सकते और उसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन के सुझाव भी दे सकते। उसके साथ साथ उनकी तहसीलों में जमीन की उपजाऊ शक्ति के बारे में जो कुछ भी ड्रॉ बैक्स हैं उनको रिमूव किये जाने के बारे में सही दृष्टिकोण सदन में रख कर उसको ठीक प्रकार से निर्धारित करवाने की कोशिश कर सकते थे। यह न करते हुए केवल एक दृष्टिकोण स्टेंडर्ड एकड़ का रख दिया है वह एक्सप्लेनेशन में कि स्टेंडर्ड एकड़ वह होगा जो सरकार प्रेस्क्राइब करे। सरकार उसका निर्धारण किस प्रकार से करेगी.... productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars......

मैं समझता हूँ 'Other prescribed particular की जगह हमारी सरकार यह कर देती 'any other prescribed fees and recommendations' तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री चन्दनमल वैद : अमाउन्ट दे देते

Page No.46

(चन्दनमल बैद)

तो और अच्छा रहता।

श्री भैरोंसिंह : अमाउन्ट की बजाय फीस अच्छा लगता है। या any other recommendation यह भी कर दिया जाता तो ज्यादा सही हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्दर जो भी बातें रक्खें Soil classification, land productivity or other similar......... मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सोइल क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट लैन्ड प्रोडक्टीविटी के स्टेटिस्टिक्स इर्रीगेशन के स्टेटिस्टिक्स आपके पास होते हुए भी आप शिड्यूल निर्धारित नहीं कर सकते और उसे कानून के साथ लगा नहीं सकते तो इसके मायने क्या होते हैं। यह साफ है कि आप अपना डिस्क्रिशन एप्लाई करना चाहते हैं और जहां आपको डिस्क्रिशन एप्लाई करने का अधिकार दे दिया वहां आप पोलिटिकल मोटीज़ गेन करने की चेष्टा करेंगे यह सही है। आज कई जगह इलेक्शन होते हैं हालाकि इस समय इलेक्शन की चर्चा नहीं आनी चाहिये फिर भी मैं इस विषय की चर्चा बहुत थोड़े में करना चाहूँगा। मान लीजिये कहीं का बाई इलेक्शन होने वाला है और उस तहसील की ज़मीन ७० एकड़ रहने वाली है, वहां यदि राजस्व मंत्री जाकर यह कह दें कि हमने इस तहसील की जो सीलिंग ७० मुकर्रर की है उसको हम ८० कर देंगे तो उस तहसील के उस क्षेत्र के वोटर राजस्व मंत्री के जन्म भर के लिए आभारी रहेंगे और वैसी हालत में वोट तो क्या वे जो भी मांगेंगे देने के लिये तैयार रहेंगे। इस सारी स्थिति के अन्दर मैं ऐसा समझता हूँ और निश्चित रूप से यह समझता हूँ कि पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होगा और किसान के दिमाग में इस सम्बन्ध में इनसिक्योरिटी व्याप्त रहेगी। और वह यह समझने लगेगा कि वह जमीन का जो हिस्सा जिसमें उसने इम्प्रूवमेंट किया है? क्या उसको रख सकेगा या नहीं? ज़मीन का सिलेक्शन भी उसके अधिकार में रहेगा या नहीं यह अनिश्चित स्थिति उसके सामने रहेगी। १५ नवम्बर १९५५ में राजस्थान काश्तकारी कानून हमारे यहां लागू हुआ था उस समय कुछ घोषणायें की थीं कि आज से किसान अपनी ज़मीन का मालिक है। और किसान, जो भी अपनी ज़मीन में इम्प्रूवमेंट करेगा उसका मालिक वही रहेगा। ५५ से लेकर आज इन चार वर्षों में जो घोषणायें ५५ में की थीं उन सब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिये किसी के पास १०० एकड़ ज़मीन है और उसका सीलिंग ८० एकड़ फ़िक्स हो गया तो जिस बीस एकड़ में उसने इम्प्रूवमेंट किया, उसके लिये जो इन्वेस्टमेन्ट किया उसको बिना रिटर्न्स मिले ही उसको सरेन्डर करना पड़ेगा। किसान को कम से कम एक तो ऑलटरनेटिव दें ताकि वह अपनी ज़मीन का अच्छे से अच्छा हिस्सा सलेक्ट कर सके। इम्प्रूवमेंट पोइन्ट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन पॉइन्ट ऑफ व्यू से सरकार उसको ज़मीन सलेक्ट करने का मौका देना नहीं चाहती। आप देखेंगे गजट में नोटिफिकेशन निकलेगा-दांता रामगढ़ में कितनी, श्री माधोपुर में कितनी, नागोर और टोंक में कितनी भूमि सीलिंग में रहेगी। यह निश्चित मानकर चलिये दांता रामगढ़ में ज़मीन कम और टोंक में ज्यादा ले सकते हैं। अगर हम उसमें किसी प्रकार की तरमीम करवाना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहेंगे तो उसके लिये रेज़ोल्यूशन लाना पड़ेगा और उस रेज़ोल्यूशन पर व्हिप इश्यू हो जायगा उससे कुछ नतीजा नहीं होगा। आप यह निश्चित मान कर चलिये आप मेरे इस कथन पर चाहे किसी प्रकार की भी ओपीनियन बनायें, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि कुछ तहसीलों के साथ, कुछ क्षेत्रों के साथ इस प्रकार का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होने वाला है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस अपनी शक्ति को कम समझेगी उस क्षेत्र के लोगों के लिये सीलिंग का एरिया कम किया जायगा। यह जो डिस्क्रिशन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है उससे वह साफ़ ज़ाहिर होता है कि सरकार देखेगी कि इस क्षेत्र में हमें काफ़ी वोट मिल सकेंगे उस जगह अस्सी का सीलिंग कर दिया और जहां देखेगी यहां से नॉन कांग्रेसी मैन आया है तो उस जगह ६० का सीलिंग कर देगी। इस प्रकार से अपनी ओर जनता को इम्प्रेस करने के लिये इस सारी धारा का प्रयोग किया जायगा।

आज राजस्थान सरकार इस दृष्टिकोण को लेकर इस बिल को....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं।

१ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पाया कि वे ओरिजिनल प्रोविज़न के सपोर्ट में बोल रहे हैं या विरोध में या किसी के सपोर्ट और विरोध में बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यही है कि आप हाउस में नहीं रहते हैं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कभी तो रीडिस्ट्रिब्यूशन ऑफ लैंड पर चले गये हैं, कभी इस बात पर चले गये हैं कि किस तहसील में कितनी रहेगी। मैं समझ नहीं पाया कि वे किसी अमेन्डमेन्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या मूल प्रस्ताव को सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध। आखिर डेफ़ीनेट तो मालूम हो। आखिर इम्पोर्टेन्ट मेम्बर सदन के कोई बात कह रहे हों तो इतना तो हमें मालूम होना चाहिये।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : खेद इतना सा है कि इम्पोर्टेन्ट मिनिस्टर इम्पोर्टेन्ट टाइम पर सदन

(हंसी)

मैं मौजूद नहीं रहते हैं और इसलिये उनको यह कहने का मौका मिलता है कि मेम्बर किस संशोधन या मूल प्रस्ताव का समर्थन या विरोध करता है। मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसका समर्थन और विरोध करता हूं और किसके भाषण से जो बातें मिली हैं उनको लेकर उनका जवाब दे रहा हूं। आप उस समय यहां उपस्थित नहीं थे। खाना खा रहे थे। इसलिये दुबारा कष्ट करना पड़ा बोलने के लिये।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट करने का कष्ट न करें।

(हंसी)

Page No.48

श्री भैरोंसिंह : अन्त में, माननीय अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार में अपना कथन जल्दी ही समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को एक शिड्यूल इस कानून के बनाने से पहले इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये ताकि सदन के सभी माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर सकें। हमारी सरकार को, वे स्टेटिस्टिक्स सदन के सामने रखने चाहिये कि सरकार के दृष्टिकोण से या सरकार की नीति के अनुसार कितनी जमीन अब लोगों से ली जावेगी, कितनी सरकार को अवेलेबल होगी डिस्ट्रिब्यूशन पॉइन्ट ऑफ़ व्यू से और इसके बाद कितने को डिस्ट्रिब्यूट कर सकेगी। यह सारा होवा खड़ा किया जा रहा है कि सारी जमीन गरीबों को तकसीम कर देंगे वह किस तरह से सही होगा। इस सम्बन्ध में पूरे स्टेटिस्टिक्स रक्खे जाते सदन के सामने तो सदन उन पर सही रूप से विचार कर सकता था। पर सदन में उन चीजों पर सरकारी तौर पर हमें ऐसी कोई सूचना मिली हो ऐसी बात नहीं है।

अब प्रश्न आता है जिसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसमें लिखा है :

"The ceiling area for a family consisting of five or less than five members shall be........."

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि शिड्यूल यहाँ पेश कर दिया जावे ऐसा कहा गया, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक एक तहसील में सात सात, आठ आठ ऐसे असेसमेन्ट सर्किल्स होते हैं उनके आधार पर डिफ़रेन्ट टाइप ऑफ़ सोइल का क्लासिफ़िकेशन होता है। तो जो शिड्यूल्स सरकार से वे चाहते हैं इस तरह से ३५ हज़ार गांव है और उनके अन्दर जिस तरह की सोइल है उस डिफ़रेन्ट सोइल के बेसिस पर, फार्मूले के बेसिस पर शिड्यूल तय होता है तो क्या वे ३५ हज़ार गांवों के डिफ़रेन्ट टाइप ऑफ़ सोइल के आधार पर बना हुआ शिड्यूल चाहते हैं या कोई सुझाव ऐसा देना चाहते हैं कि कोई कन्सोलिडेटेड शिड्यूल उससे निकल सके और उसको यहां पेश किया जा सके। अगर एक तहसील का शिड्यूल दे दिया जावे तो एक तरह की सोइल सारी तहसील में तो है नहीं, यह तो गांव गांव में डिफ़र करती है, Productive capacity differs from village to village. प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर क्राइटेरिया हम तय कर रहे हैं तो कैसे यह उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि वह इस सारी डिटेल को यहां पेश कर सके। ज़रा कोई स्विफ्ट क्राइटेरिया वे बता सकें तो अच्छा हो।

श्री भैरोंसिंह : शोर्ट, स्वीट एण्ड स्विफ्ट। मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार का प्रश्न और उत्तर राजस्व मन्त्रीजी की ओर से आवेगा और इसलिये नहीं जानता क्योंकि वे सीलिंग कमेटी के चैयरमैन रहे हैं और सीलिंग कमेटी ने एक शिड्यूल दिया है और उसके अन्दर असेसमेन्ट सर्किल के बेसिस पर नहीं, बल्कि तहसील के बेसिस पर उन्होंने, एवरेज कितना हो सकता है, यह निर्धारित किया है। अब क्या मैं यह समझूं कि ५४ में जो रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद से अब तक यदि राजस्व मन्त्रीजी के कथानुसार हर तहसील में और हर गांव में असेसमेन्ट सर्किल्स बन गये हैं जिनका कन्सोलिडेशन लाज़िमी है तो मैं निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ करूंगा कि हमारी सरकार गांव गांव

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

में अलग-अलग प्रकार की जो भूमि है उसके आधार पर ज़मीन तय करने वाली है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो है ही। मैं आपका मतलब समझ गया। वे कहते हैं कि शिड्यूल तहसील वाइज हो। ऐसा ही बना दिया जावे। सोइल का लिहाज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ ....

श्री भैरोंसिंह : Have patience to hear me.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सदन में दो तीन दफा डिस्कार्ड कर दिया गया है और कहा गया है कि यह एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। That has been discarded on valid grounds- और इसके वेलिड ग्राउन्ड दिए हैं। मैं तो सहज उनका मैथड समझना चाहता था कि वे किस तरह का शिड्यूल पेश करना चाहते थे । अब मैं समझ गया।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है अध्यक्ष महोदय कि राजस्व मन्त्री जी ने अपने काम को अपने मुंह से डिस्कार्ड कर दिया। चार वर्ष तक मेहनत की। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में हर तहसील का मौका देखा, दौरा किया, कई अफसरों का टी. ए., डी. ए. बना और उस सारी मेहनत को अपने इन शब्दों से डिस्कार्ड कर दिया। वह जो चार साल तक किया था सब कुछ खतम हो गया। अब प्रश्न पैदा यह होता है कि जो मेहनत थी वह तो बेकार गई, अब दुबारा मेहनत कब शुरू करेंगे। पहली मेहनत १६५३ से ५७ तक की, वह सारी बेकार गई। अब प्रश्न बनता है चार साल की मेहनत बेकार गई पर अब गांव गांव की असेसमेन्ट सर्किल बनाकर वहां की भूमि निर्धारित करना चाहते हैं और उसके बेसिस पर कोई क्राइटेरिया और बेसिस तै करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें अब कितना समय लगेगा? यदि इसमें समय लगेगा तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार यह कानून केवल दिखावे के लिए बनाना चाहती है, जल्दी से जल्दी इसको इम्पोज करना नहीं चाहती। क्योंकि जब पहले के काम में चार साल लगे तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल के करने में इससे कम समय नहीं लगेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कानून बनने के चार साल तक तो इसको अमल में नहीं लाया जा सकेगा।

श्री चन्दनमल वैद : चुनाव आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव आ रहे हैं मैं यह उनके मुंह से नहीं सुनना चाहता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि वे अब किस प्रकार का स्टेप लेने जा रहे हैं? राजस्व मन्त्री जी के कथन से तो ऐसा अनुमान लगता है कि इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया है। कानून के लिए जरूर इमर्जेन्सी बताई गई है, इमर्जेन्ट बैठक बुलाई गई है, पर उनके कथन के अनुसार इसके लागू होने में टाइम लगेगा और इसलिये यह कानून जल्दी इम्पोज नहीं होगा। इसलिये, यह दृष्टिकोण बनाया है तो क्या आपने क्राइटेरिया....

श्री दामोदरलाल व्यास : बना हुआ है, बनाना नहीं है कोई नया यह अर्ज नहीं कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : यह और भी अच्छी बात है कि बना हुआ हैं और उसे सदन में पेश नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो सैटलमेन्ट के साथ ही बनते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनके आधार पर केलकुलेट करके सदन में पेश करने में कौन सी दिक्कत आती है। अभी जो कहा कि असेसमेन्ट सर्किल बनाने हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजर, जयपुर) : नाथद्वारा रिपोर्ट २४ घंटों में छपकर जा सकती है तो फिर इसमें क्यों देर लग रही है ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : उसमें तो सर्टिफिकेट थे।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : वे बहुत खटकते हैं ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है और इस आधार पर बेसिस बनेगा। तो इसका तो मतलब था कि देरी होगी। अब आप फर्मा रहे हैं कि बने हुए हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि सदन से बचने के लिये इस प्रकार का शिड्यूल पेश करना नहीं चाहते ताकि सदन के अन्दर पेश होकर जनता तक न जाने पावे, जनता को मालूम न हो सके और सदन के मेम्बर उन पर विचार व्यक्त न कर सकें। मैं चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि यह कानून पास कराने से पहले उस शिड्यूल पर इस सदन में निश्चित रूप से विचार करने का मौका दिया जावे ताकि सभी, अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वे चाहे फिर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट न हों, किसी प्रकार से एक्सपर्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र की जलवायु से, वहां की जमीन की सिचुएशन से परिचित हैं और यदि राजस्थान सरकार जिस प्रकार सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में गलती कर गई है दुबारा उस प्रकार की गलती न कर जाय उससे इस सदन के सदस्य सरकार को सावधान कर दें कि पहले जैसी गलती फिर मत करो और अगर करते हो तो दुरुस्त करो ताकि किसान पर इसका बुरा असर न पड़े।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भले ही यह राजस्व मंत्री जी को और राजस्थान सरकार को अनप्लेजेन्ट मालूम पड़े पर यह सबके हित में है कि आप शिड्यूल पर यहां सदन के सदस्यों के विचार मालूम करें, उसे यहां पेश करें।

अब मैं जिस विषय पर निवेदन कर रहा था और राजस्व मन्त्री जी के इन्टरफियरेन्स के कारण दूसरी तरफ जाना पड़ा। मेरा विषय है, मैं पांच मिनट लेना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, The Ceiling area for a famile consisting of five or less than five members shall be 30 standard acres of land. कल फेमिली पर काफी वाद-विवाद हो रहा था और उसके अन्दर फेमिली क्या होगी, इस चीज को डिफाइन किया गया। मैं उस प्रसंग पर वापिस नहीं जाना चाहता कि फेमिली का इन्टरप्रिटेशन जो लिया जावेगा वह बहुत ही कॉम्पलीकेटेड होगा। हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी चाहें या कोई

(श्री भैरोंसिंह)

चाहें, उनका लॉ डिपार्टमेंट इस बात की दाद दे कि हमने जो फेमिली की व्याख्या की है वह अपने आप में स्पष्ट है, इसका कहीं भी लेजिस्लेशन के अगेन्स्ट में इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ इसको समझाने के लिए हमारे पास अपर्याप्त साधन और प्रमाण हैं। हमें फेमिली की व्याख्या करते समय कई फैक्टर ध्यान में रखने चाहिये थे। पर वह पास हो गया। आगे जब और मौका आवेगा मैं उस समय इस पर अपने विचार और प्रकट करूंगा। पर यहां फेमिली की तादाद निश्चित करना चाहते हैं। इस पर मैं अपने विचार यहां रख दूंगा। उनका कहना है कि पांच आदमियों की एक फैमिली युनिट माना जावेगा और इसके लिए ३० एकड़ भूमि रक्खी जावेगी। कल बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने सही दृष्टिकोण सदन में प्रस्तुत किया कि हमारे देश में एक आदमी और एक आदमी से लेकर ५ आदमी और एक आदमी से लेकर १० आदमी तक फेमिली में हो सकते हैं। तो एक आदमी के पास भी ३० एकड़ रहेंगी और ५ आदमी के पास भी रहेगी। उसी तरह से जो ५ आदमी हैं उनके पास भी तीस एकड़ रहेगी और दस तक या दस से ऊपर चले गये तो उस प्रोपोरशन में वह ट्वाइस होल्डिंग हो जावेगी। लेकिन जो तादाद हम निश्चित करते हैं उससे कहीं नम्बर एक्सीड कर गया, कई किसानों का तो अब भी नम्बर एक्सीड किया हुआ है तो क्या उनके साथ यह सोशियल इनजस्टेस नहीं होगा कि हम १० आदमियों को ट्वाइसली करते हैं और १५ का भी ट्वाइसली होल्डिंग करते हैं। इस तरह से हम दस पन्द्रह के बीच में इनजस्टेस करते हैं। इसका मतलब यह समझना चाहिये कि हमारे पास में दूसरे रास्ते नहीं होने के कारण एक यूनिट मानकर उसी को फेमिली की डेफिनेशन दे दी है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान फेमिली सिस्टम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में फेमिली सिस्टम बहुत वर्षों से है। फेमिली किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी दी हुई है। फेमिली में आदमी होते हैं। ठीक है आदमी वह होता है जिसके नाक हो, कान हों, जीभ हो, हाथ हों या सारी चीजें हों। A person is a person. अब इस तरह से हम आदमी को डिफाइन करें तो यह एक प्रकार से अतिशयोक्ति होगी और कानून की ज्यादती होगी। हमारे देश में शुरू से फेमिली सिस्टम है और जोइन्ट फेमिली सिस्टम है। एक प्रकार की फेमिली चलती आई है और उसको आज हम प्रेस्क्राइब करें संख्या के आधार पर, तो इसमें निश्चित रूप से कॉम्पलीकेशन्स पैदा होंगे और जो आप, लोगों को जमीन देकर सोशियल जस्टिस उनको देना चाहते हैं और जो सिद्धान्त हैं कि जिनके पास ज्यादा ज़मीन है उनके पास से वह लेकर उसका डिस्ट्रिब्यूशन करें और गरीबों को जमीन दें, वह फेमिली की जो आपने डेफिनेशन रखी है उससे उपलब्ध होने वाला नहीं है। बल्कि जो आपने फेमिली को डेस्क्राइब किया है और जो उसकी परिभाषा दी है, लोग इस फेमिली का नाजायज़ फ़ायदा उठायेंगे और निश्चित रूप से उठायेंगे। यह नाजायज़ लाभ वे उठायेंगे जिनके पास कि सरप्लस लैंड है। हम इस प्रकार का लेकुना कानून में रखकर दूसरों को उसका मिसयूज करने का मौका देते हैं। कानून ऐसे लोगों को संरक्षण देगा और उसके द्वारा ऐसे लोगों की

(श्री भैरोंसिंह)

रुकावट किसी प्रकार से भी आप नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे देश में फेमिली की परिभाषा है, जोइन्ट फेमिली भी होती है, भाई भाई की भी अलग फेमिली होती है, इस प्रकार से जितनी भी फेमिलीज़ हैं उनको आप फेमिली मानिये और उस नेचुरल फेमिली के बेसिस पर जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन कीजिए ताकि फेमिली की जो डेफिनेशन आपने दी है उसमें से डिस्पेरिटी और सोशियल इनजस्टिस दूर हो सके। इसमें संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको हम फेमिली समझ सकते हैं या जो हमारे कनवेन्शन्स हैं जिनके आधार पर फेमिली चलती आई है उसके आधार पर हम जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन करें। तब तो आप लोगों से जमीन ले सकेंगे जिनके पास कि जमीन ज्यादा है और डिस्ट्रिब्यूशन भी ठीक तरह से कर सकेंगे और फिर लोग इस फेमिली शब्द का दुरुपयोग भी नहीं कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ........

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनके भाषण समाप्त करने से पहले मैं इनसे एक बात और जानना चाहता हूँ और वह यह है कि जो आपने फेमिली की डेफिनेशन दी है तो क्या आप चाहते हैं कि जोइन्ट हिन्दू फेमिली रख दिया जाये या क्या रख दिया जाये, कुछ समझ में नहीं आया। आप कहते हैं कि तादाद मुकर्रर नहीं की जाये तो फिर फेमिली शब्द से आपका मतलब क्या है ? मैं श्री भानसिंह जी से भी पूछता हूँ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : हां, आप उनसे जरूर पूछिये.. वह फेमिली मैटर्स में एक्सपर्ट हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका सुझाव चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुझाव दे दिया है आप चाहते हैं तो फिर भी उसको रिपीट कर देता हूँ। आपकी बदकिस्मती है....

एक माननीय सदस्य : आपकी भी साथ में।

श्री भैरोंसिंह : मेरी ही सही।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि फेमिली की संख्या निर्धारित न की जाए और वह इसलिए निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में जो पारिवारिक व्यवस्था है और वह व्यवस्था परम्परा से है और उस परिवार की व्यवस्था में संयुक्त परिवार प्रथा भी है लेकिन जहां तक प्रोपर्टी के डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल आता है वह जोइन्ट फेमिली के बेसिस पर उसका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है। उसकी जो परम्परागत प्रथा है उसके अनुसार उस फेमिली में जितने भी क्लेमेंस्ट्स हो सकते हैं वह वास्तव में फेमिली के यूनिट हैं, जिनमें किसी प्रकार से तोड़मरोड़ नहीं कर सकते, जिनका नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सकता। वह फेमिली के यूनिट जो कि हमारी परम्परागत प्रथा के अनुसार बनते हैं उसको स्वीकार किया जाये तो आपको संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी और जमीन के..

(श्री भैरोंसिंह)

डिस्ट्रिब्यूशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह है मेरा मतलब।

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत कानूनी शब्दों में आपका जोइन्ट हिन्दू फेमिली से क्या मतलब है? संख्या निर्धारित नहीं की जाये, आखिर आपका क्या मतलब है? आखिर आपकी फेमिली की डेफिनेशन क्या है?

श्री भैरोंसिंह : Family is a family.

श्री दामोदरलाल व्यास : तो फैमिली की यह डेफिनेशन दुनिया में कहां दी है?

श्री भैरोंसिंह : परम्परागत पारिवारिक पद्धति के अनुसार हम पैतृक सम्पत्ति के अन्दर जितने फेमिली यूनिट्स का भाग आवश्यक समझते हैं वह हमारे कानून की दृष्टि से फेमिली समझी जायेगी। मैं समझता हूँ कि अब कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : इस धारा पर बहुत बहस हो चुकी है अब माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस और होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट धारा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस पर कल बहस हो गई और आज भी आधा दिन हो गई है। इस पर अमेन्डमेन्ट्स भी इतने हैं कि २, ३ और ४ तारीख तक इस पर बहस करके क्लॉज़ बाई क्लॉज खतम करना है। अगर इतना समय इसी क्लॉज पर लगा दें तो बकाया दो दिन में किस तरह से काम पूरा कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट धारा है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप दूसरे क्लॉजेज़ पर समय कम लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। फिर इस क्लॉज़ पर ज़्यादा बहस भी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : जो इन्टरेस्टेड थे उन्होंने अमेन्डमेंट्स भी दिये। इस तरह से अगर एक ही क्लॉज को लेंगे तो फिर दूसरे क्लॉजेज सफर करेंगे।

श्री अनोपसिंह : यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट धारा है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट धारा है।

श्री अध्यक्ष : आप ही फिर बता दीजिए कि कौन से मैटर इम्पोर्टेन्ट नहीं है ताकि उनके लिए समय कम दिया जावे। क्या आपकी मंशा यह है कि दूसरे क्लॉजेज़ के लिए समय कम दिया जाये?

श्री लच्छूराम : कोई बात नहीं है। अगर इस पर दिन भर बहस रखी जाये, तो भी ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है। फिर आज ४ बजे तक इस पर बहस होगी और फिर उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण संक्षेप में हों और टू दी पोइन्ट हों ताकि इस पर ज्यादा सदस्य बोल सकें और डिबेट का स्तर भी अच्छा हो।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ ३० सी है, मैं जहां तक समझ पाया हूँ इस बिल के अन्दर यह क्लॉज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि इस क्लॉज में हम यह तय करने जा रहे हैं कि कितनी भूमि एक परिवार को दी जायेगी। इसलिए यह क्लॉज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट है। माननीय सदस्यों ने कल कई संशोधन इस क्लॉज़ के ऊपर रखे और माननीय सदस्यों ने यह भी रखा कि ३० स्टैंडर्ड एकड़ के स्थान पर अधिकतम सीमा २० या १५ स्टैंडर्ड एकड़ ही रख दी जाये। मैं उन माननीय सदस्यों के संशोधनों के विरुद्ध विचारधारा रखता हूँ।....

जैसा कि सीलिंग का मकसद है कि जिन आदमियों के पास में यानी वह किसान जो कि शोषण करते है उनसे जमीन छीनकर उनके पास में इतनी जमीन रख दी जाय कि जिससे कि वह किसी का शोषण नहीं कर सके बाकी सरप्लस जो ज़मीन है वह भूमिहीन किसानों या इस प्रकार के किसानों को दे दी जाय जिनके पास बहुत ही कम जमीन है। ३० स्टैन्डर्ड एकड़ जो रखा गया है उसका एक नया काइटेरिया सलेक्ट कमेटी ने लिया है कि जितनी भूमि के अन्दर १० मन गेहूँ पैदा हो उसको एक एकड़ मान लिया जाय। मैं एक मामूली किसान के घर का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो कि खास मालदार किसान नहीं है बल्कि एक नॉर्मल किसान है जो कि अपना केवल जीवन निर्वाह करता है उसके जीवन निर्वाह के लिए कितने रुपये की आवश्यकता होती है।

इस बिल के अनुसार ३० स्टेन्डर्ड एकड़ अधिक से अधिक जमीन रखी है। उसके हिसाब से ३०० मन गेहूँ एक किसान को पैदा हुआ। हम यह मानकर चलें कि ३०० मन गेहूँ पैदा होता है। आज जब किसान गेहूँ बेचता है तो १३) रु० मन गेहूँ उसके घर से जाता है। गवर्नमेंट की रेट भी १३) मन के हिसाब से है। तो ३०० मन गेहूँ की कीमत ३६००) रु० होती है. और ५ आदमियों के परिवार के लिए, एक साधारण किसान का जो मैं जिक्र बता रहा हूँ, वह इस प्रकार से ५ आदमियों के खाने के लिए ५ सेर कनक की आवश्यकता होती है। शहर में रहने वाले आदमियों के लिए ५ सेर ज्यादा है, परन्तु शारीरिक परिश्रम वह करता है इसलिए अनाज भी कन्ज्यूम ज़्यादा होता है, इस तरह से १२ महीनों का ४५ मन अनाज यानी कनक की आवश्यकता उसको होती है। इस तरह से ५८५) रु० के अनाज की आवश्यकता होती है। दूसरे उसको अपने शरीर को कायम रखने के लिये, स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए क्योंकि वह शारीरिक परिश्रम करता है इसलिए उसको अच्छा खाना मिलने की आवश्यकता है, इसलिए एक भैंस की जरूरत होती है। वैसे नीरा तो उसके खेत में हो जाता है जिसको वह चर लेती है, लेकिन फिर भी कम से कम एक भैंस की ३) रु० की खुराक एक दिन की होती है। इस हिसाब से कम से कम ६०) रु० एक महीने के और १२ महीने के १०८०) रु०

(श्री भैरोंसिंह)

होते हैं। तो इस हिसाब के ५८५) और १०८०) यानी १६००) रुपये के करीब खर्च हो गये। इसके बाद कम से कम ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर काश्त करने के लिये ४ बैल होने चाहिये लेकिन मान लो कि दो बैल रखता है तो दो बैलों की खुराक रोज की ढाई रु० फी बैल के हिसाब से ५) रु० होगी। तो ५) रु० के हिसाब से १२ महीने के, क्योंकि बैल तो उसे १२ महीने ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि किसान सिंचाई भी करता है और दूसरे काम भी उनसे करता है, इसलिए हमेशा बैल रखने पड़ते हैं, तो १२ महीनों के १८००)रु० दो बैलों की खुराक के हुए। इस हिसाब से ३४००) रु० तो हो गये और आमदनी है ३६००) रु० की। इसके बाद नमक-मिर्च-शाक सब्जी की भी जरूरत होती है, हालांकि आज का सभ्य समाज जो कि एक मध्यम श्रेणी के लोग खाते हैं। वह तो वे नहीं खा सकते हैं लेकिन नमक मिर्च व मसालों पर भी आठ आने, १० आने खर्च होंगे तो इस हिसाब से १००) सालाना बल्कि २००) रुपये सालाना के मिर्च मसालों की जरूरत होगी। इस प्रकार से ३६००) खर्च हुए। इसके अलावा अब उनको कपड़ा भी चाहिए। किसान महिलाओं को नाइलोन की साड़ियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम मोटे कपड़े की आवश्यकता तो है। उनको सूट की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन कम से एक दोवटी की आवश्यकता तो होती है। तो ५ आदमियों पर ३००)रु० का कपड़ा होता है। ६०) रु० के हिसाब से ३६००) रु० तो इस प्रकार से खर्च हो गये। यह तो कपड़ों का हुआ। इससे बाद में कम से कम ५०) रु० ५ आदमियों के जूतों का हिसाब लगायें तो एक आदमी कम से कम १०)रु० के जूते तो पहनेगा। आज कल जो २०) या ३०) रु० के जूतों की तो उसको आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी गुज़ारे के लिए १० रु० के तो जूते होने चाहिये। इस हिसाब से ५ आदमियों पर १०)रु० के हिसाब से ५०) जूतों के हुए। इसके बाद दवाई, पढ़ाई, मनोरंजन, शिक्षा और त्यौहार, विवाह-शादी इस प्रकार की बातें लेंगे तो मैंने जो हिसाब लगाया है उस हिसाब से ८०००) एक नार्मल किसान पर खर्च होता है।

इसके बाद में........

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : चन्दा।

श्री लच्छूराम : मंत्रियों को थैली तो भेंट करनी ही पड़ती है, लेकिन वह दिखाने में नहीं है।

हिसाब से एक नार्मल किसान को ८०००) की जरूरत होती है। हम ग्रास इन्कम ३६००) देते हैं तो क्या सोशियल जस्टिस करते हैं। इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारे समाज के अन्दर, हमारे देश के अन्दर इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी तत्व हैं कि वे इस प्रकार से प्रगतिशील दिमाग के जो व्यक्ति हैं, जो आदमी है उनको हर तरह से सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढंग से कुचल दिया जाय जिससे कोई न आ सके। जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने बतलाया कि आज से १० वर्ष पहले किसान की बहुत बुरी हालत थी, और इसके बाद धीरे धीरे किसान की हालत ठीक हुई।

१. २३ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No.56

(श्री लच्छूराम)

इसका श्रेय सरकार को नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया। न सरकार ने किसानों के लड़कों को वज़ीफा दिया है, न चन्दा देती है, सैटिलमेंट के राइट्स वगैरह अंग्रेजों के जमाने में सैटिल हो गये हैं। किसानों की जो कुछ मामूली समृद्धि हुई है वह एक नेचर का प्रश्न है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप चाहते क्या हैं ? क्या आप ३० एकड़ से ज्यादा चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह कम्युनिस्ट पार्टी का है ....

श्री जनार्दनराय नागर : आप ३० से ज्यादा एकड़ जमीन चाहते हैं तो कहें।

श्री लच्छूराम : मैं चाहता हूं कि कि ग्रास इन्कम ८०००) रखी जाय और नेट इन्कम ४०००) की रखी जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि आपने ३० एकड़ की सीमा जो रखी है उससे ज्यादा चाहते हैं तो यह कहें।

श्री अनोपसिंह : यह साहित्य एकेडेमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री लच्छूराम से) आप आरम्भ रखें।

श्री लच्छूराम : हमारा उद्देश्य यह कभी नहीं है कि जैसे ५ रोटियां हैं और ५ रोटियों से दो आदमी गुज़ारा चलाते हैं, गुजारा करते हैं तो................

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़।

(श्री हरिप्रसाद यादव के खड़े होने पर)

श्री मुरलीधर व्यास : ८०००) की आमदनी होती है इस प्रकार के दूसरे कितने किसान मिल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण अपने तरीके से आरम्भ रखें।

श्री लच्छूराम : आज एक पूंजीपति जो कारखाने लिये बैठा है उसमें क्यों लगाया जाय। फैक्ट्री खोलें। दूसरे बहुत से धन्धे हैं उनके अन्दर लगाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble members will not please interrupt.

श्री लच्छूराम : यह सरकार के लिए सोचने की बात है कि इस प्रकार से हल निकाले।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : कम्युनिस्ट पार्टी क्या हल निकालती है ?

श्री लच्छूराम : कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि किसी आदमी को भूखा रखा जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव : जितनी जमीन चाहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य चेयर को एड्रेस करते हुए आरम्भ रखें अपना भाषण।

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहां सीलिंग करने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि एक आदमी जो मुश्किल से जिन्दा रहता है उसको मार दिया जाय। जो मौजूदा कानून है, जिस प्रकार की टेन्डेन्सी है हमारे सत्तारूढ़ वर्ग की वह यह है कि इस प्रकार के प्रगतिशील विचार-धारा के आदमियों को कुचल दिया जाय ताकि वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकें। यह एक प्रकार का स्टन्ट है। वे सन् ५३ से सीलिंग का नारा लगा रहे हैं और सीलिंग का जो इफेक्ट होने वाला था वह सारे मामले बराबर हो गये। इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सीलिंग निर्धारित किया जा रहा है उससे फ्रेग्मेन्टेशन हो जायेगा जिससे किसान कभी पनपेगा नहीं और अपनी जो स्थिति है वह भी खो देगा आप उसके १०, १५ या २० फ्रेग्मेन्ट कर दें तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और न सोशयल जस्टिस होगा। इसलिये मेरा माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन है कि जो कुछ है यानी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को कम कर देंगे तो ठीक होने वाला नहीं है। कम से कम ग्रोस इन्कम ८०००) रखी जाय, और नेट इन्कम कम से कम ४०००) रखी जाय।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन ने आज से पहले कई तरह के कानून बनाये हैं और खासकर जमीन और रेवेन्यू से लेन-देन रखनेवाले बहुत से एक्ट बने हैं जैसे रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट, रेवेन्यू एक्ट, टिनेन्सी एक्ट वगैरह वगैरह और मैं समझता हूँ उन सब कानूनों पर दृष्टि रखते हुए यह कानून जो आज हाउस के सामने पेश है और जिस पर दो तीन दिन से बहस चल रही है उसका जो असर होगा या इफेक्ट होगा, मैं समझता हूँ, उससे ज्यादा क्रान्तिकारी असर और रिपरकेशन्स और किसी कानून द्वारा नहीं पड़े होंगे। टिनेन्सी एक्ट से किसानों ने ज़मीन पर हक पाया; रेवेन्यू एक्ट के द्वारा उन हकों को किस तरह से आगे चलाया जायगा, रूल्स आदि किस तरह से गवर्न होंगे यह सब हुआ। लेकिन मैं सबसे पहले सदन के सामने यह अर्ज करना चाहूँगा कि आज जो धाराएं आपके सामने रखी हैं कि हम कितनी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं उस विवाद पर भारी वाद-विवाद हो रहा है और यह वाद विवाद सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एक कानून ऐसा लावें जिसके द्वारा हम सब को सोशयल जस्टिस दे सकें, हरएक को जीवन निर्वाह के लिए धंधा दे सकें सिर्फ महज इस लिहाज से नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज यह है कि छोटों को आगे बढ़ावें और बड़ों को नीचे लावें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून से वास्तव में छोटों को ऊपर ले जा सकेंगे या नहीं। अगर वाकई उनको ऊपर नहीं ले जा सकते हैं तो कानून पर इतनी बहस करना निराधार होगा, फ्यूटाइल होगा। मैं अर्ज करूंगा कि एक बहुत बड़ा मकान किसी का बना हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को झोंपड़ी तक नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि बड़े मकान को नीचे गिरा कर उसके ईंट, पत्थर और चूने से झोंपड़ियां बनाई जाय? एक जो बड़ा बना हुआ है उसको वहीं रहने दिया जाय और छोटे को ऊपर लाया जाय यदि इस विचार से यह कानून होता तो मैं समझता हूँ यह सोशयल जस्टिस होती।

(श्री अनोपसिंह)

एक बने हुए तबके को नीचे गिराकर सोशियल जस्टिस देने जा रहे हैं यह उचित नहीं है।

मैं डाइरेक्टली इस धारा पर आता हुआ अर्ज करूंगा कि हमारी सलेक्ट कमेटी ने और इस सदन ने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर काफी विचार किया हर फेमिली के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिये लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि यह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ आप लाये कहां से। यू. पी. में भी सीलिंग का आधार ४० एकड़ को माना है जहां की ज़मीन राजस्थान की जमीन से बहुत अच्छी है, जहां की मिट्टी अच्छी है, जहां पर यहां से ज्यादा सिंचाई होती है और जहां पर यहां से ज्यादा वर्षा होती है; वहां पर ४० स्टेन्डर्ड एकड़ होते हुए भी यहां पर ३० एकड़ कैसे रखा। यह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखने का कौन सा नक्शा था और यह किसके दिमाग की सूझ थी ? यहाँ राजस्थान में ज़मीन की कमी नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे राजस्थान में जमीन के आंकड़े आप देखेंगे जिन्हें कि हमारी सलेक्ट कमेटी ने पेश किया है तो उसके अनुसार कल्टीवेटेड एरिया हमारे यहां ३५.६ है और अनकल्टीवेटेड एरिया ३८.६ पर्सेन्ट है। इसका मतलब यह है--अभी जो भूमि बंजर पड़ी है और जो कल्टीवेबल हो सकती है वह ३८ पर्सेन्ट है जब कि कल्टीवेटेड लैंड ३५ पर्सेन्ट अर्थात् ३ पर्सेन्ट कम है और वह ३ पर्सेन्ट ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जितने लोग काश्त कर रहे हैं उससे ज्यादा संख्या को बिना किसी के हाथ से जमीन छुड़ाये काश्त के धन्धे पर लगाया जा सकता है। फिर समझ में नहीं आया कि कौनसा सोशियल जस्टिस का नारा है जिसके कारण राजस्थान में सीलिंग लगाने का विचार किया जा रहा है जब कि ज्यादा जमीन बंजर पड़ी है। यदि आज ७५ पर्सेन्ट लोग जमीन पर हैं तो ७५ पर्सेन्ट और लोगों को खेती के धन्धे पर लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने आदमी कहाँ हैं ? यदि आप उस जमीन को ही डिस्ट्रिब्यूट कर दें तो मामला हल हो जाता है और जो लैंडलैस लोग हैं या अछूत जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल सकती है। आप उनको अनकल्टीवेटेड जमीन दे दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अनकल्टीवेबल जमीन से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : Why to interrupt the Hon'ble member. This bad practice should be avoided.

श्री अनोपसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोइ खास तरह का आॅरगूमेन्ट या ग्राउन्ड नहीं है क्योंकि हमको सोशयल जस्टिस करना है इसलिए सीलिंग लागू करना है। लेकिन आप इससे कौनसा सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं। यदि आप एक्सपर्ट्स की ओपीनियन को मानते हैं तो आप देखिये हमारे सदन में बैठे हैं खैरी साहब जिन्होंने नोट दिया है कि राजस्थान में सीलिंग की जरूरत नहीं है। अगर स्पेशल रेवेन्यू ऑफ़ेसर की बात की वकत है तो आप खैरी साहब की बात मानिये। अगर आप यह चाहते हैं कि खैरी साहब की राय तो अलग रहे और हम तो सोशयल करेंगे तो क्या सोशयल जस्टिस किसानों के अन्दर से ही शुरू होगी, दूसरों में

(श्री अनोपसिंह)

नहीं होगी ? यदि आप दूसरे लोगों के लिए भी इस तरह की बात लाते तो मैं मानता कि आप सोशियल जस्टिस लागू करना चाहते हैं लेकिन यह सोशियल जस्टिस कहाँ से हुई जबकि जो लोग एक धन्धे में लगे हुए हैं उनको उखाड़ कर दूसरे लोगों को उसमें लाना चाहते हैं जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं और पहले वालों से कम अनुभव के लोग हैं उनको लाकर बैठाना चाहते हैं यह कौनसी सोशियल जस्टिस है यह कौनसा सोशियल जस्टिस का नमूना सदन के सामने माननीय सदस्यों ने पेश किया है।

इसके सिवाय मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां दुर्भाग्य यह रहा है कि इस राजस्थान में खेती बाड़ी का महकमा है उसका कार्य या खेती बाड़ी की जो कुछ पॉलिसी है वह किसी दिन, किसी जगह शाया नहीं होती। महकमे की क्या पॉलिसी रहेगी, हमारे राजस्थान के लिए क्या पॉलिसी रहेगी, १० वर्षों में किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका पता नहीं चलता। आप कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन के वहां जाकर देख लीजिये, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो उनमें से किसी को मालूम नहीं है कि खेती किस तरह से होती है ...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपको ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिये।

श्री अनोपसिंह : आपने क्या फर्माया मैंने सुना नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। खेती करना सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरे नहीं जानते ?

श्री अनोपसिंह : मैं यदि खेती करना जानता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी खेती करना जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Well this is not a debatable point.

श्री अनोपसिंह : तो मतलब यह है कि क्या आप के कहने से आप इनकी बात मानलें।

श्री उपाध्यक्ष : बात मानने का सवाल नहीं है। आप जानते हैं या नहीं The Hon'ble Member is going too far from the clause. I will request him to remain within......

श्री अनोपसिंह : अमेरिका में जितने चीफ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनके पास स्पेशल डिग्रीज़ होती है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अर्ज करूंगा कि कहां क्या प्रथा है यह सवाल हमारे सामने नहीं है। जो क्लॉज हमारे सामने है उस पर ही भाषण करें।

श्री अनोपसिंह : कृषि मंत्रीजी ने इस बात पर एतराज किया है। यदि वे मानते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन वे अच्छे व्यक्ति रहे हैं, अच्छे इन्सान रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : This is not within your scope. I drop that issue.

श्री अनोपसिंह : खेती का उनको अनुभव नहीं है यह मैं चेलेन्ज करके कह सकता हूँ इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज

Page No.60

(श्री अनोपसिंह)

करूंगा कि यदि सोशियल जस्टिस के नारे से हमको आगे बढ़ना है तो सोशियल जस्टिस सबसे पहले किसानों पर ही लगाई जा रही है यह उचित नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो फेसिलिटीज़ किसानों को ज़मीन पर मिली है वे आयन्दा नहीं मिलेंगी।

मतलब अगर ३६०० का फिगर हम मान लें, उसकी आमदनी इससे ऊपर नहीं होगी। इसके साथ ही साथ माननीय कृषि मंत्रीजी को यह मान लेना चाहिए कि ३६०० की आमदनी करने वाला किसान किसी दिन भी अपने बच्चों को इन्जीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेज सकता, मेडीकल कॉलेज में नहीं भेज सकता, एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं भेज सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अरबन एरिया के लड़के आज तक जो मोनोपोली जमाये बैठे हैं, इन्जीनियरिंग कॉलेज में, मेडीकल कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर लड़के जायेंगे तो अर्बन एरिया के जायेंगे, लीगल प्रोफेशन करेंगे तो वे ही करेंगे, इसका मतलब यह है कि अरबन एरिया को आप ऊंचा लाना चाहते हैं और रूरल एरिया को दबाना चाहते हैं, वह किसान वहीं का वहीं रहता और वह सोशियल जस्टिस के नाते। इसी नाते यहां तीन रोज़ से बहस कर रहे हैं कि सोशियल जस्टिस के नाते यह करना चाहते हैं। यह किसके वास्ते करना चाहते हैं क्योंकि अछूतों के पास, शिड्यूल कास्ट्स के पास ज़मीन नहीं है। मैं मानता हूँ कि अछूतों के पास बहुत कम ज़मीन है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी मान लेनी पड़ेगी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स में से ५० प्रतिशत हैं जो काश्त करने वाले हैं, और ५० प्रतिशत ऐसे हैं जिनका काश्त से कुछ लेना देना नहीं है, उनका यह काम नहीं था। काम के आधार पर स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करें और बतायें कि लैंड वान्टिंग पर्सन्स कितने हैं? आपने कह दिया कि लैंड लैस हैं, जो काम वे करते थे, वह था, नाई का, कुम्हार का, लुहार का, धोबी का, इस तरह के धन्धे करने वाले हैं, उन्होंने नाम लिखा दिया कि लैंड लैस किसान है, जिनका लैंड लैस होने का दावा नहीं है, जिन्होंने यह धन्धा कभी किया नहीं है, उनका यह धन्धा कभी रहा नहीं, जो अपना धन्धा छोड़ कर किसान के धन्धे को शुरू करना चाहते हैं, यह इस बात का सबूत है कि कॉटेज इन्डस्ट्री बिल्कुल फेल्योर है, इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का पर्दा फास हैं, लोगों के अन्दर से बेकारी मिटाने के लिए आप इन्डस्ट्री कायम नहीं कर सके, छोटे उद्योग-धन्धे कायम नहीं कर सके, वे अपने धन्धे से महरूम होकर इधर आते हैं और किसान के साथ खेती करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि प्रेशर ऑन लैंड जहाँ ऑलरेडी है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। कल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्योंकि हमारे पास बेकारी है, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम गरीबी को बांटना चाहते हैं। हमारे पास धन है नहीं, हम क्या बांटें, हमारे पास जमीन है, इसलिए ज़मीन बांटना चाहते हैं। मैं विरोध करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी कोई बांटने वाली चीज नहीं है, गरीबी को कोई बाँटना चाहता है, तो क्या बांटेगा। धन बांटा जायेगा अगर आपके पास धन है, लेकिन गरीबी नहीं बांटी जा सकती। कोई चीज होती है, वह बांटी जाती है। गरीबी

(श्री अनोपसिंह)

एब्सट्रेक्ट चीज है, गरीबी किसी दिन भी नहीं बांटी जायेगी। धन आपके पास है तो बांटिये, अगर आपके पास सरप्लस लैंड है तो वह बांटिये, उसको डिस्ट्रिब्यूट कर दीजिये, जिस तरह आप करना चाहें। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि गरीबी नहीं बांटी जा सकती। अगर आप कारोबार नहीं बढ़ा सकते, आपके पास इन्डस्ट्रियल कोई नीति नहीं है, इस कारण लोग अगर बेकार रहेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी आदमी को आप कारोबार नहीं सौंप सके, निर्वाह के लिए धन्धा नहीं बता सके, इसलिए एग्रीकल्चर के काम के अन्दर उसको लायें। इसका क्या मतलब है कि एक किसान को कहा जाय कि अपनी चीज को छोड़ दो। आपकी इन्डस्ट्रियल पॉलिसी फ़ेल हो गई, उसको आप मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। उद्योग धन्धे और खेती का आपस में कितना समन्वय होगा, कितनी लेबर किस में जायगी, कितनी लेबर किस में जायगी, इस चीज को आप तय नहीं कर पाये, और लोगों को काम नहीं दे सके तो आपको और कोई काम नहीं दिखता, केवल किसान दिखता है, उसकी टोपी उतार ली और अपने हाथ में ले ली। किसान ने हर वक्त सेक्रिफ़ाइस किया है, और आज भी करेगा। आज दिन तक जो दूसरे धन्धे खड़े हुए हैं, उनके लिए कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सी सोशियल जस्टिस है, जिसके कारण तीन दिन खराब करने बैठे हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि हमारे यहां न एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, न इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है। कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए नाममात्र को कार्य शुरू किया गया लेकिन उनके अन्दर वाकई कितने लोगों को लगा दिया, कितने लोगों का जीवन निर्वाह शुरू हो गया, ये फिगर्स आपके पास नहीं हैं, एक्चुअल फिगर्स यह नहीं हैं कि हमारे पास लैंडलैस आदमी कितने हैं, इस हालत में मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान में आज तक जो काश्त होती आई है, वह ७५ परसेन्ट के करीब लोग करते हैं, ७५ परसेन्ट हमारे यहां की जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन आज भी वैसा का वैसा इम्पोर्टिंग नेशन (Importing nation.) है, बाहर से धान मंगाते हैं और गुजारा करते हैं। अमेरिका में, जहां १२.८ प्रतिशत ऐसे आदमी हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं और १२.८ प्रतिशत वाला नेशन हमारे यहां धान भेजता है और उसको लाकर हम काम चलाते हैं। फिर बताइये, आपको और उनके यहां की एग्रीकल्चरल पॉलिसी में वाकई फर्क है या नहीं। वे थोड़े से आदमी इतना धान पैदा करके आपको खिलाते हैं और आपके यहां पर ७५ प्रतिशत बैठे हुए हैं और फिर भी कहते हैं कि धान नहीं है। अब राजस्व मंत्री जी भी आ गये है, शायद कृषि मंत्री जी को बुरा लगा होगा, इस बात से एग्रीकल्चरल पॉलिसी हमारी है, उसके अन्दर ७५ प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और फिर भी हिन्दुस्तान अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाता, कहां फ़न्डामेन्टल डिफ़रेन्स है—Where is that difference? जूते में वह चुभन कहां है, कील कहां है, यह बताइये कि फलां जगह है। फिर भी पिछड़ा हुआ देश कहलाता है और दूसरों के सामने मुंह फाड़े बैठे रहते हैं, हमको खाने को धान दो।

(श्री अनोपसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस फन्डामेन्टल चीज़ को नहीं मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आपके यहां पर जो डिविज़न ऑफ लेबर होना चाहिये वह नहीं है, इसी कारण से यह हो रहा है कि जो खेती करना नहीं जानता है, वह खेती के अन्दर आ रहा है। अगर डिविजन ऑफ लेबर हो जाता कि लुहार लुहार का काम करेगा, सुनार सुनार का काम करेगा, कुम्हार कुम्हार का काम करेगा और उन्हें उसी तरह से बढ़ाया जायेगा और उनकी जरूरतें पूरी की जायेंगी और किसान की जरूरतें वहीं की वहीं पूरी की जायेंगी तो वह इकोनोमिक पॉलिसी होगी, डिविजन ऑफ लेबर होगा। यह कौन सा सिद्धान्त है कि सबको एक तरफ निकाल कर बाड़े में बैठा दिया जाय कि सब किसान का काम करें, सब जमीन को जोतने का काम करें, फिर भी कहते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, डिविज़न ऑफ लेबर है। जो खेती के काम को समझता नहीं है, वह लैंड-लैस लेबरर में नाम लिखाता है....

श्री उपाध्यक्ष : I think we are indulging in repetitions.

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर आपको बांटना है तो आप जमीन बांटिये, वह जमीन बांटिये जो आपके पास फालतू पड़ी है। वह जमीन ३८ पर्सेन्ट है, आपके आंकड़ों के लिहाज़ से, मैं अपने घर से आंकड़े नहीं लाया हूँ, ३८ पर्सेन्ट आपके पास जमीन है, कल्चरेबल, जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड है, वह ३५ प्रतिशत है। मैं अर्ज करूंगा कि इतनी जमीन आपके पास है, अगर एक एक फेमिली को बांटने बैठे तो कम से कम १३८ बीघा जमीन हर फेमिली के बांटे में आती है, १३८ एकड़ आती है। पांच मेम्बर की फेमिली को १८३ एकड़ जमीन मिलती है। अब बताइये, आपके पास जमीन की कौन सी कमी है, फिर भी इतने कंजूस बनना चाहते हैं कि पांच की फेमिली के वास्ते ३० एकड़ जमीन छोड़ना चाहते है, बाकी जमीन हड़पना चाहते हैं। कैसी नीति है यह सोशियल जस्टिस की। किसान के सामने सोशियल जस्टिस का नारा लगाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम सेक्रिफाइस करो और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ३० एकड़ वाला जो स्टेन्डर्ड रखा है, स्टेन्डर्ड एकड़ एक बड़ा जाल है, कौन सा स्टेन्डर्ड है जो दस मन पैदा करे। १० मन छोटी जमीन भी पैदा कर सकती है और बहुत बड़ी जमीन पैदा नहीं कर सकती है। हर एरिया की जमीन, जोतने के तरीके, उपज के तरीके, पानी देने के तरीके, हर जमीन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर जगह अलग है। हर तहसील के अन्दर पांच पांच, छः छः किस्म की जमीन है। कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं अच्छी जमीन है, कहीं खराब जमीन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है। इसको माननीय राजस्व मंत्रीजी को मानना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऑफिसर का कहना है कि ३६०० रुपये की पैदावार किसान की होती है उसमें से ५० पर्सेन्ट के हिसाब से १८०० अलग निकल जाता है खर्च आदि के लिए........

अब उसके पास रहे सिर्फ १८०० रुपये,

Page No.63

(श्री अनोपसिंह)

तो १८०० रुपयों से वह ५ आदमियों को पालता पोसता रहे, अपनी जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता रहे, जो उसके सामाजिक कर्त्तव्य हैं उनको पूरा करता रहे, इन्कम टैक्स भरे, पंचायत समिति का टैक्स भरे, अपने बच्चों को पाले-पोसे, पढ़ाये-लिखाये, बाहर भेजे, विलायतों में भेजें, यह सब कुछ १८०० रुपये में कैसे हो सकता है। आप खुद मानते हैं कि ५० प्रतिशत तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लग जाता है तो ३६०० में से उसका मार्जिन तो १८०० ही रहा। तो मैं अदब के साथ सदन से और माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन की पैदावार मान ली है, वह हवा में से, भगवान् के यहां से या न जाने कहां से आई है, तो यह मानों कि यह स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं हुआ, जितनी भूमि में २० मन गेहूं पैदा हो उसको स्टेन्डर्ड एकड़ मानेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०) : जमीन नहीं बचेगी, इतनी जमीन राजस्थान में कहां है....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री अनोपसिंह : जमीन मेरी जेब में तो चली नहीं जायगी, ज़मीन पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope you are concluding your debate ?

श्री अनोपसिंह : Yes Sir. I am just concluding.

इसके साथ जब मैंने नई शिड्यूल देखी और माननीय सदस्य ने कहा कि वे भरतपुर का दौरा करके आये हैं और खाका बना कर लाये हैं। मैं उन माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि आप एक भरतपुर का तो दौरा करके आये हैं और सारे राजस्थान का खाका खींच लाये, यह कैसे ?

श्री हरिप्रसाद यादव : उन्होंने तो अपने इलाके की बात भी सही नहीं कही....

श्री अनोपसिंह : कितनी सही कही है कितनी सही नहीं कही है, यह तो वहां के नुमायन्दे बता सकते हैं। मैं तो अपने एरिया के बारे में, जैसलमेर-बाड़मेर के एरिया के बारे में कह सकता हूं, जहां मैं रहा हूं, घूमा हूं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के लिहाज से जमीन रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन गेहूं जो पैदा नहीं करता वह किसान ही नहीं रहा। जहां बरसात नहीं होती है वहां १० मन कहां से पैदा करेंगे ? राजस्थान में जहां रेगिस्तान है, जहां बरसात नहीं होती है, वहां १० मन कहां से पैदा करेंगे, वहां पर बरसात नहीं होती, पशु पालन के लिये ज्यादा जमीनें रखते हैं। आप कहेंगे कि तुम काश्त क्यों नहीं करते, काश्त करें कहां से जब कि हमारे यहां पानी नहीं बरसता।....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कागजों में कर दें काश्त।

श्री अनोपसिंह : राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ १ प्रतिशत पर यह कानून असर करेगा, सिर्फ एक सीलिंग के कानून का ज्यादा लोगों पर असर नहीं होगा, सिर्फ एक

Page No.64

(श्री अनोपसिंह)

प्रतिशत पर असर होगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कानून का किसी पर असर नहीं होता, केवल एक प्रतिशत पर असर होता है, ऐसी नालायक चीज़ को जो कि सिर्फ एक पर्सेंट पर लागू होगी, क्यों लाना चाहते हैं ?............

श्री उपाध्यक्ष : We expect to be more decent in our expressions, and atleast from Hon'ble Member like Shri Anoop Singh.

श्री अनोपसिंह : मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मैंने एक चीज़ के लिये कहा है, किसी व्यक्ति के लिये नहीं, मैंने सीलिंग को नालायक कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : सीलिंग के लिये कहा है.......

श्री उपाध्यक्ष : I resent again the acuteness of the expression. You should be more liberal in your exprssion rather than to be so nasty in expressions.

श्री अनोपसिंह : Alright Sir. I obey your orders.

मेरा मतलब यह है कि ऐसी फालतू की चीज़ जिससे एक पर्सेंट का काम बनता है, किसी का काम नहीं बनता, उससे क्या फायदा ? इससे सोशियल जस्टिस होता कितनों पर है, कितनों को जमीनें मिल जायेंगी, कोऑपरेटिव्स बन जायेंगी और आप देखेंगे कि २५ वर्ष तक हल खड़ते रहें तो भी आपकी नहीं हो सकेगी........

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री अनोपसिंह : कोऑपरेटिव के रूल्स आप पहले पढ़कर आइये फिर बहस करेंगे।

जब आपके पास ऑलरेडी जमीन पड़ी हुई है तो फिर आप यह क्यों कर रहे हैं ? ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का परिमाण सीलिंग के लिये रखा गया है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वह नहीं रखा जाय और इसके साथ ही साथ यह है कि इसके बाद भी यदि समझते हैं कि सोशियल जस्टिस करना है और वह सीलिंग के ज़रिये करना है तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्हें अपना दिल और बड़ा करना पड़ेगा, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जो सीमा रखी है उसे बढ़ाना पड़ेगा। आपने ३६०० की एक परिवार की वार्षिक आमदनी मानी है, मैं कहता हूँ कि वह १८०० रुपये से ज्यादा नहीं होती और मैं समझता हूँ सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि १८०० रुपया से किसी किसान परिवार का साल भर काम नहीं चल सकता।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने इस बारे में अर्ज किया है, उस पर न जाते हुए यह मानेंगे कि सदन इस पर और सोचने की कोशिश करेगा कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ में २० मन गेहूँ की पैदावार का रखा जाय, जिस जमीन में २० मन गेहूँ पैदा किया जा सकता है उसको एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय और जहां

(श्री अनोपसिंह]

३० एकड़ रखा है, वहां ६० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा जाय....

श्री हरिप्रसाद यादव : इतनी भूमि राजस्थान में नहीं है, इतनी भूमि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! मैं श्री यादव से कहूंगा कि वे जो बार बार इन्टरप्ट कर रहे है, यह उचित नहीं है, आयन्दा किया तो इस आसन को कोई कदम लेना पड़ेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि सोशियल जस्टिस करेंगे तो ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से ३६०० रुपया सालाना की आमदनी हो सकेगी, जहां १० मन गेहूं की पैदावार को एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना गया है, वहां २० मन का मानेंगे तो पूरा हो जायगा ।

मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि हमारे सदन में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात हम करते हैं वह ईर्ष्या की भावना है । मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि ईर्ष्या की भावना से न किसी को घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, किसी को घटाना-बढ़ाना प्रकृति के हाथ में है । कहीं भी जाकर देखा जाय, प्रकृति की हर चीज़ को देखा जाय तो पता चलेगा कि वहां कोई चीज़ बराबर नहीं होती, बराबरी आपको कहीं पर भी प्रकृति में नहीं मिलेगी, आपके मेरे बनाये तो कोई चीज बन नहीं सकती और न बिगड़ ही सकती है । तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सदन के अन्दर स्पिरिट निकलती है, वह ईर्ष्या की भावना है, इस प्रकार की काली भावना कानून बनाने में काम में न लाई जाय....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में ईर्ष्या है, इस प्रकार की बात कही जाती है यह अनुचित है । सदन के अन्दर न ईर्ष्या है, न द्वेष है, सदन तो राग-द्वेष रहित है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर ।

२ म० प०

श्री जनार्दनराय नागर : हमारे माननीय मित्र ने बड़ी रोचक बात बताई है कि सारा यह सीलिंग का बिल केवल एक फी सदी पर असर करता है....

श्री अनोपसिंह : यह राजस्व मंत्रीजी का स्टेटमेंट है ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह बड़ी दिलचस्प बात है, मैं अपनी ओर से थोड़ा उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । आपने ठीक बात बताई कि सारा सीलिंग का मामला एक फी सदी, २ फी सदी के लिये करना पड़ रहा है ।

राजस्थान की जमीन देखी जाय तो आज से कुछ अर्से पहले काफी हद तक दो या तीन फी सदी लोगों के हाथ में थी और जो भूमि क्रान्ति, भूमि सुधार के कानूनों के

(श्री जनार्दनराय नागर)

बाद राजस्थान में हुई उसके बाद जो प्रबन्ध सीलिंग के कानून से होने जा रहा है, जो सीलिंग यहां पर लाया जा रहा है उसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले जो सरकार द्वारा राजस्थान की भूमि के प्रबन्ध और मिलकियत के परिवर्तन की दृष्टि से जो कदम लिया गया है वह अलग है और यह सीलिंग का प्रश्न अलग है। सच्ची बात तो यह है कि सीलिंग का सारा प्रावधान आज १० वर्ष में भूमि की व्यवस्था में क्रान्ति करने का लक्ष्य है उसकी एक चरम प्रगति है। इस दृष्टि से इसको देखने जा रहे हैं। मुगालता इसलिये दिया जाता है कि यह सारा मामला एक या दो प्रतिशत लोग जिनके पास ज्यादा जमीन है उसको छीन ने के लिये किया जा रहा है। अगर यह बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां संपूर्ण रूप से जिन लोगों के पास में न्याययुक्त और विवेकयुक्त मजदूरी से ज्यादा जमीन है और जो लोग शारीरिक मेहनत करके नहीं बल्कि अन्य किसी शक्ति के द्वारा जमीन का उपयोग करते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग जमीन का उपयोग दूसरों की मेहनत से करते आ रहे हैं और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे निश्चित रूप से जमीन लेने का मकसद है तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की दृष्टि से वे उस पर काबिज नहीं रह सकते हैं। इसलिये मेरे मित्र ने ठीक कहा कि एक या दो मित्रों के पास सैंकड़ों बीघा जमीन की मिलकियत है वह उनकी उस ज्यादा जमीन को इस बिल के द्वारा ली जा रही है और इसके लिये हमारा यह जो प्रयत्न है वह सामाजिक न्याय की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे मित्र ने सामाजिक न्याय की तरफ इशारा किया और कहा कि यह सामाजिक न्याय करने का बहाना है। जब एक या दो पर्सेन्ट लोगों के हाथ में जमीन ज्यादा है उससे लेने का प्रयत्न किया जा रहा तो मेरे मित्र कहना चाहते हैं कि यह मामूली बात है लेकिन सोचा जावे और देखा जावे तो राजस्थान ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की यह एक प्रथम श्रेणी की समस्या है जिसके कारण आर्थिक परिणाम निकलते हैं और वह है जमीन की समस्या। यह जमीन की समस्या एशिया में तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक जमीन की मिलकियत के उपयोग में सारे के सारे दृष्टिकोण बदल नहीं दिये जावें। जिन देशों ने प्रगति की है उन्होंने इस भूमि के समस्या के मामलों में क्रान्तियां की हैं और सबसे पहले जमीन की व्यवस्था को ठीक किया है। मगर हमारे हिन्दुस्तान में जमीन की व्यवस्था को न देख कर दूसरी बातों को देखा है। लेकिन यदि हम जमीन की मिलकियत ऊपर के लोगों के हाथों में बनी रहने देते हैं, एक लम्बी-चौड़ी ज़मीन के क्षेत्र को एक या दो पर्सेन्ट लोगों के हाथ में रखना चाहते हैं तो मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जिस भूमि से लाखों लोगों का संबन्ध है उन लोगों के साथ हम सामाजिक न्याय नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि जो लोग कृषि करना चाहते हैं उनको वास्तविक रूप से भूमि पर कृषि करने का मौका दिया जावे। इसलिये यह साफ है कि जो आपने ३० एकड़ का माप रखा है और जिन लोगों के पास हजारों बीघा ज़मीन है उनसे वह ज़मीन निश्चित रूप से ले ली जावे। इसलिये यह एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट का मामला नहीं है यह तो राजस्थान में एक वह पैरेलाइज़

(श्री जनार्दनराय नागर)

तवका, लुंजपुंज है, उसको ठीक रास्ते पर लाना और एक तरह से उनके हाथ में हजारों बीघा ज़मीन है जिसका उपयोग वे खुद नहीं कर सकते हैं और दूसरों की मज़दूरी के लिये जमीन देते हैं, उनसे ज़मीन लेकर ऐसे लोगों को देते हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो हम उस जमीन के प्रति न्याय ही करते हैं। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक प्रतिशत या दो प्रतिशत के लिये ही जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, यह करना पड़ रहा है। मैं यह कहूंगा कि हमें भूमि के मामलों में क्रान्ति करनी होगी और क्रान्ति के अन्तिम चरण में जब तक सीलिंग कायम नहीं किया जावेगा मेरी यह मान्यता है और मेरा यह विश्वास है और जो मैं अपने इस मामले में प्रगतिशील विचार रखता हूं, कहूंगा कि राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से राजस्थान का कोई भी हित नहीं कर सकता है।

मैं यह कहूंगा कि कुटुम्ब पर आधारित भूमि है उसमें भी हमें आगे चल कर परिवर्तन करना होगा। हमने आज कुटुम्ब की भूमि की अधिकतम सीमा कायम की है लेकिन मेरा खयाल है कि इससे भूमि की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि आगे चल कर हमें व्यक्तिगत सीलिंग को लागू करना पड़ेगा। आज हमने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि एक कुटुम्ब के लिये निश्चित की है और जो ५ व्यक्तियों से ज्यादा का कुटुम्ब नहीं होगा। अगर ५ व्यक्तियों से ज्यादा बढ़ेंगे तो उसमें ६० स्टेन्डर्ड एकड़ तक भूमि की सीमा हमने निर्धारित की है। लेकिन एक समय आ सकता है जब हमको प्रति व्यक्ति भूमि निर्धारित करनी होगी। चीन में जब क्रांति हुई थी तो भूमि के बंटवारे को कुटुम्ब के आधार से हटाया और हर व्यक्ति को ३ बीघा के करीब सीलिंग तय किया। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक समय आएगा और वह आने वाला है जिस समय हमको उस नीति को मंजूर करना होगा। अगर हमने कोऑपरेटिव की भावना को ज्यादा से ज्यादा फैलाया तो निश्चित रूप से एक समय आने वाला है कि हमें व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के पीछे सीलिंग बनानी पड़ेगी।

आगे कहा गया है कि कुटुम्ब के मामलों में हमारी परम्परागत प्रथा और रीति-रिवाज हैं उनको मानना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी कौन-सी परम्परागत, प्रथा और रीति है। हमारे यहां पर देखा जावे तो संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली है लेकिन इन ५० वर्षों या ४० वर्षों में वह प्रायः मैं समझता हूँ वह प्रथा हमारे देश के लिये घातक ही सिद्ध हुई है और उसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं और हम छोटे छोटे कुटुम्ब पर आने लग गये हैं। हमारी यह जो संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली चली आ रही है और हमारा राजनैतिक और आर्थिक ढांचा सारा का सारा व्यक्तिगत सिद्धांतों पर चला आ रहा है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली शायद धीरे २ हमारे देश से चली जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने देखा होगा

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि लड़के और भाई ज्योंही बड़े हुए तो मां बापों से अलग होने की उनकी प्रवृत्ति बन जाती है । आज अदालतों में आपस में संपत्ति के झगड़े होते नज़र आ रहे हैं यह सब इस संयुक्त प्रणाली का ही एक मात्र कारण है । मैं समझता हूँ कि संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली हिन्दुस्तान से जितनी जल्दी चली जावे उतना ही हिन्दुस्तान के नागरिकों को उनके विकास में बल मिलने वाला है । तो कुटुम्ब जिसकी व्याख्या यह है कि वह ५ व्यक्तियों का हो अगर उनमें बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन उनको दी जाती है । मैं यह समझता हूँ कि यह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ तो हमने ५ व्यक्तियों की फ़ेमिली के लिये रखा है । ५ से अधिक ७ या १० हुए तो ६० एकड़ है । जो करीब करीब १०० बीघा के होती है । आप और हम यह कह सकते हैं कि यह १०० बीघा जमीन १० आदमियों के लिये काफ़ी नहीं है । ठीक बात है लेकिन आज जैसी स्थिति है उसमें विकास की गुंजायश है । आज हम कह सकते हैं कि यह जमीन १०,१२ व्यक्तियों के परिवार के लिए कम है लेकिन सच्च तो यह है कि हिन्दुस्तान में आज ८० प्रतिशत लोग जमीन पर लगे हुए हैं और जमीन पर उनका जीवन निर्भर है। यह लोगों की जमीन पर ही निर्भरता, उनका जमीन पर आवलम्बन है उसको धीरे धीरे हमें दूर करना होगा क्योंकि हिन्दुस्तान आज तक गये जमाने में एक कृषि प्रधान देश रहा है परन्तु अब आगे भी हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश रहेगा तो मैं यह कहूँगा कि आप हिन्दुस्तान के नागरिकों के प्रति न्याय नहीं करेंगे । हमें, हिन्दुस्तान को कृषि प्रधान देश जो आज तक रहा है, आगे नहीं रहेगा ऐसी मेरी मान्यता है । हमें उद्योगिक दृष्टि से इसे विकसित करना चाहिये । इसलिये हमें यह करना लाज़िमी होगा कि जमीन पर जो भारी दबाव है, जिस जमीन पर ज्यादा लोग अवलंबित हैं उनको धीरे धीरे दूर करके उन लोगों को श्रम में और उद्योग धन्धों में लगाना होगा । आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूमि देते चले जावें और ज्यादा से ज्यादा जमीन को कम से कम लोगों के हाथों में रहने दे, यह उचित नहीं है । इस-लिए इस सीलिंग के द्वारा यह किया जा रहा है कि पांच के परिवार वाले के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ज़मीन रख देनी चाहिये । आज अपने आप में जो एक सामाजिक उथल पुथल हो रही है उसको देख कर हमारे माननीय मित्र आशंकित हैं, भयभीत हैं और बिना शोरगुल के जो आज इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन होने जा रहा है, वे यह चाहते हैं कि यह न हो ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : किस पार्टी से भय लग रहा है ?

श्री जनार्दनराय नागर : उनके कई तरह के विचार हैं जो हमारे सामने बार २ रखे जाते हैं लेकिन जो सत्य है जो आज हमें मान कर चलना पड़ेगा । चाहे आज से दस वर्ष पहले कोई जागीरदार रहा हो, चाहे दस वर्ष पहले राजा रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, आज से बीस वर्ष पहले कोई महन्त रहा हो, चाहे कोई रहा हो, उनको सब को आज इस युग में मिल कर इकट्ठा चलना जरूरी है । हिन्दुस्तान में आजादी आयी तो धीरे धीरे देश में एक क्रान्ति ने जन्म लिया,

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामाजिक क्रान्ति ने जन्म लिया, जो शासक वर्ग था, जो सोशयल पैरासाइट्स थे उनके पैरों से ज़मीन खिसकती गई। ज्यों ज्यों औद्योगिक दृष्टि से हिन्दुस्तान ने कदम उठाया, ज्यों २ विकास की दृष्टि से हमारा देश आगे बढ़ा और बढ़ता चला जा रहा है त्यों त्यों उनके हाथों से ज़मीन खिसकने लगी। यदि आज हमने जमीन पर नियन्त्रण नहीं किया और सौ में से २० आदमियों के पास रही हजारों और सैकड़ों बीघा जमीन हमने रहने दी तो हम हज़ारों लाखों लोगों की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मदद तो दूर रही किन्तु जनतन्त्रीय व्यवस्था और सहकारी समाज व्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं, उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि इस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि यह तो उनको तंग करने की दृष्टि से ही किया जा रहा है तो नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि हम उनको किसी भी प्रकार से तंग नहीं करना चाहते हैं राजस्थान में अधिक से अधिक भूमि रखने वाले हमारे किसान का एक तबका है जिनके पास सौ बीघा से अधिक जमीन मिल सकती है। आखिर वे कितने हैं? उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। जो पुरानी सामन्ती व्यवस्था के पैदाइशी हैं उनके पास आज जितनी जमीन है उसकी तुलना में अधिक से अधिक जिसको अच्छा किसान कहा जाय उसके पास केवल १५० बीघा जमीन है, उन किसानों का नाम लेकर, किसानों के नाम पर वे अपने भूतकालीन व्यवस्था के पर्दे से उसको ढक लेना चाहते हैं। आप ईमानदारी से कहिये, इतमिनान से कहिये आप लोगों को उस व्यवस्था के कारण कम्पेन्सेशन की भारी रकमें मिलीं, दूसरे दूसरे लाभ मिले। हिन्दुस्तान में एक ज़लज़ला आया उसको देखते हुए आपने लाभ उठाया, काफ़ी ज़मीनें आपने रखलीं, हवाले रख लिये। आज आप हजारों बीघा ज़मीन अपने पास रख कर उसको अब कम नहीं करना चाहते हैं। आज किसान के हाथ में जो ज़मीन है वह उसके हाथों से नहीं जा रही है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि ज़मीन उन दो हाथों से जा रही है जिनके पास एक एक दो दो हज़ार बीघा ज़मीन है और जिसको वे लोग दबा कर बैठे हैं। आपकी भावना के प्रति हमको आदर है लेकिन दरअसल अफ़सोस इस बात का है कि आपकी भावना की कद्र करते हुए भी हम उस ओर चल नहीं सकते जिस ओर आप लेजाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में जो आज एक सामाजिक चेतना आयी है, एक लहर उठी है, उसको मैंने और आपने गति नहीं दी लेकिन हिन्दुस्तान की आज़ादी ने दी, हमारी प्रतिज्ञा है कि धीरे २ ऊपर के समाज के जो पैरासाइट्स हैं, जो दूसरों के श्रम, पसीने और खून से एशोआराम की जिन्दगी बसर करते हैं, जो सुरक्षित हैं, उस तबके को धीरे धीरे उस श्रेणी में लाकर रखा जावे जो अपना खून, पसीना बहाये और हिन्दुस्तान की आज़ादी को सुरक्षित रखें।

राजा श्री मानसिंह (ऐर) : You can defend Birlas and Dalmias.

श्री जनार्दनराय नागर : जो आज जागीरदार कहलाना चाहते हैं, मुआवजा लेना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान की प्रगति रुके।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा (किशनगढ़) : राजा मानसिंहजी भी हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : दूसरा सवाल यह है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा जाय या ६० एकड़। यह मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा आर्थिक और भूमि के बंटवारे की परिस्थिति पर निर्भर है। मैं समझता हूँ, २० से ५० बीघा तक, किसान का व्यापक समुदाय है जिनके पास इतनी ज़मीन होगी। यह मैं आपको एक औसत बता रहा हूँ। इसलिए पांच व्यक्तियों के कुटुम्ब के लिए ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखी गई है आज वह हमें कम मालूम होती है लेकिन इससे अधिक रखना नामुनकिन है। आखिर जो हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है उसको देखते हुए यह सीमा निर्धारित की है। यह कहा गया है कि ३८ पर्सेन्ट सरप्लस ज़मीन पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं लेना चाहते। एक आंकड़ा दे दिया। कहां है वह सरप्लस ज़मीन? यदि आपका बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तान की ओर इशारा हैं तो वहां अब पानी आवेगा। उस बंजर और खेती के अयोग्य जमीन को इतनी जल्दी खेती के योग्य नहीं बनायी जा सकती। विनोबाजी को भूमि दान में ऊसर और बंजर जमीन देकर, मगरियां और टाटली ज़मीन देकर बता दिया कि भूमिदान किया गया। आप यह भी कहते हैं कि सरप्लस जमीन भूमिहीनों को दे दी जाय। किनको दें? हरिजनों को दें। खूब, उनके लिए आपने आंसू बहाये। आपकी इस सदाशयता के लिए बहुत साधुवाद। आपकी सदाशयता में क्या छिपा है? उनको तो बंजर और पहाड़ियां ज़मीन दे दी जांय जिनको साधनों के आधार पर बनाया जाय, जो कि आज उनको उपलब्ध नहीं हो सकती। मैं पूछता हूँ कि जो सदियों के दूसरों कि श्रम और मेहनत एवं खून और पसीने से आज तक फ़ायदा उठाते आये हैं, जिन्होंने उनका शोषण किया है, जिन्होंने पने हाथों नीचे हजारों बीघा जमीन दबा लीं है; हवाले बना लिये हैं, मुआवज़ा ले लिया है क्या उन्होंने कोई अच्छी खेतिहर ज़मीन बाकी छोड़ी होगी? आज राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीन को उन्होंने नहीं रहने दिया। लेकिन जो ऊसर जमीन है उसमें जब नहर आ जावेगी तो अपने आप लोग उनमें जाकर बसने लगेंगे, आगे भविष्य के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन राजस्थान में जितनी अच्छी अच्छी ज़मीन थी, जो खेतिहर थी उस पर ज्यादा मिकदार पर उस तबके ने कब्जा जमा लिया है। पुराने राज्य करने वाले, उनकी मदद करने वाले, पुराने राज्यों के क्षुद्रकों ने आज अच्छी अच्छी ज़मीन पर हक कायम कर रखा है, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे जागीरदार के रूप में हो, कब्जा जमा रखा है। यदि समाजवादी समाज व्यवस्था को राजस्थान में कायम करना चाहते हैं तो वह सामाजिक न्याय के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए पांच व्यक्तियों के कुटुम्ब के ऊपर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ और अधिक से अधिक ६० एकड़ दें। इसके अलावा जितनी अधिक ज़मीन है उसको आदर के साथ, तहज़ीब के साथ और दोस्ती से ले लिया जाय और उन लोगों को दे दी जाय जिनको जमीनें सदियों से और जो सदियों से जमीनों को पुकार रहे हैं।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि सीलिंग के सम्बन्ध में सबसे ज़्यादा बहस हो चुकी है। इस पर पहले भी बहस हुई थी। इस समय तो इस सीलिंग के कानून की यह हालत हो गई है कि

(ठा० श्री मदनसिंह)

ईमानदारी से जो जमीन देना चाहते थे वे आज स्वतन्त्रतापूर्वक इस सदन में अपने विचार भी नहीं प्रकट कर सकते। सीलिंग का जो महत्व था वह तो दो वर्ष पहले ही इस कानून के पास हो जाने पर था। पहले राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन हो रहा था, पार्टियों और ओपोज़िशन से कहा जा रहा था कि जल्दी से जल्दी सीलिंग लागू कर दी जाय। उस वक्त इसका महत्व था। लेकिन दिल्ली में दौड़धूप हुई। लेकिन अब ज़मीन किनको मिलेगी ? जो गुड़ की दूकान कर रहे हैं उनको जमीन मिलेगी। सीलिंग तो बहुत पहले ही लागू हो जानी चाहिये थी। इसके लिए रिक्वेस्ट भी हो रही थी लेकिन सीलिंग कानून को लाकर पोलिटिकल काम किया और वह किया कि सीलिंग को बड़ी बात बना कर जागीरदारों को अपने पक्ष में करने के लिए डिलेटेक्टस पैदा किये जाय। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के बंगले पर बड़े बड़े जागीरदार गये। उनको ज़मीन मिल गई लेकिन उनका काम सर्व नहीं हुआ। जो जागीरदार ज्यादा जमीन रखना चाहते हैं उनको भी कमी नहीं होगी। राजस्थान में सीलिंग लाकर इसे एक पोलिटिकल चीज बना दी गई है। किसानों को कहा गया कि उनको जागीरदारों से जमीन दिलवाई जायेगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाओ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि क्लॉज ३० सी पर बहस हो रही है।

श्री मदनसिंह : मैं जितने भी अमेन्ड-मेन्ट इस धारा पर रखे गये हैं उन सबका विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन सदन के बाहर क्या स्थिति है वह मत लाइये।

श्री मदनसिंह : सदन के बाहर ही तो सीलिंग लागू होनेवाला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि सदन के बाहर की जो भी स्थिति है वह इस प्रांगण पर नहीं आयेगी। यहां इस समय आपके सामने धारा ३० सी का प्रश्न है उसी पर आप अपने विचार प्रस्तुत करें।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इसमें एकड़ कितने मन का होगा आदि जो आधार बताया गया है वह मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। पांच फैमिली के मनुष्यों की आयु समान नहीं रह सकती। आपने एक एकड़ के बारे में कृषि पंडितों और विशेषज्ञों की जो राय ली है उसके बारे में मैं आप से यह कह सकता हूं कि कोई यह नहीं कह सकता कि आज जो भाव हैं वे ही भाव दस वर्ष तक बने रहेंगे या जो पांच आदमियों की फैमिली है उन सबकी आयु १०० वर्ष की होगी। १ एकड़ में इतना ही मन होगा यह कभी एन्टीसिपेट नहीं किया जा सकता। इस तरह से यह बहस जो हो रही है वह निराधार सी हो रही है। यह सीलिंग का जो बिल है वह यदि जागीरी बिल के साथ ही पास हो जाता तो आज जो दिक्कतें हो रही हैं वे सामने नहीं आती। उसके बाद हो सकता है सीलिंग में कमी बेशी हो सकती थी। इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि जो आपने तीस एकड़ का मापदंड रखा है उसके बजाय वैल कल्टीवेटेड लैंड में से दस या पन्द्रह

(श्री मदनसिंह)

एकड़ भी भूमि आप दिलवा देते हैं तो वह ज्यादा ठीक रहता। जैसा कि कल श्रीव्यासजी ने फरमाया था वैल कल्टीवेटेड फार्म में से आप गरीबों को १५ एकड़ जमीन दिलवा सकते तो यह सीलिंग का पर्पज अच्छी तरह से सर्व हो सकता था। आज मान लीजिए किसी के बड़ा भारी फार्म है, उस फार्म में से हरेक को तीस एकड़ या पन्द्रह एकड़ दे दी जाती है तो फार्म के मालिक को किसी प्रकार का नुकसान होनेवाला नहीं। उसको उसका मुआवजा न दिया जाकर बारानी वेस्ट लैन्ड जो है वह उसको दे दी जाय ताकि वह अपने पास जो साधन उपलब्ध हैं बड़े ट्रैक्टर्स आदि के उनसे उस जमीन को उपजाऊ बना सकता है। यह सही मायने में लैन्ड रिफॉर्म होता। आज आप यह आशा लगाये बैठे हो कि जागीरदारों के पास जो ज्यादा जमीन है वह हम ले लेंगे और उन लोगों में बांट देंगे जिनके पास जमीन नहीं है, यह आपकी भूल है। जागीरदार और जमींदार अपने पास की जमीन को बेच चुके हैं। यह तो आप चाहते थे कि किसान भी हमारी पॉकेट में रहें और जागीरदार भी हमारे पॉकेट में रहें। इस तरह से, और अमेन्डमेन्ट करने में तीन, चार महीने और लग जायेंगे। किसानों को यह कहा जायगा कि जागीरदारों से जमीन छिनी जायेगी लेकिन जागीरदार तो अपनी जमीन को बेच चुके। मैं आपको नागोरजिले की एकबात बता सकता हूँ। वहां के जागीरदारों ने दो सौ, चार सौ काश्तकारों को बेदखल करके सारी जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दी है। वैसी हालत में इस बहस का क्या नतीजा होगा ? आज जिस प्रकार स्वतंत्र पार्टी के नेता कहते हैं सीलिंग की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है ? उनके ख्याल से सीलिंग की इसलिये जरूरत नहीं कि सभी काश्त कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा वह यह कि आप यदि छोटे जागीरदारों को खत्म नहीं करते तो सीलिंग की जरूरत ही नहीं रहती। हो सकता है मेरे इस कथन को आप जागीरदारों के प्रति फेवर मानें किन्तु यह सही है कि यदि आप छोटे जागीरदारों को खत्म नहीं करते तो सीलिंग की जरूरत नहीं होती। दस बीघा भूमि भी अगर उनके पास थी तो उनको एक प्रकार से विश्वास था कि यह जागीर मेरी है इस पर मैं दस हजार भी कर्जा ले सकता हूँ और उसको किसी उद्योग धन्धे में लगा सकता हूँ। यदि इस तरह से हो जाता तो जमीन की यह भूख नहीं रहती। आज हमें देखना यह है कि गलती कहां पर है।। जो व्यक्ति आज तक जमीन को देखना तक नहीं चाहते थे, जमीन पर काश्त करना नहीं चाहते थे आज उन लोगों को भूमि की भूख लगी हुई है। आज यह एक पोलिटिकल चीज बन गई है लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि अब जमीन मिलनेवाली नहीं है। अगर आप गरीबों को जमीन दिलाना चाहते हैं तो इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं जो वैल कल्टीवेटेड फार्म्स हैं उनमें से गरीबों को १५ एकड़ या ३० एकड़ भूमि मिल जाय तो वह ज्यादा उपयोगी हो सकती है। यहां तो तोले तकड़ो अलग अलग हो रहे हैं। आप न तो कभी प्रकृति पर ही काबू पा सकते हैं और न यह अन्दाज ही लगा सकते हैं कि इतना अनाज पैदा होगा। आपको एक व्यक्ति के लिये काश्त करने का मापदण्ड बनाना है तो यह देखना चाहिये कि एक आदमी दिन भर में कितनी भमि

(श्री मदनसिंह)

काश्त कर सकता है उसी आधार पर भूमि का वितरण करना चाहिये। टीबे की जमीन और नहरी इलाके की जमीन में कोई अन्तर नहीं मानता क्योंकि दोनों के लिये बराबर की मेहनत पड़ती है। चाही जमीन को भी उतनी ही उलटपुलट करनी पड़ती है जितनी बारानी जमीन को। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य भारत का किसान ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसको अपनी जमीन में काफी उलटपुलट करनी पड़ती है और उसी में बारह महीने ही लगा रहता है। आपको यदि सही मापदंड बनाना है तो यह आप देखिये कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति एक दिन में कितनी भूमि पर काश्त कर सकता है और उसी को आप आधार बनाइये। वह आधार जब तक नहीं आयेगा आप चाहे कितने ही कृषि पंडितों की राय ले लीजिये, कितने ही कानूनी एक्सपर्टस की राय ले लीजिये आपका आधार सही आधार नहीं बन पायेगा और वह आंकड़ों से नहीं बनेगा। एक आदमी चाहे आप उसकी डॉक्टरी जांच करवा लीजिए वह जितनी खेती कर सकता है उसी को आधार बना कर आप भूमि का वितरण करते हैं तो वह भूमि का वितरण अच्छी तरह से हो सकता है। आज तो आपके सामने केवल पोलिटिकल चीजें चली आ रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू में दो शब्द कहे थे। आज जमीन के बंटवारे को लेकर लोग पोलिटिकल लीडर्स के शिकार हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो दूकान करते हैं, गुड़ और तेल बेचते हैं उन लोगों की दर्ख्वास्तें आ रही हैं सीलिंग की भूमि लेने के लिए। सच्चे काश्तकार तो रहे ही नहीं कुछ थे भी तो वे सीलिंग की इन्तजारी में काफी रहे। उन्होंने आपके वायदों में काफी अर्सा बिता दिया। आज वे राजस्थान में नहीं हैं कुछ तो मध्य-भारत में चले गए और कई मिलों में काम कर रहे हैं और कई लोग बाहर जाकर बस गए हैं। आपने जो इसमें ३० मन का आधार माना है और जो आंकड़े लगाये हैं वह कोई सही अन्दाज नहीं है। न गवर्नमेन्ट ने अन्दाज लगाया है वह भी सही है और न दूसरे सदस्यों ने लगाया वह सही है। एक आदमी कितनी भूमि काश्त कर सकता है उसी को आधार मान कर सीलिंग कायम करते हैं तो वह सही मायने में सफल हो सकता है। आप केवल इलेक्शन में जाकर यह कह कर अपना मतलब हासिल कर सकते हैं लेकिन इस तरह से गरीब किसानों को गुमराह मत करिये, सही चीज का आधार रखिये। और मैं उन जागीरदारों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह ५७ का है कानून। आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को खुश करते आ रहे हैं। पर आपकी वे जमीनें वापिस छीनी जावेंगी। इसलिये ये सब चीजें पोलिटिक्स में न रख कर सीधी सीलिंग की भावना से रखें। कहा गया कि गरीबों को दी जावेगी और जिनके पास अधिक है उनसे वापिस ली जावेगी। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो ठीक है नहीं तो यह होगा कि पोलिटिक्स खेली जावेगी और जो लैंड वेस्ट पड़ी है सरकार के पास वह सरकार देगी जिसे कोई सूंघेगा भी नहीं। क्योंकि जिनके पास अधिक जमीन थी और अच्छी जमीन थी वह तो कभी की बिक चुकी। कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर जमीनें देने की बात कही जाती हैं पर अभी उसके लिये भी सीलिंग की इन्तजार है। मैं कहता

(श्री मदनसिंह)

हूँ जब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं तो फिर छोटी छोटी जमीन के ये टुकड़े क्यों ? इस कानून को ऐसा बनाया है कि कोई ईमानदारी के तरीके से खेती करने का विचार रख सके, ऐसी बात नहीं है। ६२ तक पोलिटिक्स के तरीकों से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो विषय है उसी पर आप बोलें। विषय से माननीय सदस्य इतने दूर चले गये हैं कि मेरे लिये यह बड़ा कठिन हो गया है कि विषय पर उनको लाया जावे।

श्री मदनसिंह : जिस विषय से जहां पर सम्बन्ध होगा वही कहा जावेगा। आपस में इस कानून के द्वारा भिड़ाया जा रहा है। वे सीलिंग के बारे में जागीरदारों से तीस, तीस एकड़ जमीन दिलावेंगे। यह पोलिटिकल वर्क हो रहा है। कतई तीस एकड़ अच्छी जमीन में से नहीं दिलाई जा सकेगी। केवल कानून बनेगा और जमीन, वही नाले–खोले और बंजर–पड़त भूमि में से तीस एकड़ दी जावेगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि सीलिंग के लाने में प्रमुख लोगों की जो विचारधारा थी वह तो सिद्ध होती नहीं दिखती। जैसे और और कानूनों की की बर्बादी होती है वैसे ही इसकी बर्बादी होकर पोलिटिकल वर्क होगा। आर्थिक या दूसरी चीजें हो जावेंगी ऐसी मुझे आशा और विश्वास नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ३० सी पर जितने भी अमेन्डमेंट्स पेश हुए हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। यह क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसको मामूली तरह से समझा जा सकता है। इसमें यह है कि जिसके पास तीस एकड़ जमीन है तो वह रख सकता है उसके लिये कोई सीलिंग नहीं। अगर कोई इससे ज्यादा चाहता है तो उसे साबित करना होगा। कैसे ? इस तरह कि एक एकड़ में दस मन गेहूँ पैदा होना चाहिये वह नहीं होता इसलिये अधिक चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०): मैं पूछना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी और निवेदन किया था कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो इसके बीच में आप किसी तरह की दस्तन्दाजी या इस तरह से इन्टरफियर न करें। उसके बाद भी इस आसन की आज्ञा बिना प्राप्त कर खड़े हो जाते हैं यह अनुचित है। मैं पुन: आपको सूचना देता हूं कि हाउस की डिकोरम और परम्परा का आप ध्यान रखें और उनका पालन करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं और अब की यदि आपने इस तरह का कोई कदम उठाया कि जिससे हमारी व्यवस्था और परम्परा को आघात पहुंचा तो मुझे कड़ा कदम लेना पड़ेगा आपके विरुद्ध।

श्री मदनसिंह : ये अखबार में नाम चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस तीस एकड़ भूमि में तीन सौ मन पैदा होता है या ज्यादा होता है तो एक परिवार पांच व्यक्तियों का उस पर रह सकता है और अगर इससे कम होता है और ज्यादा जमीन की आवश्यकता है तो साबित करना होगा कि एक एकड़ जमीन में दस मन पैदा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद ६० एकड़ तक रख सकता है। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि पांच सदस्यों के परिवार को तीस स्टेन्डर्ड एकड़ तक रखने का अधिकार है।

अब यह कहा गया है कि स्टेन्डर्ड एकड़ का क्लासिफिकेशन का तरीका ठीक नहीं है। इसमें अगर हम लगान का आधार रखते तो इसमें और भी कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होतीं क्योंकि इसमें कई जमीनों में अच्छी पैदावार है, कई में कम है जैसे गंगानगर का इलाका। इसके अलावा यह आधार रखते कि जमीन पर ही रख दिया जावे तो इसमें भी कई अड़चनें हो सकती थी। इसका कारण यह है कि जमीन बारानी में भी कई किस्में हैं पहली-दोयम-तेयम। चाही रखें तो इसमें भी दोयम्-तेयम वगैरह हैं। इसलिये इन असुविधाओं को मिटाने के लिये यह तरीका ही सुविधाजनक समझा गया और उसके लिये स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन पैदावार का मापदण्ड रखा गया। यह भारत सरकार ने भी माना है। पाकिस्तान की जमीन का मुआवजा भी भारत सरकार इसी आधार पर दे ले रही है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह तरीका साइन्टिफिक नहीं है।

अब इसके आगे निवेदन करना चाहता हूँ

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा निवेदन यह है कि आप सीलिंग कमेटी के मेम्बर थे फिर आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं ?

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा : मैंने तो मन्जूर किया है। विरोध कहां कर रहा हूँ ? आप सुनते नहीं, यह अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष : He is supporting it.

श्री हरिप्रसाद यादव : सदन का समय....

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब तीस से कम क्यों नहीं रखा गया ? इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक कहता है यह ज्यादा है, कम रखना चाहिये। दूसरा कहता है ज्यादा रखना चाहिये, यह कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है कि पांच व्यक्तियों का एक परिवार कितनी जमीन में अपने स्वयं के श्रम से काश्त कर सकता है बिना किसी मशीनरी आदि की मदद से, यह माप्दण्ड रखा है। यहां किसी आदमी से लेकर देने का सवाल नहीं है जमीन की उत्पादन शक्ति किस प्रकार से बढ़ सकती है, यह सवाल है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप कैसी उत्पादन शक्ति चाहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरे माननीय मित्र शान्तिपूर्वक सुनेंगे तो उनको मालूम हो जावेगा कि मैं कैसे चाहता हूं। पांच व्यक्ति तीस एकड़ में दस मन के हिसाब से ३०० मन पैदा कर सकता है। अब इसमें ज्यादा

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करने में अधिक शक्ति चाहिये और वह पांच व्यक्तियों का एक परिवार नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से पांच व्यक्तियों के एक परिवार की मेहनत को देखते हुए यह काफी हो सकती है। अब इसमें ट्रेक्टर से या दूसरों की मेहनत पर मुनाफा कमानेवाले व्यक्ति ज्यादा कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री दलपतसिंह : आप नाराज हो गये ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसलिये ३० एकड़ कम कहना गलत है। क्योंकि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ काफी है। यहां तरीका यह समझा गया कि उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है क्योंकि ज्यादा जमीन होने पर क्या होगा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है पांच सौ या हजार बीघा जमीन है वह व्यक्ति खुद काश्त नहीं करते और दूसरों को जमीन देकर काश्त करवाते हैं और बिचौलिये बन कर पैसा कमाते हैं। इसका कारण यह हुआ कि जो लोग जमीन पर आबाद हैं और खेती करते हैं वे उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करते कि उससे ज्यादा पैदा करे क्योंकि उसको मालूम है कि उसको वह जमीन एक साल के बाद वापिस देनी है इसलिये थोड़ा बहुत जितना उसको फायदा कमाना होता है वह कमा लेता है और बाकी जमीन वैसी की वैसी रख देता है। हमारे देश की उत्पादन शक्ति इसीलिए कम हुई है कि जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बने हुए हैं उन्होंने जमीन दबा रखी है और उसको किराये पर देकर मौज उड़ाना चाहते हैं। दरअसल अगर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर पांच आदमियों का परिवार पूरी तरह से मेहनत करके आमदनी पैदा करे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह जो ३,६०० रुपये रखे हैं साल भर की आमदनी के तो ७,६०० रुपये पैदा हो सकते हैं, इसके अन्दर कोई कमी-बेशी नहीं हो सकती।

इसके अलावा कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ बहुत ज्यादा रख दिया गया है और कम होना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखी गई है वह कम है या ज्यादा है इसका सवाल नहीं है। आप मुझे यह कहेंगे कि सीलिंग करने की क्या आवश्यकता हुई ? तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जमीन का उत्पादन बढ़ाना है और वह उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कि अगर एक परिवार श्रम से अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार करेगा और तभी हमारा देश उन्नतिशील हो सकेगा। इसलिए हम सीलिंग चाहते हैं। अगर सीलिंग से जमीन बचती है तो उसका बंटवारा करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह आपने एक परिवार की वर्किंग कैपेसिटी कैसे निकाली, जरा इतना सा बता दें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : वकालत से निकाली है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जिस प्रकार से आपने १५ एकड़ की निकाली। उसी प्रकार से मैंने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की निकाली।

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि हमने तो डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर १५ स्टेन्डर्ड एकड़ निकाली है। आपने किस आधार पर निकाली है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक मित्र बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की वकालत क्यों कर रहा हूं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिन व्यक्तियों से ज़मीन ले रहे हैं उन व्यक्तियों के सुख-सुविधा को भी मद्देनजर रखते हुए उनसे ज़मीन लेनी है। आपका यह मसाला इस तरह से तय नहीं हो सकता कि आप उनसे ज़मीन ले लें और उनकी सुख-सुविधाओं को मिटा कर गरीबों को ज़मीन दे दें। अब इसका हल किस तरह से हो सकता है, यह मैं आगे जाकर बताऊंगा।

डॉ० **बहादुरसिंह** : ४ लाख भूमिहीनों का सवाल है वह कैसे तय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : गरीबी का मसला नहीं है यहां तो क्लॉज़ ३० सी का मसला है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये माननीय सदस्यों से कि वे मेरे विचार सुनें जिस प्रकार से उन लोगों के विचार सब ने सुने हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वे मेरे विचार भी शांतिपूर्वक सुनेंगे।

श्री चंदनमल वैद : (सरदार शहर) वह तो हम आपसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपकी आज्ञा से ही बोलते हैं।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : माननीय महोदय, यह जो कहा गया कि ३० स्टेंडर्ड एकड़ से सीलिंग कम की जाये और हम उन भूमिहीन किसानों को दें जिनके पास ज़मीन नहीं है, यह मसला ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश की स्टेन्डर्ड ऑफ़ लिविंग को हम इस तरह से नीचे नहीं गिराना चाहते हैं जो कि बिलकुल ही नीचे गिर जाये और दूसरे देशों के लोग हमारे लिए बातें बनाना शुरू कर दें। हमें सोचना होगा कि हमें स्टेन्डर्ड मुकर्रर करना है। अगर उससे नीचे गिरते हैं तो यह हमारे देश के लिए खतरनाक बात होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ज़मीन लेने का सवाल है वह पहले है और जमीन देने का सवाल बाद में है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे आप लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको यह खयाल भी रखना होगा कि जिन्होंने पहले महलों में मौज उड़ाई है अब सिर्फ उनके बच्चे सुख चैन से खा सकें। इसलिए यह जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है यह बिलकुल ठीक है। आज किसान लोग गरीबी से व्याकुल हैं। गरीबी को दूर करना कौन नहीं चाहता ? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सब को कंगाल कर दें। तो आपने जो उदाहरण समाजवाद का दिया और कई बातें बताई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग समाजवाद की ओर दौड़ रहे हैं और यह जो समाजवाद की लहर आई है यह मिट नहीं सकती। लेकिन देश में इस तरह का समाजवाद आना चाहिए कि जिससे देश की स्थिति ठीक हो जाये। अगर हम किसी को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम ज़मीन दें और अगर वह उसकी उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ा सकता और उससे अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता तो हम अनइकोनॉमिक होल्डिंग तैयार करेंगे। ऐसी स्थिति में जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

किया है वह बिलकुल ठीक है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जैसा बताया था कि आर्टीकल १५ की अवहेलना हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो यहां प्रश्न ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जवाब देंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सदस्य मेरा भी राइट है कि मैं भी जवाब दूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सीलिंग का स्टेन्डर्ड कायम किया है वह बिलकुल उपयुक्त किया है और जितने भी संशोधन आये हैं वे विचारणीय नहीं हैं और वे मानने योग्य नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information Sir. We have received one amendment notice which has to be moved by Shri Damodar Lal Vyas, Revenue Minister. It is better if this amendment is put before the House so that the Members may also speak on this point. If it is put before the House, some member may like to speak... जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने रखा है उसे फॉर्मली मूव कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : It is taken as moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : How can it be taken as such ?

श्री उपाध्यक्ष : I treat it is as moved.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Members will have a right to speak.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : Only the bachelors.

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है और अब जब कि माननीय मंत्री महोदय इसको उपस्थित करना चाहते हैं और अमेन्डमेन्ट को मूव करना चाहते हैं तो जो मेम्बर्स पहले बोल चुके हैं और मंत्री महोदय अब अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहते हैं तो वह अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे ? या तो उनको फिर बोलने का मौका दिया दिया जाये। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अहम मसला है और इस पर उन्हें फिर बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पॉइन्ट ऑफ़ इन्फ़ोर्मेशन का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न पर विचार कर रहा हूं।

Yes, Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, आजकल प्रगति एक रोग हो गया है और वह रोग....

श्री उपाध्यक्ष : आप हटाइयेगा उसको ।

(हंसी)

श्री तनसिंह : मैं उसको स्पष्ट कर दूं। मैं उसका निदान जानता हूं । वह रोग ऐसा संक्रामक बन गया है कि हर आदमी इससे पीड़ित होता हुआ दिखाई देता है । हर आदमी बढ़ बढ़ कर बातें करता है । हर आदमी ऐसे उसूल लाता है जो व्यावहारिक नहीं हैं और व्यवहार में सही नहीं उतरते हैं लेकिन फिर भी नारा बड़ा आकर्षक है । नारा बड़ा सुन्दर है, क्योंकि बड़ी लच्छेदार भाषा में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सी भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि उससे कई लोगों पर कीचड़ उछाला जा सकता है । महज़ इस प्रकार की बात को लेकर चलते हैं लेकिन वास्तव में देखते हैं कि जो व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है । वह आकर्षक तो है लेकिन व्यावहारिक नहीं है, इसलिए ग्राह्य नहीं है ।

हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसमें जहां तक बहस और भाषण करने की बात है, हमको पूर्ण स्वतन्त्रता है । हमको कोई रोक नहीं सकता । लेकिन मेरा निवेदन है कि बहस मुबाहसे में हम किस दिशा में जा रहे हैं । आप एक सीलिंग लगाने का निश्चय करते हैं । सीलिंग लगाने का निश्चय यह करते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ज़मीन रखी जाय, और यदि आज सारी स्टेट की सभी भूमि का कर लें तो सम्भवत: बहुत कुछ इस विषय में कहा जा सकता था । लेकिन आज जैसी भी स्थिति है उसके मुताबिक जिस तरह से सोचा गया है उसके मुताबिक ३६,००) रु० सालाना की आमदनी होगी और ३,६००) रु० को स्टेन्डर्ड आमदनी मान कर मैं इस पर विचार व्यक्त करूंगा ।

मेरे एक माननीय मित्र जो अपने आपको एक प्रगतिशील कहने का दावा करते हैं और दुर्भाग्यवश वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं और समाजवाद का नारा लगाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : और जिनका नाम व कॉन्स्टिट्युएन्सी भी नहीं है ।

(हंसी)

श्री तनसिंह : मेरे खयाल से बीकानेर से वे आये हुए हैं । वे तो यहां तक बढ़ना चाहते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह १५ स्टेन्डर्ड एकड़ होनी चाहिए । इस सिद्धान्त को यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो ३,६००) रु० आमदनी होती है वह ग्रास आमदनी है । उसमें और भी प्रोडेक्शन का खर्चा है वह भी इसके अन्दर शामिल है । मेरा यह निवेदन है कि चाहे नहरी इलाका हो चाहे दूसरा इलाका हो आजकल जो हमारी खेती है वह अविकसित है उसके कारण मैं तो नहीं समझ सकता कि वह बहुत इकोनोमिक या बहुत अच्छी आमदनी का ज़रिया है । यह तो मात्र जीवन यापना का साधन है । कोई यह न समझ ले कि खेती से वह लखपति हो जायेगा, खेती से वह बिड़ला, टाटा, डालमियां बन जायेगा । यह कल्पना व्यर्थ है । जब कि आज हमारे पास विकसित साधन नहीं हैं, जब कि वास्तव में इस अविकसित अवस्था के अन्दर उससे जो आमदनी प्राप्त होती है उसके आधार पर खर्चा उनका इतना है । वह अनुमानत: ५० प्रतिशत है । क्योंकि यदि वह सिंचाई करता

(श्री तनसिंह)

है तो चाहे मशीन लगाये तो खर्चा होगा चाहे बैल रखे तो खर्चा होगा, आदमी के श्रम पर खर्चा होगा, रकम के ब्याज पर खर्चा होगा। कुल मिला कर अनुमानतः ५० प्रतिशत खर्च के चले जाते हैं तो बच रहे १,८००) रु० और उसके अन्दर ५ व्यक्तियों की एक फेमिली। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी आजादी हमको किस प्रकार से भूखों मरना सिखा देगी। यदि यही इस आजादी का मतलब है तो जैसा कि मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हवा खिसक रही है उन लोगों की जो शोषण करते आ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ज़मीन खिसक रही है। हवा नहीं कहा।

(हंसी)

श्री तनसिंह : ज़मीन और हवा के खिसकने में कोई खास अन्तर नहीं है। लेकिन जमीन किसके नीचे खिसक खिसक कर आ रही है जो शोषण कर रहे हैं वास्तव में। जब तक मोटे मोटे बिड़ला, डालमिया और टाटा संरक्षण पाते रहेंगे, उनके महल बने रहेंगे तो उनके साथ हमारी टूटी झोंपड़ियां भी खड़ी रहेगी। उनके महल गिरेंगे तो हमारी झोंपड़ियां भी गिर सकती हैं। आप चाहते हो कि जागीरदार और राजा खत्म हो जायेंगे ३० एकड़ जमीन करने से तो शायद आप यह समझते हैं कि कान कटा तो हमारा सिर काटेंगे यह कोई समाजवादी....

श्री उपाध्यक्ष : आप तर्क काटते तो ज्यादा अच्छा रहता बजाय सिर के और कान के।

(हंसी)

श्री तनसिंह : आप पैर ही काट दें यदि यह तर्क है तो। इस पर विचार किया जा सकता है। कहीं पर एक मांचा है और १० आदमी हैं और एक मांचे का समान वितरण करें तो एक एक आदमी अपनी एक एक टांग रख दे तो इस तरह से १० आदमियों को क्या आराम मिलेगा? इससे कोई समस्या सुलझेगी यह मेरे दिमाग में नहीं आने का है। एक मांचे को एक इकोनोमिक युनिट मान लें और उस जमीन को एक इकोनोमिक युनिट मान लें जिसका आधार लेकर चलते हैं तो मात्र नारे के और कोई उसूल की बात नहीं है जो कि देखने में बड़ा आकर्षक है। सूर्य बड़ा आकर्षक है। कल्पना कीजिये कि रहने के लिए यदि वहां कोई जाने की चेष्टा करेगा तो पहुंच नहीं सकता है....

एक माननीय सदस्य : चांद पर जा रहे हैं।

श्री तनसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि आज आप धरती पर हैं। जिस प्रकार के सिद्धान्तों की आप कल्पना करते हैं उसके करने से पहले जो जीवन के साधन के ज़रिये है, १,८००) रु० में ५ आदमियों का परिवार रहे तो आप लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वह राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? आप दावा करते हैं, नारे लगाते हैं कि इससे किसानों की उन्नति कर रहे हैं। इससे उनका राजनैतिक विकास होगा, उनका आर्थिक विकास होगा। मेरे तो दिमाग में यह तर्क समझ में नहीं आया। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि

(श्री तनसिंह)

१,८००) रु० की आमदनी हो और उसमें भी समाजवाद के हिसाब से ९००) रु० एकड़ का रखना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि उनसे पूछूंगा कि उनके बच्चे कैसे कॉलेज में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शन को लड़ेंगे। उनके लड़के कैसे समाज में आज के स्तर से खड़े रहेंगे-वह उत्तर देते हैं कि पता नहीं। यही वह पोल है जिसका कि ढोल पीटा जा रहा है।

मेरा यह निवेदन है कि यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो, वास्तव में हम चाहते हैं कि देश की उपज बढ़े तो समस्या इस बात की नहीं है कि लोगों के पास जमीन कम है या वह अन्त तक रहे और बराबर बराबर इन्च, फुट और गज से नाप कर बांटें। आदमी बढ़ जायेंगे तो ३० एकड़ से १५ एकड़ कर सकते हैं लेकिन जमीन का समान वितरण करना है। माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार की कोरोलरी पर हम चलें तो शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आदमी को खड़े रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी उस समय कौन सा सीलिंग लागू किया जायगा। यह एक उसूल है, यह कोई समस्या का निदान नहीं है। यह मात्र अपने आपको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि हम वास्तविक रूप में समस्या का हल करना चाहते हैं तो वह केवल उद्योगों के विकास से कर सकते हैं। जिसका हम नारा लगाना चाहते हैं वह केवल बात से या नारे से या विवाद से नहीं हो सकता है। अगर हमने राजस्थान में इस ओर कुछ प्रयास किया होता तो इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, और जो आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और लोगों की आपत्तियां बढ़ रही है, वह नहीं होता। उसके परिणामों पर विचार करना चाहिये। बांध को तो रोकना नहीं चाहते हैं और इससे फैलने वाला पानी खराब नहीं करे या फैलने वाला पानी नष्ट नहीं करे यह आशा कैसे की जा सकती है। हमको मूल कारण को रोकना पड़ेगा। मूल कारण को नहीं रोक कर परिवार नियोजन से आबादी से बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि परिवार नियोजन से कैसे समस्या का हल होगा। यदि आज कुछ समस्या हल भी हो जायगी तो इसके बाद में फ्लेक्सिबल है नहीं जमीन। वह तो इतनी ही रहेगी। हम बढ़ जायेंगे लेकिन हमारे विकास के साधन अवरुद्ध हो जायेंगे। इसको आप प्रगति कहना चाहते हैं, विकास कहना चाहते हैं। यह मात्रवत् सिद्धान्त है उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। समय को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से सदन में राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ एमेंडमेंट बिल की धारा ३० सी पर विचार हो रहा है। हम राजस्थान में अधिकतम जोत की सीमा क्या चाहते है, यह इस धारा में रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान में कितना समय चाहते हैं जमीन के सम्बन्ध में। इस पर विचार करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे हिदुस्तान के दूसरे राज्यों में इस बारे में क्या प्रावधान हैं ? दूसरे राज्यों में क्या रखा गया है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : हम तो फोलोअर नहीं हैं। लीडर रहते हैं।

श्री भीमसेन : यह मानी हुई बात है कि हमारा राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है आर्थिक दृष्टि से और अगर हम आज जो सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं उसमें इस बात का खयाल नहीं रखेंगे कि दूसरे राज्यों से किसानों की हालत क्या होगी सीलिंग लागू करने के बाद में, और हमारे किसानों की क्या हालत होगी—यदि यह आप ध्यान में रखकर राजस्थान में सीलिंग क्या हो इस बारे में ठीक तरीके से विचार कर पायेंगे।

अब दूसरे राज्यों में क्या प्रोविजन रखा गया है उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, यू० पी० में जो बिल आया है सीलिंग का उसमें ४० स्टेन्डर्ड एकड़ रखना चाहते हैं। बिहार में जो बिल पेश हुआ है सदन में उसमें ३२ स्टेन्डर्ड एकड़ और ४ आदमियों के परिवार को मानकर वे चलते हैं। इसी तरह से आन्ध्र में जो प्रावधान रखा है वह आमदनी को लेकर चलता है और वहां पर एक परिवार की आमदनी ५४०० रु० रखी है ..

३ म० प०

श्री चंदनमल वैद : वहां कानून बन चुका है या बिल ही है ?

श्री भीमसेन : बिल ही है।

श्री चंदनमल वैद : तब तो बहुत चेन्जेज़ हो जायेंगे ?

श्री भीमसेन : हो सकता है, बढ़ भी सकता है। दूसरे राज्यों की स्थिति के बारे में निवेदन कर रहा था, जब कि ३६०० रु० की आमदनी ५ आदमियों के परिवार की मानकर सीलिंग कायम करना चाहते हैं। वैस्ट बंगाल में २५ स्टेन्डर्ड एकड़ ५ आदमियों के लिए रखना चाहते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरे राज्यों के बारे में निवेदन किया। केरल में १५ एकड़ डबल क्रोप पेड्डी एरिया रखा है। ऐसा एरिया जिसमें पेड्डी तैयार हो और डबल क्रोप एरिया हो। इसके साथ ही साथ पंजाब में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है.......

श्री चंदनमल वैद : केरल के फॉर्मूला को आप यहां पर मानने को तैयार हैं क्या ?

श्री भीमसेन : बिलकुल तैयार हूँ। दूसरे राज्यों के आंकड़ों को ध्यान में रखें और वहां पर क्या सीलिंग होने जा रहा है इसको ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ हम इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार कर पायेंगे। दूसरे राज्यों में हमारे राजस्थान की अपेक्षा गंभीर स्थिति है। इसके मायने यह है कि वहां पर लैंडलैस लेबरर्स की संख्या ज्यादा है और हमारे यहां काश्त के लिए जमीन उनकी अपेक्षा अधिक अवेलेबल है। इस बारे में मैंने जिन राज्यों की ओर ध्यान दिलाया वहां पर प्रेशर ओन लैंड हमारी अपेक्षा अधिक है। इन पॉइन्ट्स को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कितना सीलिंग रखना है इस बारे में विचार करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीलिंग का विरोधी नहीं हूँ बल्कि हामी हूँ........

श्री चंदनमल वैद : हीयर हीयर।

श्री भीमसेन : मैं चाहता हूँ कि सोशियल जस्टिस के नाते सीलिंग होना चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि सीलिंग

(श्री भीमसेन)

सोशियल जस्टिस के नाते सीलिंग होना कितना होना चाहिये। मैंने जिन राज्यों की ओर ध्यान दिलाया उनको ध्यान में रखे बिना जस्टिस नहीं कर पायेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना चाहिये कि किसानों के पास इतनी आमदनी छोड़ें जिससे वे अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। यह कहा जा सकता कि हमारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में गरीब लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दो बार पेट भर खाने को नहीं मिलता। हमारे राजस्थान में भी ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जिनको दो बार पेट भर रोटी नहीं मिल पाती। यदि सोशियल जस्टिस करना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है कि शहरी आमदनी पर भी सीलिंग लगाया जाय। इसके लिए किसी को एतराज नहीं हो सकता। अब सवाल यह रहता है कि शहरी आमदनी पर सीलिंग लगावें तो शुरूआत कहां से होगी। शुरूआत भले ही गांवों से की जाय लेकिन शहरी आमदनी का भी निदान करें, इससे जो आपसी भेद-भाव है और जो यह कहा जाता है कि शहरों को छोड़ कर गांवों पर सीलिंग लगाना चाहते हैं, यह कहने का मौका नहीं रहेगा। इसके बिना न्याय नहीं हो सकता। लोगों की आलोचना है कि शहरों की सम्पत्ति को छोड़ रहे हैं और गांवों पर सीलिंग लगा रहे हैं। यह आलोचना दूर हो जायेगी जितनी जल्दी आप शहरी आमदनी पर सीलिंग लगायेंगे।

अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ कि सीलिंग राजस्थान में क्या होना चाहिये ? कई माननीय सदस्यों ने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का विरोध किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की हालत, क्लाइमेटिक कंडीशन भिन्न भिन्न है और वैराइटी ऑफ लैंड है, अन्सरटेनटी ऑफ रेन्स है। ऐसी हालत में यहां पर स्टेन्डर्ड एकड़ के अलावा कोई दूसरा मापदंड नहीं हो सकता। यह कहा जा सकता है कि यह कॉम्प्लीकेटेड प्रोसीजर है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब स्थिति को व्यू में रख कर न्याय करना चाहते हैं तो स्टेन्डर्ड एकड़ ऐसी चीज है जिससे हरएक के साथ जस्टिस कर सकते। यह मानी हुई बात है कि मशीनरी जैसी होगी वैसा ही काम होगा। जो काम करने वाले हैं वे हमसे छिपे हुए नहीं हैं, इधर उधर लोग हो सकते हैं। यदि हम सब के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं तो स्टेन्डर्ड एकड़ ऐसा माप दंड है जिसको लेकर राजस्थान में सब के साथ जस्टिस कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टेन्डर्ड एकड़ का। जो क्राइटेरिया रखा है वह सबसे उचित है। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता था आमदनी का लेकिन अगर आमदनी का क्राइटेरिया लेना चाहेंगे तो देहात के लोग कहेंगे कि हमारी आमदनी पर ही क्यों सीलिंग करना चाहते हैं। इसलिए जो स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है उसके अलावा दूसरा मापदंड कोई हो नहीं सकता।

दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान में सीलिंग की क्या लिमिट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे स्टेट्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स सदन के सामने प्रस्तुत कर दिये हैं और यह बताया है कि दूसरे राज्यों में क्या हालत है और क्या सीलिंग करना चाहते

Page No.84

(श्री भीमसेन)

हैं। उनको देखते हुए सीलिंग लिमिट यहां भी कायम कर सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के विषय में धारा ३० सी पर मैं कल से बहस सुन रहा हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर ज़ोर दिया और कई सदस्यों ने अपने ज़ोश में हमारी ओर संकेत किया और कहा कि हम हरिजनों को काम देना चाहते हैं। मैं आपके ज़रिये इस सदन के माननीय सदस्यों को यह एलानिया कह देना चाहता हूँ कि जब कल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह संकेत किया कि हमारे राजस्थान में पड़त बेकार ज़मीन, ३ करोड़ एकड़ बेकार पड़ी है, तो मैं उनसे पूछूं कि हर निर्वाचन क्षेत्र से इस सदन में अच्छा और सस्ता न्याय देने के लिये, कानून बनाने के लिए यहां एकत्रित हुए है तो मैं निवेदन करूं कि ३ करोड़ एकड़ जमीन को हरिजनों को देना चाहते हैं तो वह काफी है पर एक बड़े भाई और छोटे भाई को लड़ाने की साजिश की जाय तो यह उचित नहीं है। एक किसान परिवार में ५-७ आदमी होते हैं, प्रवर-समिति ने जिसके चेयरमैन माननीय उपाध्यक्ष महोदय थे, इस पर विचार किया था और उसकी रिपोर्ट को भी माननीय सदस्यों ने देखा होगा। अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने अभिभाषण में जोरदार डींग हाँकते हुए........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डींग हाँकना शब्द उपयुक्त नहीं है। आप भाषा पर ध्यान रखें। आप मोजिज सदस्य हैं अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिये। डींग हांकना क्या है। आरम्भ रखिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : आपने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में हमने काफी उत्पादन बढ़ाया, मैं यह निवेदन करूं कि माननीय, सदस्य किसान नहीं हैं, मैं किसान घर से आता हूँ। तो जब हम भूमि की सीमा निर्धारित करने के नतीजे पर पहुंचते हैं तो राजस्थान के २५ जिलों में तरह तरह की ज़मीनें हैं। कहीं पत्थरीली है, कहीं लाल, कहीं पीली, कहीं हरी भरी जमीनें हैं। उस पर कहीं ट्रेक्टर चलते हैं तो कहीं हल चलते हैं। उन्होंने हमारी ओर संकेत किया कि गरीब को जमीन मिल जायगी........

श्री उपाध्यक्ष : आप गरीब नहीं हैं, आपकी ओर संकेत नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक परिवार के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से लगाकर ६० एकड़ तक की सीमा हमने इस किताब में रखी है। प्रवर-समिति के सदस्य किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी थे। तो कितनी जमीन होनी चाहिए और जमीन के विषय में पूर्व वक्ताओं ने वर्णन किया है। मैं निवेदन करूं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन एक परिवार के लिए रखना उचित है। लेकिन जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जयपुर में बैठ कर आंकड़े तैयार करें कि एक एकड़ में १० मन अनाज हो जायगा, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इस सीलिंग के

(श्रीहरिप्रसाद यादव)

बिल का अध्ययन करके सैटलमेंट के आंकड़े तैयार किये जायं। सैटलमेंट के ऑफिसर अपने जिले के हैड क्वार्टर पर बैठे रहते हैं और उनके पास पटवारी अपनी मनमानी रिपोर्ट भेज देता है, चाहे उसे वेतन कम मिलता है। मैं नीचे से, एक किसान के घर से आता हूँ, मैं आपको निवेदन करूं कि पटवारी कहता है कि मुझे वेतन कम मिलता है मैं नम्बरदार के कहने के अनुसार कर देता हूँ। मैं एक पटवारी का उदाहरण पेश कर रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप सुनें और उस पर परिणाम दें। मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर करोड़ों एकड़ जमीन ऐसी है, जिसमें एक एकड़ में एक सेर अनाज भी पैदा नहीं होता है। हमारी सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई बांध बनाये, कई तालाब बनाये, कई नालियां बनाई, तालाब से जो केनाल निकलती है, उससे जो पानी मिलता है उस भूमि को, वह भूमि ऊसर हो जाती है। माननीय सदस्य, जो गांव से आये हुए हैं, उनको अनुभव होगा कि ऊसर जमीन में दाना डालें तो एक दाना भी पैदा नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सभी प्रकार की जमीन को मद्दे नज़र रखते हुए और कानून की किताब में जो लिखा है उसके आधार पर, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जमीन देंगे तो हम एक परिवार के ऊपर कुठाराघात करेंगे, यदि हम ऐसा फैसला कर लेंगे। हमारी प्रवर-समिति के कई माननीय सदस्य, एडवोकेट और वकील भाई भी थे। मैं अर्ज करूं कि जब किसानों की जमीन पर सीलिंग करना चाहते हैं तो वकीलों के ऊपर भी सीलिंग होनी चाहिए

(करतल ध्वनि)

उन करोड़पति और पूंजीपति........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर, ऑर्डर। वकील और पूंजीपतियों के सीलिंग का प्रश्न नहीं है, जमीन का है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अन्य पर सीलिंग होना चाहिए। उनको संकेत नहीं दिया ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपको संकेत देने की आवश्यकता हुई।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां व्यक्तिगत राय का प्रश्न नहीं है। आप और हम सब मिल कर एक फैसला करें ताकि राजस्थान के किसान को खुशहाल बना सकें। कई मेरे माननीय दोस्तों ने किसी को जागीरदार कहा, किसी को राजा कहा, किसी को मठाधीश कहा है। मैं ३० एकड़ के विषय में निवेदन करूं कि ३० एकड़ से ६० एकड़ रखा है, यह ठीक है कि प्रवर-समिति ने जिसे चुन लिया, वही किताब में लिख दिया। पुरानी कहावत है, मेरे चाचाजी रामलीला के....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। दृष्टांत में मत चलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : भूमि पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इधर उधर के दृष्टांत पर मत चलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं अर्ज करूंगा कि हरिजनों की आड़ लेकर शिकार खेल कर कहा कि एक एकड़ में १० मन पैदा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टरजी को दौरे पर भेजिये और भोपालसागर, उदयपुर जिले में जो चावल की खेती होती है, वह एक एकड़ में छः मन एक साल में मुश्किल से पैदा होता है, जिसमें से एक मन छिलके निकलने के बाद चार मन चावल बचता है। उसके लिए एक किसान के पांच सात व्यक्ति बराबर पानी देने में, गुड़ाई करने में, घास-फूस को निकालने में लगे रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम सीलिंग लागू कर दें और एक किसान के परिवार के लिए जमीन की सीमा निर्धारित कर दें, किन्तु हम आज राजधानी में बैठ कर और प्रवर-समिति में कुछ फैसले कर दें और एक कानून की किताब लिख दें, उसके अन्दर १८००, ३६०० रुपये के आंकड़े तय कर दें कि इतनी आमदनी हो जायगी, मैं निवेदन करूं कि जो भूमि ऐसी है, जहां नहर नहीं पहुंचती है, जहां कुआं नहीं है और कुआं खोदने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है, अब उस जमीन में जो बढ़िया से बढ़िया ज़मीन है, उसके एक एकड़ में दो मन मक्का, जुवार बाजरी पैदा नहीं होती है; उसको हम १० मन मान लें तो यह क्या न्याय है? अगर आज हम न्याय करने आये हैं तो हमको इस बात को सोच समझ कर पास करना पड़ेगा। दूसरी ओर धारा ३० सी में यह आशा है लास्ट में ६० एकड़ कुल जमीन हो जायगी। तो ६० एकड़ तक जमीन दे रहे हैं। एक तरफ किसान के परिवार को जागीरदार बना रहे हैं, एक तरफ हम जमीन की पैदावार के अनुसार सीमा निर्धारित कर रहे हैं, न हमने कभी हल चलाया. तो जिस परिवार को हम ३० एकड़ जमीन देंगे, वह उस पर दो फसल पैदा करे, उसके बाद में गवर्नमेंट उसकी इन्कम को चैक कर ले। इसलिए स्टेन्डर्ड एकड़ की बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में नहीं रहनी चाहिए। वैसे ३० एकड़ भूमि, जो पांच आदमियों के परिवार के लिए रखी है, वह दी जा सकती है। मैं और ज़्यादा सदन का समय ...

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय सदस्य, कुंआरे के बारे में सदन में संशोधन आया है, उस पर कुछ कहने की कृपा करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हम जो कोई जमीन का, भूमि कानून बनायें, उसे सोच समझ कर बनायें। कल एक अमेंडमेंट पर बहस हो रही है, भूमि के विषय पर जब व्यक्तिगत सवाल आये, और सामूहिक और सहकारिता के सवाल आये, तब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने गोलमाल करके अंग्रेजी में अमेंडमेंट छाप कर, उसका हिन्दी अनुवाद नहीं किया और हिन्दी पढ़े लिखे को अनभिज्ञ रख कर उसे पास कर दिया गया। मैं माननीय सदस्यों को चेतना देने के लिए और उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये....

श्री उपाध्यक्ष : आप सीधे ही बात कर लीजिये।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन करूंगा कि गलत कानून बना कर अगर जनता जनार्दन के ऊपर लागू कर दें तो वही

(श्री हरिप्रसाद यादव)

होगा कि एक समुद्र में

(घंटी)

यदि किसी माननीय सदस्य को, जो तैरना नहीं जानते हैं, छोड़ दें, तो वे डूब जायेंगे।

(घंटी)

मैं निवेदन करूं कि आज हम राजस्थान में भूमि के बारे में फैसला करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यह समय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ने बढ़ाया था कि इस पर बहस होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि गांवों में भूमि के ऊपर सीलिंग लागू होगा और जो भूमि बाद में बचेगी, वह आपको मिलेगी। एक तरफ आप ६० एकड़ का प्रावधान रखते हैं

(घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कहा जाता है कि बाद में भूमि देंगे। तो बाद में क्या बचेगा, पथरीली, बंजर ...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : बंजर और खराब जमीन रह जायगी....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : उसका खेत बना सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा कर ली है आपने। फिर कभी किसी दूसरे मौके पर बोल लीजियेगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरा कर दूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग में मैं भी हक रखता हूँ और उदयपुर डिविजन ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान के अन्दर ३० एकड़ पीवल जमीन मिलनी चाहिए। जहां चाही और बारानी जमीन का सवाल आता है, जो कुंए की जमीन है, उसको बारानी मानना चाहिए क्योंकि कुआं किसान की अपनी खुद की सम्पत्ति है, अपने बाप दादा की कमाई से वह कुआं खोदता है। इसलिए कुएं की जमीन को बारानी रखते हुए ३० एकड़ पीवल जमीन रखने का मैं समर्थन करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है और मेरी तरफ से उन चर्चाओं के ऊपर आना एक तरह से पिष्टपेशण होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक बड़ा गम्भीर विषय है और इसको इसी तरह से पास कर देना, आधी से ज्यादा राजस्थान की जनता पर असर पड़ने का प्रश्न आता है। मैंने कल भी इस क्लॉज़ पर दो अमेंडमेंट अपनी तरफ से रखे थे, मैं कुछ ऐसे ही अनिवार्य कारणों से कल सदन में उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए वे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सके। मैं इस पर विशेष तौर पर निवेदन करते हुए निवेदन करूंगा कि इसमें जो जमीन का निर्धारण हुआ है, दो छोटी सी बातें हैं उन पर यदि गौर कर लिया जाय तो बहुत सी समस्याएं अपने आप ही हल हो सकती हैं।

एक तो यह है कि ५ कुटुम्बी जनों के लिये ३० एकड़ का प्रावधान रखा गया था

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और ६० एकड़ इससे दुगुने १० व्यक्तियों के परिवार के लिये रखा गया था। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि एक परिवार में पांच से ऊपर सात, आठ व्यक्ति भी हों तो उनके लिये भी यदि ६० का प्रावधान रख दिया जाय तो यह ज्यादा आपत्ति की बात नहीं होगी। काश्तकार के कुटुम्ब में काफी व्यक्ति रहते हैं, हिन्दू कानून के अनुसार जोइन्ट फेमिली में काफी ज्यादा लोग रहते हैं, जिस पर कि माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है तो इसके लिये कुंठित हिसाब नहीं रखा जाय।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा जो मैंने अपने अमेंडमेंट में भी निवेदन की थी, जो भी काश्तकार हैं उनसे छुपा हुआ नहीं है, मैं भी काश्तकार हूं, यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों में बहुत से काश्तकार हैं। एक बीघा में १०-१५ मन अनाज पैदा हो सकता है जैसे कि गेहूं की खेती का हिसाब रखा गया है, एक एकड़ जो एक बीघा का पौन दुगुना है, उसमें सेन्डी सोइल में, मेरे जैसी जमीन में आम तौर से १५ या २० मन एक एकड़ में अनाज पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जहां दो साखें बोई जाती हैं, दूसरी चीजें भी बोई जाती हैं उसे देखा जाय तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मन्त्रीजी से सारे कृषक समुदाय के लाभ के लिये निवेदन करूंगा कि एक एकड़ में १० के बजाय १५ मन रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। इस हिसाब से तीसरा हिस्सा जोड़ा जाता है। ३० के बजाय कई माननीय सदस्यों ने और भी काफी जमीन के एरिया के वास्ते कहा है पर मेरे अन्दाज़ में अगर ४५ स्टेन्डर्ड एकड़ रख दिया जाय तो इससे कृषक समुदाय को काफी सुविधा और शान्ति मिलेगी।

जैसे नम्बर बढ़ता ही रहता है और बढ़ेगा पर जमीन मिट्टी और पत्थर की बनी हुई है, जमीन कोई रबड़ की बनी हुई नहीं है कि जिस तरह फेमिली मेम्बर्स का नम्बर बढ़ेगा उसी तरह जमीन भी बढ़ सकेगी, यह बात नहीं। ऐसी स्थिति में जमीन का ३० की बजाय ४५ एकड़ का हो जाय तो यह सबके लिये लाभप्रद रहेगा।

कई माननीय सदस्यों ने जोश में आकर इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जागीरदार, जमींदार, राजपूत और दूसरे रईस, सब हैं उन्होंने जमीनों का काफी हिसाब रखा है, व काफी फायदा उठाया है, वह सब अब निकलेगा। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ को दोहराना ही गलत परम्परा हैं क्योंकि जमींदारियां, जागीरदारियां, भोमियांदारियां ये सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, अब तो यह प्रश्न खत्म हो गया है, अब तो यह प्रश्न है कि वे काश्तकार हैं। किसी भी कोटि के हों वे काश्तकार हैं, और काश्तकारों की सुविधा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, हमारा राजस्थान उसमें मुख्यतया कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां ३ साल में से एक साल सम्वत् होता है तो २ साल काल पड़ता है, तो इसमें इतना तो प्रावधान होना चाहिये कि पाले से, ओले से और कीड़ों के प्रकोप से बहुत सा नुकसान होता है तो इसके लिये ऐसा प्रबन्ध रहे कि कम से कम एक खानदान का हिसाब, जो कृषक देश की

(रायल श्री नरेन्द्रसिंह)

देक बोन कही जाती है जो सारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उस कृषक खानदान के लिये भी कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाय, जिस प्रकार दूसरों के लिये और और प्रकार के प्रावधान किये जा रहे हैं तो कम से कम किसान इज्जत के साथ अपना निर्वाह कर सके, इस प्रकार का प्रावधान उसके लिये रखें। और कार्य पढ़ाना लिखना तो बाद में आते हैं। इज्जत के साथ निर्वाह कर सके इस प्रकार का प्रावधान तो रखना चाहिये। यदि मैं यह निवेदन करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कृषक समुदाय अब भी एक समय खाना खाता है और वह खाना भी इस प्रकार का होता है कि शायद दूसरे देशों में जानवरों को भी खिलाया जाय तो थोड़ा बहुत उसके लिये विचार हो सकता है। ऐसी हालत में इस पर विचार करके ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि पढ़ाई लिखाई, दवा दारू की बात छोड़, दोनों वक्त मामूली-रूखा सूखा खाना खा कर निर्वाह कर सकें।

३.२८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

हम रोजाना देख रहे हैं कि इस मंहगाई के समय फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं, दूसरे लोग हैं वे रोजाना तनख्वाह के लिये चिल्लाते हैं और हड़तालें करते हैं, ऐसी सूरत में कृषक समुदाय के जीवन निर्वाह के लिये प्रश्न है वह फोर्थ क्लास के सर्वेन्ट के सामान तो प्रबन्ध होना ही चाहिये। इस बारे में अभी तो निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है पर हमारे महामना राजस्व मन्त्रीजी ने सवाल उठाया था कि जो कुंवारे हैं उनके लिये कुछ आयोजन होना चाहिये। यह मेरा निवेदन करना गलत तो नहीं है। आज जो कुंवारे हैं उनकी कल शादी होगी, पांच बच्चे हो गये तो सेटलमेंट का २० वर्ष का समय है उसमें कहां जायेंगे और किसके लगेंगे, इस पर गौर से विचार कर के ही फैसला करना चाहिये। गम्भीरता से विचार करने के बाद निर्णय करने की आवश्यकता है।

मैं इतना ही कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, कल से इस धारा पर विचार हो रहा है। मैं बराबर माननीय सदस्यों से यह सुन रहा हूँ कि इस प्रकार के सीलिंग को लागू करने से किसानों को नुकसान होगा, वे शहर की आमदनी से उसको तुलना करते हैं, कोई उनके जीवन की शहर के जीवन से तुलना करते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आज तक जितने भी प्रान्त में काश्तकार हैं, मैं समझता हूँ कि जो वास्तव में किसान कहलाने के अधिकारी हैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास ३० एकड़ ज़मीन होगी। वास्तव में इस बिल से उन व्यक्तियों को जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर उन लोगों को देना होगा जिनके पास ज़मीन नहीं है। इसलिये किसानों के नुकसान की जो चर्चा चल रही है वह उचित नहीं है और इससे किसानों को वास्तव में नुकसान नहीं होगा। आप किसानों को गांवों में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसान वास्तव में गरीब है उसके पास तो बहुत कम जमीन है और आपको १० बीघा से ज़्यादा के बहुत कम किसान मिलेंगे। इसलिये जो ज़्यादा ज़मीन रखते हैं उनसे जमीन लेकर छोटे छोटे

(श्री सूबेदारसिंह)

किसानों में जिनके पास जमीन नहीं है उनमें बांटने की कोशिश करते हैं इसमें कोई काश्तकारों को नुकसान नहीं होने वाला है। इस बिल में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है वह मेरे मत में ठीक नहीं है। मेरा मत है कि इससे कुछ गलतफ़हमी अवश्य पैदा होगी और इसकी जांच पड़ताल के लिये सरकारी अधिकारी जावेगा कि किन किन के यहां कितना मन गेहूँ पैदा होता है या नाज पैदा होता है। हमारा यह अनुभव है और मेरा खुद का यह अनुभव है कि हमारे किसान तमाखू पैदा करते हैं। वहां पर एक्साइज़ के इन्स्पेक्टर जाते हैं और जिनसे उनकी नाराज़ी होती है वहां पर १० सेर की जगह दो मन दर्ज कर देते हैं और जिनसे वे खुश होते हैं वहां पर उसके खेत में ४ मन तमाखू होते हुए भी चार मन की जगह २० सेर दर्ज कर देते हैं। इससे भी यही होगा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वे लोग भी अच्छी तरह से उस जमीन पर काश्त नहीं कर सकते हैं, वे लोग मज़दूरों के द्वारा काश्त कराते है। इससे सब को नुकसान होता है। मगर अभी जो आपने स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है उससे उनको और भी मौका मिल जावेगा और जब सरकारी आदमी या पटवारी या और कोई व्यक्ति या गांव का पंच उस भूमि को देखने जावेगा तो वह ऐसा करेगा कि जो बीज उसने उस भूमि में डाला है उतनी भी रिटर्न उससे नहीं पाएगा। इससे यह होगा कि जो भूमि उसके पास है उसके बजाय उसको और ज़्यादा भूमि मिल जायगी और वह १०० या १५० एकड़ तक हो सकती है और हमको उसको ज़मीन देना होगा क्योंकि हमने एक एकड़ स्टेन्डर्ड का मतलब १० मन गेहूँ से रखा है। अभी हमारे रावल नरेन्द्रसिंहजी ने बताया कि डेज़र्ट एरिया में भी १० या १५ मन गेहूँ एक एकड़ में पैदा हो सकते हैं, यह सुन कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यह कहूँगा कि जो अच्छे काश्तकार हैं वे अच्छी खाद लगाते हैं और उससे २० मन फ़ी बीघा पैदा करते हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन ज्यादा है वे खुद ज़मीन को काश्त नहीं कर सकते और इससे उपज भी ठीक नहीं पैदा होती है। इससे राष्ट्र को नुकसान होगा। इसलिये वह ज़मीन गरीब काश्तकारों में बांटनी चाहिये और हम उसको बांट भी सकेंगे। अगर हम स्टेन्डर्ड एकड़ रखेंगे तो लोग जानबूझकर प्रोडक्शन को गिरा देंगे क्योंकि लोग यह समझेंगे कि अगर स्टेन्डर्ड एकड़ में ठीक बैठ जावेगी तो उनके पास ज़मीन नहीं रह सकेगी। दूसरे जो लोग सही तरीकों से काश्त करते हैं और दिन और रात मेहनत करके २० या ३० मन नाज पैदा करते हैं उनको भी खतरा हो जावेगा कि कहीं उनकी यह ज़मीन उनसे छीन नहीं ली जावे। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि हमारी राज्य सरकार को जिलावार, तहसीलवार यह तय करना चाहिये कि किस किस स्थान पर कितने एकड़ भूमि देना है। आप एकड़ को गजों से नाप कर कायम करें, आपको एकड़ को प्रोडक्शन पर नहीं रखना चाहिये। इससे गलतफ़हमी होगी और इसका ठीक और सही ढंग से उपयोग नहीं होगा।

आमदनी की ओर जब हम जाते हैं तो ३६००) की आमदनी रखी है। मैं उन मित्रों की राय से जो इससे इत्तफाक करते हैं उनकी राय से दूर नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि यह शहर में भी होना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि समय दूर नहीं है वह समय भी आवेगा। यह समय की बात है। यह समय की ही बात है

(श्री सूबेदार सिंह)

कि ज़मीदारी गई और आज हम जिन लोगों के पास ज्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन ले रहे हैं और वह समय भी दूर नहीं जब हम शहरों में भी इसकी व्यवस्था करेंगे। मैं यह कहूँगा कि किसानों के पास इतनी कम ज़मीन है कि उनकी सालाना आमदनी ३००) रु० से ज्यादा नहीं होती और वे मज़दूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और आज उनकी ३६००) की आमदनी रख कर हम उनको ऊंचा उठाने जा रहे हैं मगर कुछ लोग जिनके पास ज्यादा ज़मीन है इससे नीचे गिरेंगे। मैं यह कहूँगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा ज़मीन है और उन ज़मीनों पर फार्म लगाये हुए हैं उनके फार्म लोसेज में चलते हैं उनको भी लाभ होगा, राष्ट्र का भी हित होगा और किसानों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका भी हित होगा। इस प्रकार से किसानों का भी भला है और जो किसानों के प्रति नारे लगाते हैं वे भी ठीक रास्ते पर आवेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से काफी फ़ायदा होगा।

एक बात और कही गई है कि राजस्थान में इतनी ज़मीन पड़ी है और उसको सरकार देती है बहुत अच्छा है। मैं यह कहूँगा कि वह भी समय आवेगा जब किसान चाहेगा तो कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं सोचेगी कि किसान बेकार और भूखा बना रहे। पड़त ज़मीन है उसको तोड़ कर काश्त के लिए देनी होगी, दूसरी बात यह हो सकती है कि हमारे राजस्थान में लोग ज्यादा मवेशी रखते हैं उनको चराने के लिये भूमि रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश आदि में यह कहा जाता है कि एक बीघा भूमि भी बंजर नहीं रखी जावे। इसके लिये किसान कहते हैं कि एक बीघा ज़मीन में वह गेहूँ पैदा करेगा जिससे वह अपने कुटुम्ब का पालन करेगा और जो मवेशी वह रखता है उसके लिये चारा पैदा करेगा बजाय इसके कि उस ज़मीन पर सिर्फ घास ही पैदा की जाए। तो वह समय भी दूर नहीं कि बंजर ज़मीन को तोड़ कर काश्तकारों को देनी होगी। यह मौका भी आवेगा। तो मेरी यह इच्छा है कि यह जो ३० एकड़ का माफ़ रखा है वह ठीक नहीं है। इसलिए मैं सदन के द्वारा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस स्टेन्डर्ड शब्द को बिलकुल ही हटा दें। राजस्थान में बड़े बड़े लोगों के पास होल्डिंग्ज़ और फार्म हैं वे लोस में चल रहे हैं इसलिये ज्यादा अच्छा होगा कि स्टेन्डर्ड एकड़ को छोड़ कर सही एकड़ रखा जावे और उसको लेकर ही चला जावे। यही मेरा कहना है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): सभापति महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के छठे संशोधन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह धारा इतनी महत्व की है कि राजस्थान में कृषि व्यवसाय करनेवाले सभी नागरिकों के भविष्य को तय करने जा रहे हैं। इसके लिये हमको यह देखना है कि काश्तकारों की कितनी आर्थिक आमदनी होनी चाहिये और कितनी ज़मीन कुटुम्ब के लिये रखनी चाहिये। हालांकि इस प्रावधान का, आमदनी का कोई इससे वास्ता नहीं, ज़मीन की सीलिंग का वास्ता है। लेकिन यहां पर राजस्थान ऐसा प्रान्त है कि एक गांव में या एक तहसील में चार प्रकार की भूमि मिल सकती है। कई स्थानों पर एक तरह की भूमि मिलती है लेकिन राजस्थान में कई तरह की भूमि मिलती है। एक इलाका ऐसा है जिसमें २० एकड़ भूमि से भी किसान के खाने भर के लिये नाज पैदा नहीं होता है और दूसरी

(श्री तेजाराम गहलोत)

जगह ऐसी है जहां पर दो एकड़ में भी वह किसान अपना पेट भर सकता है। जहां ज़मीन में इस तरह की भिन्नता है तो ऐसी सूरत में हमें आमदनी को भी आधार मान कर चलना पड़ेगा।

आज आप पांच आदमियों का कुटुम्ब मानते हैं तो हम देखते है कि पांच आदमियों के लिये कितनी आमदनी रखी जावे जिससे उनके जीवन का निर्वाह हो सके। जिससे काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ा सके और खुद खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। भारत में दूसरी स्टेटों ने सीलिंग का बिल प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने आमदनी को आधार मान कर किया है। बम्बई में काश्तकारों की आमदनी को ३,६००) माना है। मैसूर में ३,६००) माना है और यू० पी० में लैन्ड रेवेन्यू को आधार मान कर ४० एकड़ माना है। जब यू० पी०, बंबई और मैसूर को देखते हैं तो राजस्थान के कम्पेरिजन में वहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और वहां पर खेती के रीसोर्सेज़ भी बहुत हैं तो मेरी समझ में अपन को इस क्लॉज को इतनी जल्दी में या इतने उतावलेपन में नहीं सोचना चाहिये बल्कि इसके परिणाम क्या होंगे उनको ध्यान में रखना चाहिये।

आज जैसा कि इस क्लॉज में प्रावधान रखा है और स्टेन्डर्ड एकड़ माना है, ठीक है, स्टेन्डर्ड एकड़ मान सकते हैं लेकिन एक कृषक की आमदनी कितनी रखी जाय और कितनी होनी चाहिये यह उससे कोरिलेट करना पड़ेगा। यदि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखेंगे और १० मन एक एकड़ रखेंगे तो कुल ३०० मन गेहूँ हुआ। आधा गेहूं तो उसके खर्चे में ही चला जाता है। अब पांच आदमियों के कुटुम्ब के पीछे १५० मन की पैदावार रही। इससे तो हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों के किसानों से राजस्थान के किसान के स्टेन्डर्ड को और नीचा करने जा रहे हैं। राजस्थान के किसान को प्रगतिशीलता की ओर न लेजा कर उसको घाटे में डाल रहे हैं। इसलिए उसकी आमदनी को इससे कोरिलेट करना चाहिये जिससे वह विकास कर सके। इसलिए १५ मन फी एकड़ कम से कम हो इस प्रकार का हिसाब रखना चाहिये और उसको मानना चाहिये। इस स्टेन्डर्ड एकड़ को कैसे इम्प्लीमेन्ट किया जावेगा तो उसके लिए ओरिजिनल बिल में जो प्रवर-समिति से पास किया गया है, उसमें लिखा है :—

"Standard acre" shall mean an area of land which, with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars is found in the prescribed manner to be likely to yield 10 Mds. of wheat yearly."

इसके बजाय में १५ मन नेट होजाना चाहिये और जो Discreation आप अफसरों को देना चाहते हैं उसको भी थोड़ी लिमिट कर देना चाहिये और इस एक्सप्लेनेशन को इस तरह से रख दें तो ठीक होगा :—

"Explanation. 'Standard acre' shall mean one acre of best land having perennial canal as sources of its irrigation and in other cases the area of land which with reference to its productive capacity, situation, and soil classification is found likely to yield the net income of Rs. 120/-

(श्री तेजाराम गहलोत)

calculated by the Settlement Department at the time of determining the sanctioned rent rates during the latest settlement for that area. Provided that the net income of the Chahi holding shall be reduced to 50% for the purpose of determining the productive capacity of that land."

क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है कि जहां पर न तो सब जगह नहरी जमीन है और न ही सब जगह कुए ही। जहां नहरी ज़मीन है वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है लेकिन जहां कुंए हैं वहां पैदावार बढ़ी हुई दिखाई दे फिर भी उस पर खर्चा किसान को अधिक करना पड़ता है। इसलिए यदि पैदावार की ही दृष्टि से सीलिंग लागू करेंगे तो आप उन किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे जो कि कुओं से पानी लिफ्ट करके सिंचाई करते हैं। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा लैंडरेन्ट असेस की जाती है कि इस भूमि की क्या पैदावार है और वह २० साल की पैदावार के एवरेज को ध्यान में रख कर ही फिक्स की जाती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १५२ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

"With a view to arrive at fair and equitable rent rates under Section 151, the Settlement Officer shall have regard to the average of prices of the agricultural produce prevailing during 20 years preceding the settlement, excluding such years as the State Government may by notification in the gazette, declare to be abnormal."

साथ ही साथ एक कृषक को, कितना खर्चा करना पड़ता है और उसके कुटुम्ब के जीवन निर्वाह के लिए कितना बचता है उसको देख कर सैटलमेन्ट की रेट असेस करते समय सर्वे की जाती है "The value of such produce at average price referred to in clause (b) (e) the expenses of cultivation and the cost to the cultivator of maintaining himself and his family;"

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जो सैटलमेन्ट अपने यहां हुआ है उस विभाग ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेट असेस किया है। जो पैदावार होती है उसका छठा हिस्सा उन्होंने असेस किया है। तो इसका सारा असेसमेन्ट सैटलमेन्ट विभाग के पास है और उसी को आधार मान लिया जाय तो किसी अफसर के प्रति शिकायत नहीं होगी कि फलां के साथ उसने फेवर किया है और फलां के साथ उसने अन्याय किया है। बजाय इस स्टेन्डर्ड एकड़ को इस तरह एम्बीगुअस रखने के इसको इस तरह से क्लीयर कर दें कि जिससे हर किसान के दिमाग में यह क्लीयर हो जावेगा कि ३६०० की आमदनी है तो इतना रख सकेगा। यदि किसान की आमदनी का ध्यान न रखेंगे और कम से कम करने की कोशिश करेंगे तो इससे इन्डस्ट्रीज़ को भी भारी नुकसान पहुंचायेंगे और जागीर रिज़म्प्शन के बाद जो किसानों का जीवन स्तर बढ़ा है वह भी चन्द दिनों में गिर जायेगा और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि यहां का किसान अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण नहीं कर सकेगा और न अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ही सकेगा। इसलिए आज जिस भावुकता में

Page No.94

(श्री तेजाराम गहलोत)

विचार कर रहे हैं, भूमि हीनों को भूमि दे रहे हैं यह तो ठीक बात है, लेकिन अपने को पांच पचास वर्ष आगे का सोचना चाहिये जिस तरफ अपन जाना चाहते हैं। मनुष्य की जरूरतें भी हैं और नागरिकों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है इस दृष्टि से यदि किसानों को एक्स्टेन्सिव कल्टीवेशन, उच्चतम बीज और खाद के काम में ला सकें और अपनी प्रगति कर सकें तो उसके लिए सोच समझ कर यदि सीलिंग का बिल पास करेंगे तो अच्छा होगा।

राजा श्री मानसिंह (वैर): On a point of order, Sir. I am given to understand that this debate on the clause is to close at 4 P. M. and also I have been given to understand that Hon'ble Revenue Minister has moved an amendment which is of important character. We have not got an opportunity to discuss that amendment or to move our own amendments to it. I, therefore, request that this time limit of 4 P. M. should not be there. I suggest that the Revenue Minister should give his reply tomorrow and we should be given an opportunity to speak on the amendment of Revenue Minister and also to move our own amendments to it.

श्री सभापति : जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने रखा है उस पर जो माननीय सदस्य उससे पहले बोल चुके थे उनको दुबारा उस पर बोलने का मौका मिल सकता है लेकिन समय का थोड़ा सा खयाल रखें। जो समय निर्धारित किया गया है उससे १५,२० मिनट और बढ़ा दिया जा सकता है। केवल उसी संशोधन पर बोल सकेंगे और जो माननीय सदस्य अब बोलेंगे वे इस अमेन्डमेन्ट पर भी बोल सकेंगे लेकिन थोड़ा सा समय का उनको भी ध्यान रखना होगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : अभी तो वह अमेन्डमेन्ट मूव ही नहीं हुआ है। चार भी बजने वाले हैं।

श्री सभापति : The Hon'ble Deputy Speaker has already given his decision that it should be taken as moved.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : No Sir. The Rules of Procedure are very clear. No amendment can be deemed to be moved unless the Hon'ble Member in whose name it stands, stands up in the House and moves it.

श्री सभापति : I am looking to it.

राजा श्री मानसिंह : Sir, you are extending the time by 15 minutes only. That will not leave time for the Hon'ble Revenue Minister to give his reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : You need not worry about me. I will give my reply in time.

श्री चन्दनमल वैद : We are worrying about your amendment which has not been moved as yet.

श्री सभापति : The amendment has been circulated.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have given an amendment to that amen-

(श्री पी० के० चौधरी)

dment and I should have been called upon to move my amendment.

श्री सभापति : Yes, Shri Mohar Singh to continue. In the mean time I am thinking over it.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय सेक्शन ३० सी पर बहस चल रही है उस पर सारे अमेन्डमेन्ट्स मूव हो चुके हैं जिन पर सपोर्ट में और उसके विरोध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। अब यदि ३० सी पर कोई अमेन्डमेन्ट आता है तो वह आउट ऑफ ऑर्डर है।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : Amendments can be allowed by the Chair. That has been allowed by the Chair. I am looking to the legal position. Shri Mohar Singh to continue.

श्री मोहरसिंह (चूरू): माननीय सभापति महोदय, दो दिन से धारा ३० के सी पर बहस चल रही है दोनों तरफ़ के माननीय सदस्य महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस दो दिन की बहस सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दोनों तरफ़ के महानुभावों में इसलिए इस विषय में खींचातानी है। इसमें एक पक्षवाले यह समझ रहे हैं कि हमारे पास से ज़मीन जा रही है और दूसरी तरफ़ के महानुभाव इस प्रकार से महसूस करते प्रतीत हो रहे हैं कि नज़दीक आने वाली चीज में अटक रहे हैं। इन दोनों भावनाओं को लेकर के जो भाव दो दिन से प्रकट किये जा रहे हैं इस क्लॉज पर, मैं भी थोड़े समय में और निर्धारित समय में इस पर अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में जो सीलिंग का प्रश्न है इसके लिए यह बार बार कहा जाता है कि यह बड़ा अहम सवाल है। जमीन कुछ भाइयों के पास जानी है वह किसके पास जानी चाहिये और कहां से जानी चाहिये यह इसके अन्दर विचारणीय प्रश्न है। ज़मीन पर आज तक काश्त करते हुए जो लोग आ रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाय। अब वह ज़मीन कहां से आये इन सारी बातों पर विचार करना जरूरी है। जैसी कि सीलिंग रिपोर्ट पेश की गई है राजस्थान के अन्दर २५ लाख के करीब किसान परिवार हैं और एक परिवार के अन्दर पांच आदमियों को माना है। आठ करोड़ एकड़ ज़मीन राजस्थान के अन्दर है जिसमें से दो करोड़ एकड़ ज़मीन काबिले काश्त है, ६ करोड़ एकड़ ज़मीन में से तीन करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिस पर काश्त हो रही है और उसमें से तीन करोड़ खाली पड़ी है। बाईस लाख परिवारों में से दस लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास दस एकड़ ज़मीन से भी नीची जमीन है। यानि थोड़ी ज़मीन है। और इधर तीन करोड़ एकड़ ज़मीन पड़ी है तीन लाख के करीबन परिवार ऐसे हैं जिनके पास कतई ज़मीन नहीं है। यह जमीन का नक्शा और उस पर काश्त करने वालों का नक्शा है।

अब हमें इस जमीन को इस प्रकार से

(श्री मोहरसिंह)

अलॉट करना है कि तीन लाख परिवार जो बिना भूमि के हैं उनको ज़मीन किस प्रकार से दे सकते हैं। आज नजरिया यह प्रकट हो रहा है जो ज़मीन पर कभी काश्त नहीं करते आये ने भी शिफ्ट होने जा रहे हैं ज़मीन पर। वास्तव में सभापति महोदय, जब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो मूल प्रश्न से दूसरा प्रश्न सामने आ जाता है। देश के अन्दर बेकारी समस्या मुंह बांये खड़ी है उसको भी हमें हल करना है। आज तक जिन लोगों ने ज़मीन पर काश्त नहीं की है वे आज ज़मीन की ओर खिंच रहे हैं। इसको भी हमें दरगुजर नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखते हुए भी हमें पहले इस ओर ध्यान देना होगा कि जो ज़मीन पर काश्त करते आये हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका उस पर पहला हक पड़ता है। नंबर दो में वे हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ी है उनका भी ज़मीन पर पहला हक रहता है। हमारे पास तीन करोड़ एकड़ ज़मीन है और बाईस लाख परिवार में १० एकड़ से कम भूमि है और डेढ़ हजार के करीब ऐसे परिवार हैं जिनके पास पांच सौ से हजार एकड़ ज़मीन है। बाईस लाख परिवार में १.१० लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास दस एकड़ से कम ज़मीन है। हमें इन सब चीजों पर पूर्ण रूप से विचार करना है और तीन करोड़ एकड़ भूमि को काबिले काश्त करना है जो कि खाली पड़ी है। अच्छी तरह से हम विचार करके देखें तो ३४ लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिस पर सिंचाई हो रही है। उस ज़मीन पर स्टेन्डर्ड एकड़ हमने जो माना है वह है १० मन की पैदावार एक एकड़ में हो। अगर हम दो करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई के योग्य बना देते तो यह समस्या हमारे सामने नहीं आती। इससे होता क्या कि उनको भी ज़मीन मिल जाती जो खाली बैठे हुए हैं। इसमें तो देर लग सकती है और लगेगी इसलिए इस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता। अगर इस समस्या पर १२ साल पहले ही विचार कर लिया जाता तो यह सीलिंग की नौबत ही नहीं आती और जो बेकारी की समस्या मुंह बाये खड़ी है वह भी हमारे सामने नहीं आती।

हमने इस सीलिंग बिल में तीस स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है अगर उसे सही ढंग से केलकुलेट किया जाय तो जमीन थोड़ी नहीं है। एक एकड़ भूमि वह मानी जायगी जिसमें १० मन अनाज पैदा होता हो लेकिन हमारे राजस्थान की स्थिति ऐसी है, यहां दस साल में तीन साल फसल होती है और तीन साल जमाना होता है। पुराना हिसाब लगाकर रखें तो जहां दस मन एक एकड़ में पैदा होते हैं वह भूमि ३० एकड़ में ३०० मन नहीं दे सकती। लेकिन जिस भूमि पर दस मन गेहूँ पैदा होता है उसके अनुपात में जहां बाजरे की पैदावार होती है वह भूमि पौने चार मन से अधिक पैदावार नहीं दे सकती। इसी तरह का हाल बीकानेर की भूमि का है। बारानी इलाका गंगानगर का है और नागर का भी यही हाल है। इस सारे हिसाब को हम लगाकर देखें तो मैं समझता हूँ यह तीस स्टेन्डर्ड एकड़ ज़मीन हमने रखी और दस मन का एकड़ माना है वह ठीक नहीं, जमीन की कमी नहीं है। इसमें तो पॉलिसी और नीति का सवाल आता है; यहां हम साठ स्टेन्डर्ड एकड़ तक रखने जा रहे हैं। एक तरफ़ तो आप यह नारा लगाते हैं कोऑप-

(श्री मोहरसिंह)

रेटिव को हमें तरजीह देनी चाहिये, सहयोग से मिलजुल कर खेती की जानी चाहिये। कई कई परिवार ऐसे हैं कि जिनमें एक के नाम की खातेदारी है और उनका सारा परिवार जिसमें चार चार बेटे और उनके पुत्र इस तरह से मिलाकर करीब तीस आदमियों का परिवार है और उनके लिये आपने साठ एकड़ अधिक से अधिक भूमि रखी है। इस तरह से एक तरफ़ तो कोऑपरेटिव को आप प्रोत्साहन देने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि एक परिवार के जो सदस्य हैं वे अलग हो जायं ताकि उनको ज्यादा ज़मीन मिल सके।

जब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ इस जोइन्ट फेमिली सिस्टम को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वे मिट जायें। यह है ऐतराज की चीज़। ये दो चीजें नहीं होनी चाहिये। पांच हो, दस हो, पन्द्रह हो, पर्सन के हिसाब से रखकर इस समस्या को हल करना चाहिये। पर कहना कुछ और करना कुछ और इस पर ऐतराज़ है। कोऑपरेटिव की बात मानने वालों को जोइन्ट फेमिली को तोड़ना नहीं चाहिये। यह न्याय नहीं है। जोइन्ट फेमेली की कोऑपरेटिव खेती उचित नहीं है। सरकार ही कुछ बनावे तभी वह ठीक है तो इससे क्या सुरखाब के पर लगेंगे। जो निरंकुश अधिकार दिये गये हैं, इसमें सरकारी मशीनरी को, वह उचित नहीं है। रिश्वत रिश्वत चारों तरफ रिश्वत। वे जैसे तरीके मन्जूर करें उसके हिसाब से अलॉट कर दें और बाद में ६० एकड़ तक ज़मीन बढ़ा दी जावे। यह जो चीज है इन शब्दों के बजाय प्रपोर्शनल शब्द रख दिया जावे और इसी हिसाब से आगे बढ़ावें।

दूसरी चीज़ जो ऐतराज के काबिल है वह यह है, चाही और बारानी का शब्द आया। चाही को राजस्थान सरकार मान रही है बारानी के बराबर। यह न्यायोचित नहीं है। बारानी और चाही एक सरीखी हो नहीं सकती। चाही ज्यादा पैदा देती है और बारानी कम। इस हिसाब को मानकर इसको भी हटाना चाहिये।

इसके साथ ही सबसे खतरे की चीज़ ज्यादा यह है कि दस मन कैलकुलेट किया जावेगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, कोई चीज इस बारे में सरकार ने रक्खी नहीं। इसके लिए एक शिड्यूल बनाकर रख देते तो सारा मामला यहीं तय हो जाता। पर इसमें भी रिश्वतखोरी बढ़ाने की गुंजाइश रख दी। सरकारी रिश्वतखोरों की पौ-बारह है। पटवारी से लेकर नाजिम तक देते जाओ तभी जाकर कैलकुलेशन ठीक होगा। वर्ना तो उनको परेशान ही होना पड़ेगा। १० मन को कैलकुलेट करने में बड़ी गड़बड़ी होगी। इसके हम भुक्तभोगी बैठे हैं। पहले से उनका काम करने का जो ढंग है उसको १२ वर्षों में हम काफी अच्छी तरह समझ गये हैं। रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है और किसानों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। सुख-सुविधा की आशा इस नौकरशाही से करना तो मृगमरीचिका है। इसलिए यह सही बात नहीं होगी। इसको पहले से ही तय करके यहां रखना चाहिये।

इसके साथ और निवेदन कर देना चाहता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से कि एक तरफ सीलिंग कर रहे हैं और जस्टिस की दुहाई दी जाती है

(श्री मोहरसिंह)

और कहा जाता है कि किसान को ऊपर उठाना है पर दूसरी तरफ अरबन एरिया को आप रियायत दिये जा रहे हैं। पहले भी निवेदन किया गया था कि सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि अरबन एरिया पर भी सीलिंग करेंगे वर्ना यह न्यायोचित नहीं होगा। अरबन आमदनी पर भी सीलिंग होना चाहिये।

आज जो पॉपुलेशन है वह कुछ वर्षों बाद नहीं रहेगी। इससे भी आगे विकट रूप हो जावेगा। यह समस्या खतम नहीं होने वाली है। इससे राहत अगर मिल सकती है तो इसीसे मिल सकती है कि ८ करोड़ एकड़ भूमि में से दो करोड़ निकाल कर ६ करोड़ जो बचती है उसको इर्रिगेटेड बनाया जावे। इसकी तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान रक्खे तो यह समस्या पांच, दस, बीस वर्षों में सुलझाई जा सकती है।

इन शब्दों के साथ जो ऑब्जेक्शन थे उनको पेश करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : Yes, Mr. P. K. Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Do you rule that the amendment by the Hon'ble Minister is taken as moved ?

श्री सभापति : It has already been taken as such,

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : What is the difficulty for the Revenue Minister to stand up and move it ?

श्री सभापति : Mr. Chandan Mal, it is not for me to ask the Hon'ble Revenue Minister to stand up and move :t. The Hon'be Deputy Speaker has already taken it as moved.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : There is an amendment of mine.

श्री सभापति : It is not given to me as yet.

श्री पी० के० चौधरी : As far as my knowledge goes, no ruling was given by the Hon'ble Deputy Speaker that the amendment of Hon'ble Revenue Minister may be taken as moved. He said that it should be moved at a latter stage.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : My impression is also the same.

श्री सभापति : To end all the controversy, I read before the House the relevant portion from the proceedings :—

"Shri Dy. Speaker : It is taken as moved.

Shri Satish Chandra : How can it be taken as such ?

Shri Dy. Speaker : I treat it as moved."

There is nothing for me to make any commitment.

श्री श्रीभानसिंह : The commitment is there. If the amendment moved by the Hon'ble Minister can

(श्री श्रीमानसिंह)

be taken as moved then the same principle can be applied to every other Hon'ble Member also. Tomorrow I will also claim my right to have my amendment treated as moved without my actually moving it.

श्री भीमसेन : Mr. Chairman, Sir, My amendment ?.

श्री सभापति : I have already said that I am looking to it. Yes, Shri P. K. Chaudhary.

श्री चन्दनमल वैद : One a Point of information, Sir, We have not received any copy of the amendment to be moved by Shri P. K. Chaudhary. We don't know any thing about it. We must have a copy of it.

श्री सभापति : The amendment of Hon'ble Minister was allowed to be moved just now before the House. Naturally this privilege was given to the Hon'ble Member also to move his amendment to that amendment. He is reading his amendment in the House and every one will be enlightened.

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Perhaps we can postpone the discussion on this clause till tomorrow so that we can follow the procedure of the House.

श्री सभापति : We can postpone it for any day we like, but that would not be very healthy for us, because we will not be able to finish our business in time.

श्री चन्दनमल वैद : Is it healthy that we are discussing a thing without knowing what it is and copies of which have not been supplied to us.

श्री सभापति : But Shri P. K. Chaudhari is putting his amendment before the House.

श्री पी० के० चौधरी: The amendment of the Hon'ble Revenue Minister is :— "Provided further that in the case of an adult unmarried person without a family the ceiling area shall be half of the ceiling area applicable to a family of five members".

After that my amendment is to add the proviso :—

"Provided that the person concerned declares himself to be a confirmed bachelor or spinster and does not intend to marry in foreseeable future."

श्री सभापति : The word "spinster" is not there.

श्री पी० के० चौधरी : You can add it Sir, "Bachelor or spinster",

On a constitutional issue, I would say that the amendment moved by the Hon'ble Minister is ultra-vires of Article 14 of the Consti-

(श्री पी० के० चौधरी)

tution.........

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of order, Sir. The Hon'ble Member can raise only one issue at a time. Either he can say that the amendment is un-constitutional or he can move his amendment thereto taking it as constitutional. He cannot assume the amendment to be unconstitutional and still move an amendment thereto.

श्री सभापति : Yes, otherwise his own amendment would be ultra-vires.

श्री पी० के० चौधरी : It is ultra-vires without my amendment. If you accept my amendment to it, then it becomes constitutional.

श्री श्रीभानसिंह : The constitutional issue cannot be raised if he wants to move his amendment. Then he will have to accept the amendment moved by Hon'ble Member as constitutional.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर-पूर्व) मेरे खयाल से माननीय सदस्य ने एतराज किया है, वह मान्य नहीं है। माननीय श्री पी० के० चौधरी का कहना यह है कि जो अमेंडमेंट माननीय मंत्रीजी ने रखा है, उसमें इनका रखा हुआ संशोधन स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अगेन्स्ट कॉन्स्टीट्यूशन हो जाता है। अगर इसे मान लेते हैं, तो वह कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार हो जाता है। इनकी यह दलील है।

श्री श्रीभानसिंह : दलील तो यह है लेकिन या तो अनकॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट मूव नहीं हो सकता, यह प्ली ले सकते हैं। यह अमेंडमेंट अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, तो इसे लाने न दिया जाता। पहले उसको मूव करने की इजाजत दी गई और अब अमेंडमेंट मूव करते हैं और यह प्ली रखते है।

If the Hon'ble Member considers the amendment moved by Hon'ble Minister to be unconstitutional, then his objection is belated. He has to raise the objection at the time of moving of the amendment that it is unconstitutional. He has accepted that amendment as constitutional and has tabled his amendment and then says that it is unconstitutional now.

श्री बरकतुल्ला खां (जोधपुर २) : You can't have the egg and eat it too. You cannot treat it as unconstitutional and still move an amendment to it.

श्री पी० के० चौधरी : The issue raised by my friend that I cannot take this objection that the amendment is unconstitutional, is not correct.

श्री सभापति : Why enter into that controversy at all. Either you move your amendment or you drop it and then take the position that the amendment of Hon'ble Minister is unconstitutional. You can't blow hot and cold in the same breath. I would request you to please......

श्री पी० के० चौधरी : In moving my amendment, I am not prevented from raising arguments which are in its favour.

अब मेरा जो अमेंडट है, उसके फेवर में आॅर्गूमेंट देना चाहता हूँ। मेरा अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जायगा तो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है, और जिसको इस सदन में मूव करने की इज़ाजत दी गई है, वह अमेंडमेंट अल्टीमेटली जाकर कोर्ट ऑफ़ लॉ में चैलेंज हो सकता है। मैं मानता हूँ कि इस प्ली को लेने से मुझे कोई प्रिवेन्ट नहीं कर सकता। No one can prevent me from raising arguments in favour of my amendment.

श्री श्रीमानसिंह : I can prevent you. I can raise an objection. This House is not supposed to see what the interpretation of the Judiciary will be. That is for the Judiciary to see and I hope the Hon'ble. Member understands the functions of the Legislature.

श्री पी० के० चौधरी : That is not the issue. Nobody can prevent me from using arguments in favour of my amendments.

सभापति महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है, उसके फेवर में सबसे बड़ा आॅर्गूमेंट यह है कि यह जो अमेंडमेंट माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मूव किया है, उसको ऐसा का ऐसा पास कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। इसके लिए मैं आपका ध्यान ऑर्टिकल १४ की तरफ़ आकर्षित करता हूँ, इसमें कहा गया है :

Article 14 says :-- "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

अब यह सवाल आता है कि हम किसी व्यक्ति को इक्वीलिटी ऑफ़ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन से डिनाई नहीं कर सकते।

श्री श्रीमानसिंह : On a Point of order, Sir. Now the House will debate only on this point whether this amendment is ultravires of the Constitution, and the House will not debate the Hon'ble. Member's amendment to it. because the constitutional propriety of the amendment must be disposed of first by the House.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : We should only discuss the amendment and not whether it is ultravires of the Constitution or not.

राजा श्री मानसिंह : But we should not make an unconstitutional law.

श्री बरकतुल्ला खां : When the Hon'ble Member has quoted the Constitution on a point, I think the House will give him the permission to speak on it. We should understand whether the laws, we are making are fit enough to be called laws.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) माननीय सभापति, मैं चाहूंगा कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट खड़ा किया गया है, यह खड़ा होता है या नहीं, इसके लिए एडवोकेट जनरल से राय ले सकते हैं और तब तक इसे पोस्टपोन कर सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद: सभापति महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य किसी चीज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट रेज़ करता है तो वह पॉइन्ट प्रिसेडेन्स रखता है और हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट रेज़ किया गया है वह ठीक है या नहीं। इसे डिसाइड करने से पहले दूसरी बात पर विचार नहीं कर सकते। इसलिए यह तय कर लेना चाहिए कि जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अमेंडमेंट पेश किया है वह कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। जो पॉइन्ट श्री पी० के० चौधरी ने उठाया है, उस पर विचार कर लिया जाय। उसके बाद दूसरी चीज़ पर आगे बढ़ें। मैं इसकी ताईद करता हूँ।

श्री सभापति : For the information of the Hon'ble Members I may also tell you that such a provision exists in one Kerala Bill also. Kerala Agrarian Relations Bill, 1957, section 58, sub-section (b) "In the case of adult un-married daughters......"

श्री चन्दनमल वैद : Kerala Legislature was always in the habit of defying the Constitution.

श्री सभापति : I have not yet given any decision I have just informed the Hon'ble Members that such a provision is there also.

श्री चन्दनमल वैद : My submission is that Kerala Legislature was always in the habit of defying the Constitution. Therefore, we should not go after the Kerala Legislature.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, उस अमेंडमेंट के ऊपर यह पॉइन्ट रेज़ किया गया है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ है। आर्टिकल १४ को यह हर्ट करता है, इसलिए इसे पास नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ठीक नहीं है। मेरा अमेंडमेंट है वह किसी के राइट पर असर नहीं डालता और न इक्वीलिटी बिफ़ोर लॉ को डिनाई करता है। जैसा कि आर्टिकल १४ में है। मेरा अमेंडमेंट यह है और मैंने अमेंडमेंट इसलिए पेश किया है कि मैंने सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखा, जो उन्होंने पेश की थी कि पांच आदमियों की फ़ैमिली को ३० एकड़ ज़मीन देते हैं और एक आदमी है जिसके बीबी बच्चे नहीं है, मैं समझता हूं कि बरकत साहब इसकी ताईद करेंगे....

श्री बरकतुल्ला खां : Mr. Chairman, Sir. Is the Hon'ble Minister replying to the debate or he is only replying to the constitutional point raised by Shri P. K. Chaudhary.

श्री सभापति : Only constitutional point.

श्री बरकतुल्ला खां : Then he is wasting the time of the House by trying to reply to the debate.

Page No.103

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not replying to the debate.

तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस अमेंडमेंट को पेश करने का मेरा मकसद यह है कि जहां पर इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ़ लैण्ड हम कर रहे हैं तो यह देखना पड़ेगा कि ५ आदमी की फेमिली का एक युनिट मानते हैं उसको भी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ देंगे और अकेला एक आदमी है और जिसके कोई नहीं है 'नो फेमिली' खास तौर से लिखा है "Provided further that in the case of an adult un-married person without a family."

श्री बरकतुल्ला खां : What will happen to a widower? He has got no family?

श्री चन्द्रनमल वेद : If your amendment is not affected, you can say that "a person having a family of one person only..."

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not possible.

श्री बरकतुल्ला खां : Widower will have a family, but a bachelor can't.

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): If he intends to marry, then?

श्री दामोदरलाल व्यास : Wait a minute please....

श्री बरकतुल्ला खां : You can make it as, 'a family of one person."

श्री दामोदरलाल व्यास : Wait a minute please. मेरा ऑब्जेक्ट मैंने अर्ज किया कि जहां पर ५ आदमी हैं और उसको जितनी जमीन दी जाती है तो एक आदमी जहां है और खास तौर से....

श्री पी० के० चौधरी : You please see Article 14 of the Constitution.

श्री दामोदरलाल व्यास : फेमिली को डिफ़ाइन किया गया है for the purpose of ceiling मैंने जैसा कि कल अर्ज किया कि ज्वॉइन्ट हिन्दू फ़ेमिली नहीं है "husband, wife and their children dependent on them..." सीलिंग एरिया में कितनों को देंगे वह युनिट बनाई गई है अगर आप यहां सिर्फ यह प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके कोई फ़ेमिली नहीं है, विदआउट फेमिली रहता है। तनाह आदमी है उसके पज़ेशन में उतनी ज़मीन नहीं रहनी चाहिए जितनी कि ५ आदमी के युनिट के पास में है।

कॉन्स्टीट्यूशनली एक पोइन्ट रेज़ कर दिया है। वैसे कोई भी पोइन्ट रेज़ कर दें और कह दें कि एडवोकेट जनरल को बुला लें। माननीय सभापति महोदय, Article 14 reads :–"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." इससे इसका कोई संबंध नहीं है। आपने फेमिली ५ आदमियों की डिफाइन की है, और एक ऐसा आदमी है जिसके कि फेमिली नहीं है तो That goes without saying कि फ़ेमिली के बढ़ने के साथ लैण्ड ज्यादा दे सकते हैं। If that is not un-constitu-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

tional... तो लैण्ड कम भी कर सकते हैं। वह अनकॉंस्टीट्यूशनल नहीं हो सकता है। यह सीधी सी बात है। इसमें एडवोकेट जनरल को बुलाने की और राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) अनमेरिड शब्द हटाया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह संशोधन यहां पर पास हो गया तो गवर्नमेंट के सामने बड़ी भारी संख्या बढ़ने का सवाल पैदा हो जायगा क्योंकि सब बेचलर शादी कर लेंगे।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, बेचलर और स्पिन्स्टर में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वह मैं माननीय मंत्री महोदय को समझा देता हूँ।...

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Sir, has it been decided by the House whether this amendment is constitutional or not ?

श्री सभापति : वही हो रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : I am still speaking on the constitutional point. डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होता है कि फ़ैमिली जो है उसको इस एक्ट में डिफ़ाइन किया है तो फ़ैमिली में सिर्फ वाइफ़, चिल्ड्रेन और ग्रान्ड चिल्ड्रेन मान लें, लेकिन कोई बेचलर है या स्पिन्स्टर है और उसके साथ ५ आदमी रहते हैं Any of his dependent relatives may be there. आप मानलें कि बेचलर या स्पिन्स्टर के पास उसकी मौसी या पीसी रहती है। Five persons may be staying with him, but they will not be considered as family. एक बेचलर या स्पिन्स्टर होता है जिसके पास में मौसी और पीसी They may be dependent on him or her...इस तरह से उसके पास में १० रिश्तेदार रहते हैं। तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।

दूसरी बात, विडोअर शरीक नहीं है। विडोअर का सुझाव नहीं है तो उसको ३० एकड़ मिल सकती है after this amendment तो यह जो पोजीशन है This makes a discrimination between two persons holding the same position and station in life.

श्री दामोदरलाल व्यास : विडोअर बढ़ा दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : बढ़ाने से काम नहीं चल सकता है। फैमिली की डेफ़िनेशन आल्टर करेंगे तब जाकर काम कर सकते हैं I don't accept this amendment to my amendment now.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कॉन्ट्रेक्ट मेरिज कर लेंगे तो क्या स्थिति होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Without a family. My intention is clear that if here is one man without any family, then ऑफ़ कोर्स विडोअर और लग जायगा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यहां पर एक रोंग इम्प्रेशन चल रहा है कि दूसरे आदमी होंगे वे कहीं के नहीं रहेंगे। यह फैमिली जो डिफाइन की गई है it is only a unit for imposition of ceilings. इसमें ४ ब्रदर्स हैं they will be considered. four different families. और ऐसा कोई है तो अलग फैमिली मानी जायगी except husdand, wife their dependent children and grand-children. इसके सिवाय जो कोई भी होगा he will be considered as separate family इसके अलावा बढ़ते हैं तो ५ आदमी तो रह जायेंगे अगर ५ आदमी हैं तो अलग अलग फैमिली शुमार कर लेंगे। इससे कोई बात नहीं है। किसी आदमी के बीबी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, फैमिली नहीं है then he will be entitled to only half the ceiling area. दूसरों के राइट्स पर इसका असर नहीं पड़ता है। यह समझ लें, क्लिअर है। फैमिली जो यहां पर डिफाइन की है वह लॉ की दृष्टि से हिन्दू जोइन्ट फैमिली डिफाइन नहीं की है It is a family only for the purpose of this Bill.

इसमें सिर्फ हस्बैण्ड, वाइफ और उनके डिपेन्डेन्ट चिल्ड्रन आयेंगे, और कोई नहीं आयेगा। इसके अलावा फैमिली के अन्दर आयेगा तो he will be treated as separate unit and he will be able to separate ceiling land.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अगर कोई गोद ले लेगा तो क्या वह माना जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर कोई सवाल नहीं है गोद का। हिन्दू लॉ में लेना जायज़ है तो ले सकता है। मुस्लिम लॉ में नहीं है तो नहीं ले सकता है।

राजा श्री मानसिंह : Whether you are going to give him land from the joint property ?

श्री दयाकृष्ण विजय : तो आप एमी कर रहे हैं कि विडोअर शब्द को बढ़ा दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : The word "widower" may be inserted after the word "unmarried person." कि एक आदमी को उतनी ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए जितनी कि ५ आदमी के युनिट को मिलती है। उसमें विडोअर बढ़ा दें।

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of order, Sir. It has now been proved and established that the amendment of Hon'ble Minister was discriminatory and did not give equal protection of law to individuals placed in the same position in life, i. e. a bachelor and a widower. Consequently the Hon'ble Minister has amended his amendment. But he cannot move it as an amendment to his previous amendment, because the previous amendment was unconstitutional. He has to move a fresh amendment again incorporating the word "widower". The Chair should ask the Hon'ble Minister to move the revised amendment again alongwith the word "widower" included in it and after that my amendment may be taken up.

श्री सभापति : Your amendment still stands ?

श्री पी० के० चौधरी : Certainly Sir. My amendment still stands, even though he adds the word "widower". My amendment has got its own significance.

श्री दामोदरलाल व्यास : With your permission, I may add the word "widower" to my amendment.

श्री पी० के० चौधरी : The point is that even if this amendment was taken to have been moved by the Hon'ble Minister, he has improved it now and added another word. That means he accepts the position that Article 14 was violated with his previous amendment. Now he will have to move his corrected amendment once again and after that my amendment will be moved to that doubly amended amendment.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपके अमेन्डमेन्ट का और दोनों का विरोध करना चाहता हूँ........

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट पर फैसला करने दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : इस पर फैसला हो चुका है।

श्री सभापति : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : अभी नहीं हुआ है। आप इस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, उस पर नहीं कहना चाहता।

श्री सभापति : The Hon'ble Revenue Minister has sought permission to add the word "widower" in the amendment that he has moved.

श्री पी. के. चौधरी : On a Point of order, Sir.

श्री श्री भानसिंह : There can be no point of order when the Chair is on its legs.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Minister cannot seek the permission of the House to add the word "widower". He will have to remove his amendment. It is a constitutional issue and you will have to give your decision on it.

श्री सभापति : He has only added a word in his amendment. With that addition his amendment is taken as moved. Now you may say what you have to say.

श्री पी के. चौधरी : Now I will move my amendment, Sir.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं निवेदन करूं कि aged unmarried Lady or widower है तो उसके लिये क्या व्यवस्था होगी ?

श्री सभापति : We have to dispose of one point first. So the amendment as it stands before the House for consideration would be like this:—

(श्री सभापति)

"Provided further that in the case of an adult unmarried person or a widower without a family, the ceiling area shall be half of the ceiling area applicable to a family of five members."

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : उनकी एज लिमिट भी रखेंगे क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : I move my amendment that...

श्री मुरलीधर व्यास : जो पहला संशोधन था उस पर किया था। अब नया संशोधन है तो नया करना पड़ेगा। पुराने पर बोलना नहीं पड़ेगा।

श्री चन्दनमल वैद : What about the divorcee ? Suppose one has been divorced and he is single ?

श्री सभापति : Of course, the subject is very interesting, but let us proceed with the Bill. I will request the Hon'ble Members not to go very far.

राजा श्री मानसिंह : Let us give an opportunity to the Hon'ble Members to move their amendments.

श्रीमती गंगादेवी : डाटा इसमें आपने रखा है विधवा या बेचुलर....

श्री सभापति : विधवा का नहीं रखा है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : विधुर समझ लीजिये, वह अगर शादी कर ले तो वापिस देंगे क्या ?

श्री सभापति : शादी करने के बाद उसके बच्चे हो जायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : Again that constitutional point has arisen. Now a widow is being discriminated. Again the provisions of Article 14 of the Constitution are being violated. I will request the Hon'ble Minister to amend his amendment. Here the widow gets an advantage over a widower.

श्री सभापति : Let the House decide whether this is constitutional or not. So I put this to the vote of the House.

राजा श्री मानसिंह : There should be discussion on it.

श्री सभापति : We have had sufficient discussion on it.

राजा श्री मानसिंह : Sir, this cannot be decided by vote. We will have to go through books on this point Sir. We will have to be prepared.

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय सभापति, क्या आप उन ऑब्जेक्शन्स को वोट के लिये रखेंगे।

श्री सभापति : Yes, I put it before the House to give a decision.

श्री तनसिंह : विधान यह है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन पॉइन्ट हो वहां उसका निर्णय बहुमत या अल्पमत या किसी प्रकार के मत से नहीं होता है। उसकी व्यवस्था तो आप देंगे या कोर्ट देगा। हम उसमें मतों का विभाजन कैसे करेंगे क्योंकि यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, लीगल है इसलिये मतों से कैसे निर्णय होगा। इसका निर्णय चेयर से होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : I support what Mr. Tan Singh says, that this should not be decided by votes but by legal knowledge. Either the Chair or legal experts should decide this.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): मेरे खयाल से हाउस ऑफ दी पीपल का रूलिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट्स का डिसीज़न भी वोट से होना चाहिये न कि कोर्ट के माफ़िक। मेरे खयाल से ऐसा डिसीज़न मौजूद है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. वोट से होता है।

श्री चन्दनमल वैद : वोट से आप यह कैसे तय करना चाहते हैं कि चेयरमैन का कोट काला है या लाल है। यह तो चैयरमैन साहब को खुद को कहने दीजिये कि उनका कोट काला है या लाल है।

श्री पी० के० चौधरी : Point of order is never decided by a vote Sir. It is a point of order on a constitutional issue.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् मैं उसके बारे में यह निवेदन करूंगा कि इस पर निर्णय की आवश्यकता नहीं क्योंकि विधान एक ऐसी चीज़ है जिसका क्या प्रभाव होगा वह सदन में नहीं आ सकता। इसका इन्टरप्रिटेशन किसी को भी करने का अधिकार है यहां दलील बहस के रूप में लोगों को प्रभावित करने के लिये देते हैं। बाकी चेयर की तरफ से इसका निर्णय किया जाय तो वह अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिस अधिकारी को कार्य करने का हक है वह सही करता है या गलत करता है यह देखने की ज़रूरत नहीं है। वह सही भी करे या गलत भी करे उसको चाहे जैसा कार्य करने का हक है बिकाज कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिन्सिपल यह है The authority vested with power to do a thing has got power to do it rightly or wrongly. कॉन्स्टिट्यूशनल दलील को ध्यान में रखते हुए वोट दे दें।

श्री बरकतुल्ला खां : I beg to suggest one thing that this Assembly is not sovereign. It is bound by the Constitution of India and we have to act within the framework of that Constitution. As such, if an objection is raised that a certain amendment or certain clause is not within the competence of this Assembly then we have every right to decide whether we should waste the time of the House in passing a law which may later on be proved to be ultravires. Therefore, I submit that a ruling should come from the Chair whether the constitutional objection raised by Shri P. K. Chaudhary is valid or not.

४. ४०. म. प.

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सदन के सामने यह है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट रेज़ किया जाय तब हमको क्या करना चाहिये। एक राय तो यह है कि उसको वोट द्वारा तय किया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा कि उसके बारे में चेयर के द्वारा कुछ निर्देश मिलना चाहिए। मेरे खयाल से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट को रेज़ करने के बाद अध्यक्ष की तरफ से, अगर अध्यक्ष यह सोचे कि पॉइन्ट दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट रखता है उस पर अपना डिसीज़न दे कि वह पॉइन्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं This does not lie with the chair. हाउस डिस्कशन होने के बाद यह तय करता है मैजोरिटी के द्वारा, यह बिलकुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ कहें कि अन्-कॉन्स्टिट्यूशनल है: कुछ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट नहीं है। मेजोरिटी यह जानते हुए भी एक राय देती है और अलेज्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट को पास करती है तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है All that we can do is to have a discussion on the matter. If the House is then still of the opinion that it has a right to proceed with the Bill, it can do so. इसलिए मेरे खयाल से अमेंडमेंट है-we will proceed with the debate.

राजा श्री मानसिंह : Discussion on the legal point ?

श्री अध्यक्ष : I will permit the Hon'ble Member who has raised the point and then the Hon'ble Minister. We will then decide it at the time of voting. This is one of the points which you can have for rejecting the amendment.

श्री दयाकृष्ण विजय : पहले यह पॉइन्ट डिसाइड होना चाहिए कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं That is not necessary, कई आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें एक यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली यह इल्लीगल है that will be one of the arguments for rejecting it.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो फर्माया, इस पर वाद-विवाद हो जाय ...

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद हो गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह पॉइन्ट तय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य, जिन्होंने यह पॉइन्ट रेज़ किया, वे बोले, उसके बाद कुछ माननीय सदस्य बोले और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अमेंडमेंट पर बोला जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट पर बोल सकते हैं but we have got very limited time, कितना समय है, कितने क्लॉजेज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट है उस पर ज़्यादा समय वाद-विवाद नहीं होगा।

राजा श्री मानसिंह : There is no amendment to the effect that

(राजा श्री मानसिंह)

the amendment moved by the Hon'ble Minister is un-constitutional, whereas you have given an assurance that it will be voted upon ?

श्री अध्यक्ष : Along with the main clause or amendment, not separately. The point of constitutionality is one of the issues on which an amendment can be thrown.

श्री त०.सिंह : अब उसके मेरिट्स पर बोलना चाहते हैं अमेंडमेंट के, उसमें....

श्री पी० के० चोधरी : I am still to speak on my amendment. I only spoke on the constitutional point.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पहले तय किया था कि चार बजे मंत्री महोदय उत्तर शुरू कर देंगे। वे एक अमेंडमेंट लाये, उस पर माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, इसलिए समय एक्सटेन्ड किया। अब स्थिति बन जाती है कि पांच बजे तक अमेंडमेंट पर बोलिये या जनरल डिबेट पर बोलिये, आप जैसे चाहें बोलें। पांच बजे बाद बहस समाप्त हो जायगी और कल की प्रोसीडिंग्स मंत्री महोदय के उत्तर से शुरू होगी।

राजा श्री मानसिंह : Sir, it is very unfair to us that the Government adopts this procedure that at the end of debat it brings an amendment for which we have got no time to discuss- For all we know, at 2 minutes to 5 P. M. he will bring another amendment.

श्री अध्यक्ष : He will not be permitted by the Chair to move that amendment. Looking to the circumstances, he was permitted at that time.

श्री दामोदरलाल व्यास : The maendment was circulated at about 2. 30 P. M.

राजा श्री मानसिंह : This controversy has been raised by the Hon'ble Revenue Minister and I request that atleast an hour should be given to us tomorrow to discuss this point.

श्री अध्यक्ष : जैसे मैंने सुबह बताया आप तीन घंटे लीजिये या दो घंटे लीजिये। जो समय निर्धारित किया है उसके अनुसार दूसरे क्लॉजेज पर समय नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि जो सीमा निर्धारित की है कि जो समय है, उसमें सारा बिल खत्म कर देंगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : Then we may sit for an extra hour and continue the discussion.

रावराजा श्री सरदारसिंह : इनको ज्यादा अफेक्ट करेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेटरडे को बैठें, घंटा भर और लिया जा सकता है। I am prepared to co-operate to any extent......

इसमें दो राय नहीं है बहुत जरूरी कानून है, जिसे डिस्कस कर रहे हैं और पास करने जा रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : एक बाया-

(श्री चन्दनमल वेद)

मिडिया और हो सकता है कि सेटरड़े को बैठ सकते हैं और बिजनेस एजवाइज़री कमेटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सेटरडे को बैठने का मतलब यही है कि एक दिन और बढ़ा दिया जाय। If the House is agreeable we can do that.

श्री बरकतुल्लाखां : Let us sit on Saturday, Sir.

श्री अध्यक्ष : Then we can discuss it tomorrow also for an hour or two.

राजा श्री मानसिंह : Two hours Sir.

श्री अध्यक्ष : Alright, two hours.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अमेंडमेंट किया है बेचुलर, अनमेरिड पर्सन और विडोअर, उसके बाद मैं समझता हूँ....

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने संशोधन पहले रखा था, उस संशोधन के बाद उन्होंने दूसरा संशोधन रख दिया, पहले वाले को हटा दिया और सम्मानीय सदस्य ने जो संशोधन दिया, जिस पर वे बोल रहे हैं तो वह संशोधन तो जब मन्त्री महोदय का संशोधन हट गया और दूसरा सदन के सामने है तो जब तक ये दूसरा संशोधन नहीं देते तब तक यह संशोधन पर नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। एक शब्द के हेरफेर से सजेस्ट किया है, इस लिए डिस्कशन में बाधा नहीं आनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : संशोधन दूसरा पेश कर दिया।

श्री अध्यक्ष : जी, क्या फर्क पड़ता है उसमें।

श्री पी० के० चौधरी : My amendment will stand slightly amended in view of the amendment freshly submitted by the Revenue Minister. It will be:—

"Provided that the person concerned declares himself to be a confirmed bachelor or spinster or widower and does not intend to marry in foreseeable future."

श्री अध्यक्ष : 'Confirmed' or 'genuine' ?

श्री पी० के० चौधरी : Confirmed. "...a confirmed bachelor or spinster or widower does not intend to marry in foreseeable future."

श्री चन्दनमल वैद : Has he to declare on oath or verbally or in writing ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think time should be given to Shri Barkat Ulla Khan to speek on this subject.

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री बरकतुल्ला खां: I thank the Hon'ble Minister for his keenness to

(श्री बरकतुल्ला खां)

give me an opportunity to speak. He has inflicted a gross injury on the bachelors and he should appreciate their point of view.

श्री अध्यक्ष : He has hit them below the belt.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूँ। इन्होंने संशोधन रखा वह यह रखा कि उसके बाद लिखित रूप से बयान दे कि मैं आगे किसी प्रकार शादी न करूंगा और कुंआरा रहूँगा। मैं यह समझता हूँ कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : आपका मौका आये तो यह बात कह देना।

श्री मुरलीधर व्यास : भविष्य की इच्छा पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से....

श्री तनसिंह : आप बोल देना अपने टाइम पर।

श्री पी० के० चौधरी : Let me first speak on my amendment.

श्रीमती गंगा देवी डाटा : अध्यक्ष महोदय, यह महाभारत-काल आ गया, भीष्म प्रतिज्ञा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि जो अमेंडमेंट जिस रूप में माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है, उसमें मेरा अमेंडमेंट जोड़ा नहीं जाय, उसमें शरीक नहीं किया जाय, तो उस अमेंडमेंट से नेचूरल जस्टिस नहीं होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट पर तो वोट से डिसीज़न लेंगे, कम नेचूरल जस्टिस हो जाती है, वह अमेंडमेंट को जोड़ देने से नहीं होती है। हम देखते हैं कि बैचलर, विडोअर, स्पिन्स्टर एक बात यह आती है। दूसरी बात आती है कि एक व्यक्ति बैचलर हो सकता है He may be bachelor today and after six months he may marry. But on that date, the crucial date, which you have fixed for ceilings उस तारीख में बिट्रोथ हो सकता है, मेरा एन्गेजमेंट हो गया I am expecting to marry in a day or two, but on the crucial date I am un-married. In that case I am deprived of the advantage which everybody else gets तो मैं समझता हूँ कि यह नेचूरल जस्टिस नहीं कहती है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाय और मान लीजिये कि कोई व्यक्ति, कोई यंग मैन, जो आज २०, २१ का है, आजकल मेरिजेबल एज is late. Usually people marry late in life.

We are encouraging late marriages in life and on the other hand we are making a provision which is a sort of penalty on late marriages and an encouragement to early marriages. The result of this provision is going to be that in order to have full 30 standard acres, people are going to have mass marriages......

श्री बरकतुल्ला खां : Probably as a Brahmin, you would like to have mass marriages.

श्री चन्दनमल बैद : Marriage is not against our national policy.

श्री पी० के० चौधरी : More fertility is against our national policy. We want to control fertility but by passing of this Bill we are encouraging fertility.

The young men who are looking forward to life will have to cut their income by half. Probably many an engagements and betrothals will be cancelled when the estates of people are cut by fifty percent. There will be so many cancellations of marriage engagements.

(हंसी)

It is not a thing to be laughed at. I am talking about it very seriously. Many of the sweet-hearts will fail for ever to meet again. Their scheduled marriages will be cancelled. Besides, this provision is not going to bring in any big areas to the Government......

श्री दामोदरलाल व्यास : You should leave some arguments for other Hon'ble Members also.

श्री बरकतुल्ला खां : We can always repeat good arguments to convince the Minister.

श्री पी० के० चौधरी : When we are passing a law we should also see how far it is going to affect the persons. If there are minor advantages to a few families and hardship to some families by a provision, then it is not worth while to deprive some families of the happiness of their life when by such an amendment their engagements will be cancelled. In adolscent age people have dreams about their future life but when the fifty percent of their incomes are curtailed, all their dreams are going to be shattered, and this amendment is going to have unhappy repurcussions. This clause will give rise to anti-social elements in our society. Is it worth having them ? We should put them on the balance.

The definition of family is also defective. The sister of my mother or wife may have no one to support her and they may be dependent on me. I may have so many dependents on me, but under this definition of family, they do not come in. If I am bachelor and my mother's sister or my maternal uncle are staying with me, they do not come under the definition of family. Even if more than five persons are staying with me, I will be considered a man without a family. This is the anomaly of this Bill. It will be a discrimination against an individual who has got 10 dependents from his maternal side, but he will be considered as single under this Ceilings Bill.

So I am appealing to the good sense of the Hon'ble Minister that he should not bring an amendment which will bring land as little as a drop in the ocean but which will

(श्री पी० के० चौधरी)

bring curses on his head from persons who are of impressionable age, the younger generation. They will curse him. So he should be more careful with that. With these words, I move my amendment.

श्री अध्यक्ष : अब समय हो गया है, सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.५५ पर गुरुवार दिनांक ३-१२-५९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार दिनांक २ दिसम्बर, १६५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	४३३	ग्रीष्म काल में माउन्ट आबू के यात्रियों को टिकट दिलाने का उचित प्रबन्ध ।	
टोडा म्युनिसिपेलिटी का पंचायत में परिवर्तित किया जाना ।		जयपुर के लीपर एसाइलम में बिजली का अभाव ।	
भरतपुर जिले में एक आदर्श जेल बनाना ।		दौसा तहसील में सड़क निर्माण कार्य ।	
कोटा–गैंता बस को नौनेरा तक बढ़ाना ।		मिस इंगर मुन्डट द्वारा निरीक्षित राजस्थान के बी. सी. जी. के कार्य की प्रगति की रिपोर्ट ।	
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु म्युनिसिपेलिटियों को पंचायतों में परिवर्तित किया जाना ।		जैसलमेर के लुद्रवाजी जैनतीर्थ तक सड़क निर्माण की योजना ।	
भरतपुर जिले के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्टाफ वृद्धि की आवश्यकता ।		ज़िला जालोर की पंचायतों में हरिजन सदस्यों की नियुक्ति ।	
एलोपैथिक हॉस्पिटल, भरतपुर में रोगियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था ।		पुलिस कर्मचारियों की डाकुओं से हुई मुठभेड़ आदि में मृत्यु तथा उनके आश्रितों को सहायता ।	
भरतपुर नगरपालिका कार्यालय में भवन निर्माण हेतु विचारणीय प्रार्थना-पत्र ।		पशु अभिजनन प्रक्षेत्र, बस्सी ।	
लाखेरी-टोंक सड़क ।		सुन्दरपुरा, तहसील कोटपुतली, के पंचायत भवन को उपयोग हेतु दिया जाना ।	
ग्राम तलाब (पीपल्दा) का पशु चिकित्सालय ।		बस्सी-तूंगा रोड को रामगढ़-पचवारा होते हुए तूंगा से डीडवाना लालसोट में मिलना ।	
दौसा में बिजली के करेन्ट से मरे दो काश्तकारों के बाल-बच्चों को सहायता ।		आमेट में नगरपालिका की	

स्थापना की मांग पर निर्णय।

तहसील शिव की पंचायतें।

अजमेर के रिवर्ट सब-इन्स्पेक्टरों को प्रमोशन दिया जाना।

बीकानेर-लूणकरणसर सड़क व लूणकरणसर के डाक बंगला, प्रशासनिक भवन व क्वार्टर्स एवं हौज़ के कार्य में प्रगति।

राजस्थान नहर की खुदाई एवं उससे सिंचाई।

तहसील पंचायत कोटपूतली के सरपंच के विरुद्ध शिकायत की जांच।

सरपंच, विराटियां खुर्द (पाली) द्वारा पंचों के साथ ज्यादतियां करनी।

नागोर पशु मेले में आयोजित प्रीतिभोज में बीकानेर के कर्मचारियों को बुलाया जाना।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ३—धारा ३० सी:—इस धारा पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री शंकरलाल
(२) श्री भैरोंसिंह (१४)
(३) श्री लच्छूराम
(४) श्री अनोपसिंह
(५) श्री जनार्दनराय नागर
(६) श्री मदनसिंह
(७) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
(८) श्री तनसिंह
(९) श्री भीमसेन
(१०) श्री हरिप्रसाद यादव
(११) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(१२) श्री सूबेदारसिंह
(१३) श्री तेजाराम गहलोत
(१४) श्री मोहरसिंह

इस धारा पर आज दो और संशोधन प्रस्तुत किये गये।

परिशिष्ट-१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

सूची (अ)

नगरपालिकाओं की ज़िलेवार सूची जिनकी जनसंख्या सन् १९५१ की जनगणनानुसार ८,००० से कम है

नाम ज़िला	नाम नगरपालिका
जयपुर	१. जोबनेर
	२. आमेर
	३. फुलेरा
	४. सरवाड़
	५. चाकसू
अजमेर	१. पुष्कर
	२. देवली
सीकर	१. नीमकाथाना
	२. खण्डेला
झुंझुनूं	१. मुकुन्दगढ़
	२. सूरजगढ़
	३. बगड़
	४. खेतड़ी
	५. विद्या विहार
सवाई माधोपुर	१. टोडाभीम
टोंक	१. निवाई
	२. उनियारा
अलवर	१. खेडली

नाम जिला	नाम नगरपालिका
भरतपुर	१. नदवई
	२. वैर
	३. राजाखेड़ा
बीकानेर	१. भीनासर
	२. नापासर
	३. नोखा
	४. देशनोक
चूरू	१. रतन नगर
	२. छापर
गंगानगर	१. गजसिंहपुरा
	२. रायसिंह नगर
	३. अनूपगढ़
	४. सूरतगढ़
	५. हनुमानगढ़
	६. सांगरिया
	७. भादरा
नागौर	१. नांवा
	२. मेड़ता
	३. परबतसर
सिरोही	१. पिंडवाड़ा
	२. माउन्ट आबू
जैसलमेर	१. पोकरण
	२. देवगढ़
	३. सलूम्बर
	४. कनोड़
	५. भिन्डर

नाम जिला	नाम नगरपालिका
डूंगरपुर	१. सागवाड़ा
चित्तौड़	१. कपासिन
	२. छोटी सादड़ी
	३. बड़ी सादड़ी
भीलवाड़ा	१. गंगापुर
	२. कुशलगढ़
कोटा	१. रामगंज मंडी
	२. छबड़ा
	३. इन्दरगढ़
बूंदी	१. केशोराय पाटन
	२. नैनवा
	३. लाखेरी
झालावाड़	१. झालरा पाटन
	२. सुनेल

विकेन्द्रीकरण के लिये सरकार द्वारा जिन जिन नगरपालिकाओं को पंचायतों में परिवर्तित किया गया

सूची (ब)

१. विजयनगर
२. नरायना
३. लालसोट
४. बसवा
५. बैराठ
६. शाहपुरा
७. मनोहरपुर
८. लोसल
९. दांता
१०. बिसाऊ
११. टोडारायसिंह
१२. कुम्मेर
१३. भुसावर
१४. नगर
१५. हिन्दुमालकोट
१६. गलियाकोट
१७. बेंगू
१८. भवानीमन्डी
१९. पिंडावा
२०. तिजारा

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर देखिये)

सूची प्रार्थना पत्र भवन निर्माण, जो स्वीकृति हेतु कार्यालय नगरपालिका, भरतपुर में पेश हुए जो इस वक्त कार्यालय में विचाराधीन हैं।

क्रम सं०	दिनांक पेश करने प्रार्थना पत्र	प्रार्थी का नाम मय पूरा पता	विशेष विवरण
१	१–७–५६	श्री तेजपाल जी एम. एल. ए. कुम्भेर गेट, भरतपुर	रास्ता बन्द करके इजाजत चाही गई है नकशा दुरुस्त करके स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है।
२	२१–८–५६	श्री चेतराम पुत्र बन्सी मोहल्ला जारोटा वार्ड नं० ३ भरतपुर	जमीन सरकारी पर इजाजत चाही गई है मामला जेर तजवीज है।
३	१६–८–५६	श्री सूरजसिंह तहसील बीनाराय गेट वार्ड नं० ५ भरतपुर	
४	१३–८–५६	श्री भीकचन्द पुत्र जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल बुद्ध की हाट भरतपुर।	
५	३१–८–५६	श्री नन्दूराम ठेकेदार श्री लक्ष्मण मन्दिर के पीछे, भरतपुर	
६	२७–८–५६	श्री चिम्मन पुत्र मूली कौम जाटव मोहल्ला जगरोटा वार्ड नं० ३ भरतपुर।	
७	२६–६–५६	श्री सांवलदास पुत्र ऊधवदास सिन्धी मोहल्ला रेला, नया भरतपुर।	
८	४–६–५८	श्री सरवनलाल पुत्र श्री रामप्रसाद मोहल्ला बिजलीघर वार्ड नं० २ भरतपुर।	
९	१३–८–५६	श्री हीरालाल गुप्ता पुत्र नारायणदास खन्डेलवाल गंगा-मन्दिर भरतपुर।	
१०	८–७–५६	श्री बीरा पुत्र सामलिया तेली मोहल्ला बुद्ध की हाट, भरतपुर।	

११	२५–५–५६	श्री विजयसिंह पुत्र नत्थीसिंह जी बीनाराय गेट, भरतपुर।	
१२	१०–६–५६	श्री कलुआ पुत्र रामहेत कौम जाटव मोहल्ला रसाला वाला वार्ड नं० ३ भरतपुर।	मंजूरी से पहले बना लिया है खिलाफ अर्जी कार्यवाही जारी है।
१३	१६–७–५६	श्री मोतीलाल पुत्र गोपाल कौम कोली वार्ड नं० ५ भरतपुर।	
१४	१६–५–५६	श्री चम्पालाल जी पुत्र श्री जसाराजमल बोहरे मन्दिर श्री लक्ष्मण जी के पीछे, भरतपुर।	
१५	३०–१–५६	श्री गौरीशंकर पुत्र जगनीराम वैश्य मन्डी अटलचन्द भरतपुर	
१६	५–१२–५७	श्री बिशम्बर पुत्र सूवा कौम कोली मोहल्ला नदिया, भरतपुर।	
१७	२१–१–५६	श्री रामनारायण पुत्र सोनपाल वार्ड नं० १६ अली नवाब साहब, भरतपुर।	
१८	१०–७–५६	श्री ओमप्रकाश पुत्र चिरमोली जाटव वार्ड नं० ३ भरतपुर	
१६	२२–१२–५८	श्री रामस्वरूप पुत्र देवीदास मोहल्ला वास पखारिया वार्ड नं० १३ भरतपुर।	
२०	२८–३–५६	श्री प्रतापसिंह पुत्र शिवकरनसिंह जाट सिनेमा हाल के पीछे भरतपुर।	
२१	७–७–५६	श्री रामबाबू पुत्र कल्याणसिंह नाई ठाकुर मोहल्ला नदिया वार्ड नं० १३ भरतपुर।	
२२	२७–७–५६	श्री नत्थीलाल पुत्र रामचन्द्र राजपूत भरतपुर।	
२३	२८–५–५६	श्री प्रीतमसिंह पुत्र सरदार करतारसिंह मन्डी घास वासन गेट, भरतपुर।	
२४	६–११–५७	श्री गोविन्दसहाय पुत्र कुन्दनलाल जी चतुर्वेदी मोहल्ला खेड़ा पती भरतपुर।	
२५	१६–५–५६	फूलसिंह एस. आई. पुलिस मार्फत श्री बृजेन्द्रसिंह गोपालगढ़, भरतपुर।	
२६	१८–४–५६	श्री सांवलिया पुत्र मोतीराम माली कुम्भेर गेट, भरतपुर।	
२७	१६–११–५८	मुसम्मात सोमेसो बेवा रामचंद्र ब्रा० मोहल्ला परोहित भरतपुर।	

२८ २७–६–५६ श्री शिवचरनलाल पुत्र जगन्नाथप्रसाद वैश्य मोहल्ला नदिया वार्ड नं० १३ भरतपुर।

२९ १५–६ ५६ श्री राजेन्द्रसिंह सिक्ख कुम्भेर गेट, भरतपुर।

३० ३–७–५६ श्री विजयराम पुत्र गोलियाराम जाटव, भरतपुर।

३१ १३–३–५६ श्री बलवन्तसिंह पुत्र जीवासिंह वार्ड नं० १७ भरतपुर।

३२ २०–८–५६ श्री भीमसिंह पुत्र गोवरधनसिंह वैश्य हलवाई मथुरा दरवाजा वार्ड नं० २ भरतपुर।

३३ २१–८ ५६ श्री बेनीराम पुत्र सोहनलाल कौम कोली वार्ड नं० १८ भरतपुर।

३४ ८–८–५६ श्री पुरुषोत्तमदास वैश्य नीमदा गेट वार्ड नं० ७ भरतपुर।

३५ १३–८ ५६ श्री मौजीराम पुत्र नारायण कोली मोहल्ला खातीपाड़ा अनाह गेट, भरतपुर।

३६ २०–८ ५६ श्री किशनचन्द्र पुत्र चिम्मनलाल कौम खत्री मोहल्ला तोप वार्ड नं० ६ भरतपुर।

३७ २४–८–५६ श्री परभाती पुत्र छोटेलाल कोली मोहल्ला नदिया वार्ड नं० १२ भरतपुर।

३८ १७–८–५६ श्री बुद्धीलाल पुत्र नानिगराम शर्मा मोहल्ला पॉवरहाउस वार्ड नं० २ भरतपुर।

३९ १२–८–५६ श्री गिरराजप्रसाद ब्राह्मण मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर।

४० ३१–३ ५८ श्री बाबूलाल पुत्र ज्योतिप्रसाद मोहल्ला सेठ की कोठी के पास लक्ष्मण जी के मन्दिर के पीछे, भरतपुर।

४१ ६–२–५७ श्री सोहनलाल पुत्र मूलचन्द वैश्य अटलचन्द गेट, भरतपुर।

४२ २७–७–५६ श्री गिरधारीलाल मुख्तयार आम महन्त श्री गंगादास मन्दिर श्री लक्ष्मण जी महाराज, भरतपुर।

४३ २२–७–५६ श्री रिद्धीलाल पुत्र श्री गड्डूरमल मोहल्ला पुराने लक्ष्मण मंदिर वार्ड नं० ६ भरतपुर।

४४ २३–४–५८ श्री रघुवीर पुत्र नारायण मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर।

४५ ३-११-५८ श्री रामचन्द्र पुत्र नत्थूराम जाट मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर।

४६ १२-५-५६ श्री निहालसिंह पुत्र खुशीराम कौम जाट गोपालगढ़, भरतपुर

४७ १५-१२-५८ श्री रामपालसिंह पुत्र गोवरधनसिंह जाट गोपालगढ़ भरतपुर।

४८ २५-५-५६ श्री नवलकिशोर पुत्र बृजमोहनलाल पाईबाग भरतपुर।

४९ १२-८-५६ श्री पुरुषोत्तमलाल पुत्र नत्थीलाल शर्मा मोहल्ला मोजीराम भरतपुर।

५० ८-५-५६ श्री पूरनचन्द पुत्र भीसाराम मौहल्ला पाईबाग भरतपुर।

५१ १०-८-५६ श्री बुद्धू पुत्र गुलजारी कौम कोली पाईबाग भरतपुर।

५२ १९-८-५८ श्री मनीलाल पुत्र गणमल कटरा नमक, भरतपुर।

५३ ११-८-५६ श्री भजनलाल पुत्र कैली कौम नक्कारची अनाह गेट, भरतपुर।

५४ ५-११-५७ श्री रमेशचन्द्र पुत्र भूरीसिंह शर्मा मेम्बर टाउन वोर्ड भुसावर हाल अनाह गेट, भरतपुर।

५५ १४-३-५५ मु० भगवतीदेवी मास्टरनी द्वारा देवकीनन्दन मथुरा गेट, भरतपुर।

५६ २८-७-५६ श्री करनसिंह पुत्र मूलचन्द राजपूत वार्ड नं० ८ भरतपुर।

५७ ८-७-५६ श्री सुक्ली पुत्र नत्थी कौम कोली मोहल्ला नदिया भरतपुर।

५८ १०-२-५६ श्री रमेशचन्द्र वैद्य द्वारा पं० रामचन्द्र शर्मा, गोपालगढ़, भरतपुर।

५९ २१-७-५६ श्री वेनी प्रसाद रमणीक भोजनालय, भरतपुर।

६० २२-३-५८ श्री गोविन्दप्रसाद पुत्र किशनलाल खिरनी घाट, भरतपुर।

६१ १६-७-५८ श्री जगन्नाथ पुत्र रामलाल कौम खत्री मोहल्ला रेवा-नानिगा भरतपुर।

६२ ४-११-५८ श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र नानिगा वा० ज्योतिषी, भरतपुर

Page No.125

६३	२८–३–५६	श्री रमाकान्त पुत्र छगनलाल वा० मोरी चार बाग भरतपुर।
६४	१६–१–५८	श्री राधेश्याम पुत्र छाजू राम छीपी, भरतपुर
६५	१०–५–५८	श्री रमेशचन्द्र पुत्र गडरमल मोहल्ला अनाह गेट, भरतपुर
६६	२२–६–५८	श्री पदमसिंह माली सूरजपाल वार्ड नं० २ भरतपुर
६७	३–२–५७	श्री देवकीनन्दन पुत्र नन्दलाल मोहल्ला पालरिया वार्ड नं०१३ भरतपुर।
६८	१४–१०–५८	श्री शान्ति स्वरूप पुत्र मंगलराम मोहल्ला नदिया वार्ड नं०१२ भरतपुर।
६९	२४–७–५६	श्री मनोहरलाल पुत्र मटोलीराम वैश्य मोहल्ला रेखा नानिगा, भरतपुर।
७०	१४–४–५८	श्री बाबूलाल पुत्र हीरालाल माली मोहल्ला बीनारायण गेट, भरतपुर।
७१	१५–१–५६	श्री मोहनलाल पुत्र शंकरलाल वैश्य मोहल्ला स्टेशन के पास चौकी पुलिस भरतपुर, ।
७२	१३–११–५८	श्री पूनाराम वैश्य मथुरा गेट भीतर भरतपुर
७३	२७–७–५७	श्री बाबूलाल पुत्र बालाबक्श वैश्य मथुरा गेट भीतर भरतपुर।
७४	६–८–५६	श्री चिरमोली पुत्र रामगिल्ली वैश्य मोहल्ला नदिया, भरतपुर।
७५	२३–७–५७	श्री धर्मसिंह पुत्र छोटेलाल कुम्भेर दरवाजा, भरतपुर
७६	२८–१–५६	श्री गिरिजप्रसाद पुत्र गंगाबक्श सेड कामढ भरतपुर।
७७	३१–७–५८	मु० रामदेई बेवा गोपालदास सुनार वासन गेट, भरपुतर।
७८	३१–१२–५७	श्री जगन्नाथ पुत्र नारायण बिजलीघर वार्ड नं० २ भरतपुर।

७६	२६-४-५७	श्री बेनीराम पुत्र सोनपाल कौम कोली कटरा नमक, भरतपुर ।
८०	२६-८-५८	श्री ठाकुरदास पुत्र कन्हैयाराम खत्री वार्ड नं० ६, भरतपुर ।
८१	३०-६-५८	श्री गंगाराम पुत्र रामहेत जाटव वार्ड नं० ३ भरतपुर ।
८२	२६-५-५७	श्री विद्याव्रत शास्त्री नीमदा गेट भरतपुर ।
८३	२६-२ ५६	श्री दीवानसिंह पुत्र सेवादास मथुरा गेट, वार्ड नं० २ भरतपुर ।
८४	१४-८-५७	मु० मटरी बेवा सरमण माली सूरजपोल, भरतपुर।
८५	२३-६-५६	श्री कर्नल घमंडीसिंह नीमदा गेट भरतपुर ।
८६	३०-४-५६	श्री देवीप्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद तम्बाखू वाले मथुरा गेट भरतपुर ।
८७	२३-२-५७	श्री नारायणलाल पुत्र हरबक्शराम वैश्य, सालिगराम के पास, भरतपुर ।
८८	६-१-५६	श्री सोहनलाल पुत्र भैरोंलाल मोरी चारबाग, भरतपुर
८६	६-६-५६	श्री नानगासिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत मथुरा दरवाज़ा बाहर, भरतपुर ।
६०	१३-६-५६	श्री रामस्वरूप पुत्र छज्जुराम वैश्य गुदड़ी वार्ड नं०१५, भरतपुर ।
६१	३०-५-५६	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र नत्थीलाल वार्ड नं० ८ भरतपुर ।
६२	१६-५-५६	श्री देवीसिंह पुत्र मंगलसिंह गूजर वार्ड नं० ५ बुद्ध की हाट, भरतपुर ।
६३	२०-६-५८	श्री सोनपालसिंह पुत्र भोलाराम राजपूत गोपालगढ़, भरतपुर ।
६४	२५-१०-५६	श्री मंत्ररलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, कोतवाली के पास, भरतपुर ।

९५	२८–५–५९	मु० किरनदेवी द्वारा मास्टर हरिशंकर गुप्ता चौबुर्जी तांगा स्टेन्ड, भरतपुर।
९६	१४–५–५९	श्री राधावल्लभ पुत्र दुर्जनराम ग्रा० गोपालगढ़ वार्ड नं० १९ भरतपुर।
९७	४–९–५८	श्री निरोत्तमलाल पुत्र सामल वैश्य वासन दरवाजा वार्ड नं० १७, भरतपुर।
९८	२९–५–५८	श्री बाबूलाल पुत्र मनोहरलाल सुनार वासन दरवाजा, भरतपुर।
९९	२१–९–५६	श्री कमलकिशोर पुत्र जगन्नाथप्रसाद कुम्भेर गेट, भरतपुर।
१००	२०–४–५९	श्री रामचन्द्र पुत्र शिवलाल ग्रा० गोपालगढ़, भरतपुर।
१०१	२४–६–५९	श्री कल्लो पुत्र नथुवा धोबी नीनारायण गेट, भरतपुर।
१०२	१४–८–५८	श्री किशनसिंह पुत्र सामलिया वासन दरवाजा, भरतपुर।
१०३	१३–८–५९	श्री श्यामलाल पुत्र चिरंजीलाल ग्रा० वासन दरवाजा, भरतपुर।
१०४	१५–५–५८	श्री मनोहरलाल पुत्र छोटेलाल ग्रा० मोहल्ला नदिया वार्ड नं० १२, भरतपुर।
१०५	१६–५–५७	श्री सुक्खीसिंह पुत्र नत्थीसिंह ठाकुर भरतपुर।
१०६	२५–५–५७	श्री दुल्लाराम पुत्र भगवानदास कोली, खाई डन्डा के नीचे, भरतपुर।
१०७	६–११–५६	श्री नारायण पुत्र कुन्जी कोली मोहल्ला तोप भरतपुर।
१०८	१४–१०–५८	श्री घासीराम कारीगर भरतपुर।
१०९	१६–२–५८	श्री भोजपाल पुत्र मुन्डाराम ठाकुर कोतवाली के पास भरतपुर।
११०	३०–१२–५७	श्री भाबुआराम कोली अगीना दरवाजा, भरतपुर।

१११	११–१२–५७	श्री नारायण पुत्र घन्टरा कोली अनाह गेट, भरतपुर।
११२	३१–८–५६	श्री दीपचन्द पुत्र छिग्गा मल कौम खत्री मोहल्ला बड़ा बास वार्ड नं॰ १७, भरतपुर।
११३	१–६–५७	श्री मनीराम पुत्र मूला खटीक कुम्भेर, दरवाजा भरतपुर।
११४	६–७–५६	श्री रामभरोसीलाल वर्मा पुत्र प्यारेलाल, दहीवाली गली वार्ड नं० ११ भरतपुर।
११५	२२–८–५८	श्री रामचन्द्र पुत्र सियाराम, वासन दरवाजा, भरतपुर।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर देखिये)

ANNEXURE 'A' (QUESTION 1)

Total Grain Mds. Srs. Ch.	April, '58 544-23-12	May, '58 565-38-10	June, '58 560-24-12	July, '58 564-24-0	Aug, '58 396-26-0	Sept, '58 262-10-8	Oct, '58 455-37-0	Nov, '58 468-19-0
	Dec. '58 451-23-0	Jan. '59 417-32-8	Feb. '59 256-30-0	March. '59 93-0-0	April '59 316-39-0	May '59 470-25-8	June '59 423-39-8	July '59 358-30-0
Estimated Value in Rupees.	April. '58 7366/—	May 58 7791/—	June 58 7406/—	July 58 7826/—	Aug. 58 5408/—	Sept, 58 3934/—	Oct; 58 8007/—	Nov, 58 7505/—
	Dec. '58 8263	Jan. '59 7352/—	Feb. 4292/—	March 1584/—	April '59 5128/—	May '59 8501/—	June '59 7666/—	July '59 6547/—

ANNEXURE 'B' (QUESTION 2)

	April 58	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.
Heads of cattles	302	303	302	302	294	294	288	296
Consumption grain per head of catlle. (Mds. Srs. Ch.	1-32-2	1-34-11	1-34-4	1-34-15	1-13-15	0-38-6	1-23-5	1-23-5
	Dec. 58	Jan 59	Feb.	March	April	May	June	July 59
Heads of cattles	267	280	282	303	314	294	293	268
Consumption grain perhead of cattle. (Mds. Srs. Ch.).	1-24-5	1-19-11	0-36-6	0-12-4	1-0-6	1-24-5	1-20-0	1-9-13

P. D. MATHUR,
Director of Animal Husbandary,
Rajasthan, JAIPUR.

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिए]

तहसिल, जिला बाड़मेर की सूची मय अधीनस्थ ग्राम एवं आबादी व पंच संख्या

क्र० सं०	नाम पंचायत	पंचायत क्षेत्र के अधिनस्थ ग्राम	जन संख्या	पंच संख्या ग्रामवाइज	कुल पंच संख्या
१.	शिव	शिव	८६६	३	६
		बलाई	३४२	१	
		आगोरिया	३११	१	
		निमासा	१५०	१	
			१६७२		
२.	जैसीन्धर	जैसीन्धर	२७३७	८	६
		मुनावा	१६४	१	
			२६०१		
३.	गडरारोड	गडरारोड	१२१३	४	८
		तामलोर	७६४	२	
		बाटासर	७१४	२	
			२७२१		
४,	गिराव	गिराव	६२६	३	७
		बन्दड़ा	४३६	१	
		डाब	३८३	१	
		डाबिया	७६	१	

१	२	३	४	५	६
		उदरात	४०६	१	
		गिदनाड़ी	३६		
			२२७२		
५.	हरसानी	हरसानी	१४५०	५	८
		खारची	४२२	१	
		जुड़िया	२१८	१	
		जानकली	५०६	१	
			२५६६		
६.	मंडूसर	मंडूसर	२५५७		८
७.	सुन्दरा	सुन्दरा	३४३३		११
८.	बालेवा	बालेवा	८७१	४	१०
		देदीडदार	२४६	१	
		फोगेरा	४१३	१	
		सोमाली	२४		
		रेडाना	८६१	२	
		ओसाल	३२८	१	
		ताकियार	३१६	१	
			३०७७		
९.	गुगा	गुगा	६११	३	८
		डुडेवा	३८८	१	

१	२	३	४	५	६
		डाडविया	१७४	१	
		जोफली कलां	३६६	१	
		जोफली खुर्द	१३३	१	
		बीसूकलां	३२०	१	
		मेघाका गांव	१०५		
			२३६७		
१०.	कोटड़ा	कोटड़ा	१९३६	७	६
		रावतका गांव	३४		
		जैसा का गांव	८३	१	
		गीक्ल	११२		
		आकली	१९१		
		धपनी	२३०	१	
			२९८४		
११.	मुंगेरिया	मुंगेरिया	९५४	३	५
		कालासर	३२४	१	
		सूवाला	४०६	१	
			१६८४		

Page No.134

१	२	३	४	५	६
१५.	काशमीर	काशमीर	१२४८	४	४
		कानासर	७१२		
			२१२०		
१६.	त्रिहाड़	त्रिहाड़	१५४५		६
१७.	उंदूस	उंदूस	१४००		६
१८.	आरंग	आरंग	८३२	३	६
		चौंचरा	६६६	२	
		रतकोड़िया	१६७		
		मांगेरिया	६३०		
		सेलका गांव	२६	१	
		ओलेचिया	७७		
			२७३१		

———

शुद्धि–पत्र

(२ दिसम्बर, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४३६	अन्तिम से ११–१२	म्युनिसिलटीज़	म्युनिसिपैलिटीज़
४३९	अन्तिम से ३–४	मनिसिपेलटियो	म्युनिसिपैलिटियों
४४०	१२	मत्री	मन्त्री
४४८	१३	पूरी हो जावेगी	पूरी हो जावेगी
४५०	अन्तिम से ३	में	मैं
४५१	अन्तिम से १३	मिधां	मिर्धा
४५५	अन्तिम से १२	अनुस्थित	अनुपस्थित
४५७	प्रथमत:	(श्री जनार्दनराय नागर)	(विलोपित समझिये)
४६३	२	में	मैं
४६६	२	श्री पी. के. चौधरी : फुलेरा	श्री पी. के. चौधरी :
४६७	८	enqu'ry	enquiry
४७०	४	मुन्दरपुरा	सुन्दरपुरा
४७१	१३–१४	(श्री दौलतराम सरण)	(श्री दौलतराम सारण)
४७२	अन्तिम से १४	गलेयरिंग	ग्लेयरिंग
४७२	अन्तिम से ७	फ	फर्क
४७४	अन्तिम से ७ व ३	लूणकरणासर	लूणकरणसर
४८९	अन्तिम से ४ व ५	वगैर पचेज़	वगैरह पर्चेज़
४९३	१	१२ म. प. मध्यायन	१२ मध्यान्ह
४९६	अन्तिम से ९	तक	तय
५०२	अन्तिम से १०	इन्डिविजुअल	इन्डिविजुअल
५०७	प्रथमत:	(भैरां सह)	(श्री भैरोंसिंह)
५०८	२	उनको	उनके
५०८	९	ज़ीमनें	ज़मीनें
५१२	९	नहीं	नहीं
५१३	अन्तिम से ४	पोटेन्शीयलिटी	पोटेन्शियलिटी
५१३	अन्तिम से ३	इन्डस्ट्रीयज़	इन्डस्ट्रीज़
५१४	९	किसानों	किसानों

१	२	३	४
५१५	अन्तिम से १२	नहीं	न ही
५२३	१२	आम	आप
५२३	अन्तिम से १४	मोटीज़	मोटिव्ज़
५२४	१४	इम्प्रूवमेट	इम्प्रूवमेंट
५२६	अन्तिम से १५	मैं	में
५२६	अन्तिम से २	कष्टन	कष्ट न
५२६	१	प्रकार	प्रकार
५३२	अन्तिम से १०	famile	family
५३३	अन्तिम से ३	ट्रवाइसली	ट्वाइसली
५३६	अन्तिम से ५	स्टेन्डर्ड	स्टेन्डर्ड
५४६	१४	सिफ	सिर्फ
५४७	अन्तिम से ७	पर्सेन्ट	पर्सेन्ट
५५०	अन्तिम से १२	नहीं	नहीं
५५१	अन्तिम	काट्स	कास्ट
५५७	अन्तिम से १२	यदव	यादव
५६३	अन्तिम से २	याय	न्याय
५६६	अन्तिम से १३	संयुकत	संयुक्त
५७१	अन्तिम से २	के दूसरों कि	से दूसरों की
५७२	२	पने	अपने
५७३	अन्तिम से १६	डलेटेक्टस	डिलेटेक्टिस
५७६	अन्तिम	भम	भूमि
५७७	१४	भमि	भूमि
५८५	८	भसाला	मसला
५६०	अन्तिम से १०	जीवन यापना	जीवन यापन
५६६	अन्तिम से ४	श्री चननमल वैद	श्री चंदनमल वैद
६०४	अन्तिम से १६	कल एक	कल से एक
६०८	४	व ।	बढ़ता
६०८	६	वनी हुई है	बनी हुई नहीं है
६०६	प्रथमतः	(रायल श्री नरेन्द्रसिंह)	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६१५	अन्तिम से १५	कम्पेरिजन	कम्पेरिजन
६३३	५	अमेंडट	अमेंडमेंट
६५३	१३	राजा श्री भानसिंह	राजा श्री मानसिंह